मई, 2019

I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक	: श्री पुण्डरीक शर्मा
उप-संपादक	: सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह
परामर्शदाता	: सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................. द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-5-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2019 अंक - 5

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.

2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

समस्त विश्व में भारत अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय नारी इस संस्कृति का मूल तत्व है । इसकी रक्षा परमोधर्म है । किन्तु इस भावना के बावजूद राक्षसी आचरण रखने वाले लोगों का पाया जाना भी स्वाभाविक है जिनकी संख्या में होने वाली आकस्मिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार विधानमण्डल के माध्यम से समय-समय पर नए कानूनों की रचना और पूर्व-रचित कानून में संशोधन करती रहती है । गुजरात में महिलाओं के मंगलसूत्र और गले की जंजीर जैसे कीमती आभूषणों को झपटने की वारदातें अधिक पाए जाने पर कानून को कड़ा बनाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा तारीख 21 मई, 2019 को दी गई मंजूरी सराहनीय है जिसमें इस प्रकार की गई चोरी के लिए न्यूनतम दंड सात वर्ष का कठोर कारावास और इस अपराध के प्रयास के लिए न्यूनतम दंड पांच वर्ष का कठोर कारावास रखा गया है । इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य में तो सरकार ने वर्ष 2014 में ही इस अपराध को एक गंभीर अपराध माना था और इस प्रकार की गई चोरी जिसमें बलपूर्वक झपटकर सामान छीना जाता है, के लिए न्यूनतम दंड दस वर्ष रखा है ।

इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी निर्दोष को दंड न मिले और उसकी शनाख्त ठीक प्रकार की जाए । कभी-कभी परिस्थितियां अभियुक्त को दोषी ठहराने में पूरी तरह अक्षम हो जाती हैं और अभियुक्त की प्रतिरक्षा का समर्थन नहीं कर पाती हैं । एक व्यक्ति जो शरीर से सशक्त नहीं है वह बलपूर्वक कृत्य कैसे कर सकता है अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी एक टांग पहले से कटी हुई है वह टैक्सी चलाकर किसी सामान्य देह वाले व्यक्ति को कैसे लूट सकता है ? ऐसे मामले में अभियुक्त की शनाख्त की पुष्टि शिकायतकर्ता के अतिरिक्त अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होनी चाहिए अन्यथा उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी । इस स्थिति को **शेख दाउद-अल-मोती** बनाम **तमिलनाडु राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 651 वाला मामला बखूबी स्पष्ट करता है ।

इस अंक में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अर्जुन शंकरभाई राठौड़ **बनाम** हरीशभाई रमनभाई राठौड़ (देखिए – पृष्ठ संख्या 575)	
जग राम और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	593
दिनेशभाई चंदूभाई पटेल **बनाम** गुजरात राज्य अन्य	575
बालूभाई रावजीभाई अहीर **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 575)	
मनहरभाई मूलजीभाई ककाड़िया **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 575)	
मनीष पटेल (अधिवक्ता) **बनाम** हरीशभाई रमनभाई राठौड़ और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 575)	
महेश साहू और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य	686
रहीम बादशाह **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	617
रितेश नरपतराज सिंघवी **बनाम** भारत संघ	642
विनय कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	716
शेख दाउद-अल-मोती **बनाम** तमिलनाडु राज्य	651
हरीशभाई रमनभाई राठौड़ **बनाम** गुजरात राज्य और एक अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 575)	

संसद् के अधिनियम

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 29

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 482 और 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने का कथन किया जाना – मामले में पत्नी द्वारा दहेज मांग और क्रूरता का अभिकथन किया जाना – पत्नी द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज लाने के लिए मानसिक परेशानी देकर और क्रूरता का व्यवहार अपनाकर तंग किया गया – पति ने यह दावा किया है कि पत्नी द्वारा पति की ओर से फाइल किए गए विवाह-विच्छेद के दावे की घोर निन्दा करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई – विवाह-विच्छेद याचिका के बारे में सिविल न्यायालय का निष्कर्ष दांडिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा – यदि पत्नी द्वारा यह साबित किया गया है कि अपने विवाह संबंध को बचाने के लिए उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई क्योंकि पति समझौता करने की स्थिति में नहीं था तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को घोर निन्दा के एवज में दर्ज किया जाना नहीं कहा जा सकता, अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

महेश साहू और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** 686

– धारा 482 और 154 – जहां मामले में पत्नी द्वारा ससुराल वालों के प्रति दहेज मांग के संबंध में मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किए जाने का अभिकथन किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पीड़िता के पति के नजदीकी नातेदार उसी ग्राम में कहीं

पृष्ठ संख्या

और रहते हैं तो मात्र अस्पष्ट और साधारण अभिकथनों के आधार पर विचारण का सामना कराने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जा सकता – अत: साधारण अभिकथनों पर पति के नजदीकी नातेदारों को अभियोजित करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जाती है ।

महेश साहू और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** 686

– धारा 482 और 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने का अभिकथन किया जाना – दहेज मांग और क्रूरता के संबंध में पत्नी द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि विवाह के समय से उसके पति द्वारा अपनी माता और पिता के साथ दहेज मांगने के संबंध में उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तंग किया गया – पीड़ित के ससुराल वालों ने उसे दहेज में मांगी गई रकम न लाने की दशा में वैवाहिक गृह में प्रवेश नहीं करने दिया – अत: पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध क्रूरता और दहेज मांग में किए गए अभिकथनों पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जाना न्यायसंगत है ।

महेश साहू और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** 686

– धारा 482, 157 और 154 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कुछ अपराधों के संबंध में अभिखंडित करना और कुछ अपराधों के संबंध में कायम रखना – उच्च न्यायालय

पृष्ठ संख्या

इस बात की परीक्षा करने के लिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को किसी भी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है ।

दिनेशभाई चंदूभाई पटेल बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** 575

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11] – हत्या – अन्यत्र रहने का अभिवाक् – अभियुक्त द्‌वारा यह दावा किया जाना कि जब उसकी पत्नी बालकनी से नीचे गिरी तब वह अपनी ड्‌यूटी पर था – अभियुक्त का निवास-स्थान और कार्यालय का अगल-बगल में स्थित होना – अभिलेख पर ऐसी सामग्री नहीं पाई गई कि अभियुक्त अपनी ड्‌यूटी के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहा – अभियुक्त के ड्राइवर होने के कारण उसके पास कार्यालय से बाहर आने का व्यापक अवसर था, इसलिए वह घर पर गया और अपनी पत्नी की हत्या की - मृतका के माता-पिता द्‌वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने अपनी पुत्री को बालकनी से नीचे फेंकते हुए देखा – अत: अभियुक्त का अन्यत्र रहने का अभिवाक् सिद्ध नहीं होता है ।

रहीम बादशाह बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 617

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 – [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – पति/अभियुक्त द्वारा पत्नी को निवास-स्थान के छठी मंजिल से धक्का दिया जाना परिणामस्वरूप, पत्नी की मृत्यु हो जाना – अस्पताल के नजदीक रहने वाले साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने एक व्यक्ति को सैनिक यूनिफार्म में देखा था जिसने बालकनी से महिला को नीचे फेंका था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य से समर्थन मिलता है – अभियुक्त के सहयोगी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् उसे मृतका के बालकनी से गिरने के बारे में बताया – यदि अभियुक्त ने पत्नी के गिरने के बावजूद भी उसके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की तो इससे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध होती है – अत: दोषसिद्धि उचित है ।

रहीम बादशाह बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 617

– धारा 302 और 397 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या और लूट – अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य – मृतकों को अभियुक्त के रिक्शे में अन्तिम बार देखे जाने के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य में एकरूपता – लूटे गए सामान की पंचों की मौजूदगी में बरामदगी – बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना – दो साक्षियों ने मृतकों को अन्तिम बार एक अभियुक्त के रिक्शे में सवार देखा था जिसे दूसरा अभियुक्त चला रहा था और साथ ही दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटा हुआ सामान बरामद किया गया है, अतः अभियुक्तों

पृष्ठ संख्या

की दोषसिद्धि न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

जग राम और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 593

– धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – सबूत – मामले में यह अभिकथन किया जाना कि पीड़ित और अभियुक्त के बीच मौखिक वाक्कलह होने पर अभियुक्त द्वारा पीड़ित के सिर पर बैट से हमला किया जाना, परिणामस्वरूप उसका बेहोश हो जाना – यदि पीड़ित के वृत्तांत की उसकी पत्नी, अन्वेषक अधिकारी और चिकित्सा साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि हुई है और अभियुक्त की मौजूदगी घटनास्थल पर साबित हुई है तो घटना के स्थान के बारे में छोटे-मोटे विभेद अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं तथा अपराध का आयुध अर्थात् बैट की अभियुक्त के कहने पर बरामदगी हुई है और अभियुक्त को मिथ्या रूप से नहीं फंसाया गया है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

विनय कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 716

– धारा 394 और 397 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 9] – लूट – अभियुक्त की शनाख्त परेड का न कराया जाना – शनाख्त को लेकर आहत-चालक के साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी साक्षी द्वारा न होना – अभियुक्त-अपीलार्थी का विकलांग होना – अभियुक्त को घटना के एक वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है और उसकी शनाख्त आहत के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी द्वारा नहीं कराई गई है और अभियुक्त की शनाख्त परेड भी नहीं कराई गई है तथा अभियुक्त के लिए एक टांग से विकलांग होने के कारण कार चलाना संभव नहीं पाया गया है,

पृष्ठ संख्या

इसलिए क्षति पहुंचाकर कार लूटने के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

शेख दाउद-अल-मोती बनाम **तमिलनाडु राज्य** 651

– धारा 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – पीड़िता ने अपने माता-पिता से पति/अभियुक्त द्वारा क्रूरता बरते जाने व प्रताड़ित किए जाने का अभिकथन किया जाना – पति/अभियुक्त द्वारा क्रूरता न बरते जाने का करार में अभिकथन किया जाना – यदि पति/अभियुक्त द्वारा करार के शर्तों का अनुपालन न करके पीड़िता के साथ क्रूरता बरती गई और प्रताड़ित किया गया – पुनः अभिलेख पर साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त/पति द्वारा पीड़िता के वैवाहिक गृह में उसे तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई तो अभियुक्त/पति को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

रहीम बादशाह बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 617

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34)

– धारा 7, 10(2) और 17 – प्रत्यर्पण का आदेश – प्रथमदृष्ट्या और युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का आधार है कि याची द्वारा किया गया अपराध एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध था और मामले में पेश किए गए दस्तावेज सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित थे, अतः भारत में अभिरक्षा में याची द्वारा कारागार में भुगती गई अवधि का मात्र उल्लेख न किया जाना आदेश को दूषित नहीं करता, इस प्रकार आदेश युक्तियुक्त और उचित है और हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

रितेश नरपतराज सिंघवी बनाम **भारत संघ** 642

दिनेशभाई चंदूभाई पटेल

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तथा

बालूभाई रावजीभाई अहीर

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तथा

अर्जुन शंकरभाई राठौड़

बनाम

हरीशभाई रमनभाई राठौड़

तथा

मनीष पटेल (अधिवक्ता)

बनाम

हरीशभाई रमनभाई राठौड़ और अन्य

तथा

हरीशभाई रमनभाई राठौड़

बनाम

गुजरात राज्य और एक अन्य

तथा

मनहरभाई मूलजीभाई ककाड़िया

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 12, 13, 14, 15, 16 और 17)

तारीख 5 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482, 157 और 154 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कुछ अपराधों के संबंध में अभिखंडित करना और कुछ अपराधों के संबंध में कायम रखना – उच्च न्यायालय इस बात की परीक्षा करने के लिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को किसी भी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है ।

वर्तमान मामले का संबंध एक ऐसे विवादग्रस्त भूमि के टुकड़े से है, जो कि एक कुटुम्ब के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में था । कुटुम्ब के छह सदस्यों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् परिवादी कहा गया है) पुलिस आयुक्त के समक्ष यह शिकायत करते हुए एक संयुक्त परिवाद फाइल किया कि अपीलार्थी ने अनेक अन्य नामित व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके संयुक्त रूप से परिवादियों की निरक्षरता, गरीबी और अनभिज्ञता का फायदा उठाते हुए उनके साथ कपट और धोखा किया है और उनसे विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मिथ्या हस्ताक्षरों से मिथ्या मुख्तारनामा निष्पादित कराया है । यह अभिकथन किया गया है कि इन व्यक्तियों ने पुनः इस षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए विवादग्रस्त भूमि को अनेक

व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करा लिया तथा उन्हें विवादग्रस्त भूमि पर सन्निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए अवैध रूप से सन्निर्माण नक्शे मंजूर करा लिए । परिवादियों ने अपने परिवाद के साथ ऊपर नामित व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से कारित प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करने के लिए समस्त विवादग्रस्त दस्तावेज़ संलग्न किए । इसके पश्चात् कलक्टर (एस.आई.टी.) के समक्ष छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध एक अन्य परिवाद फाइल किया गया जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, 7 और 11 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 114, 120ख, 420, 465, 468, 471 और 476 के अधीन दंडनीय अभिकथित अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाने की ईप्सा की गई थी । उस परिवाद में पूर्ववर्ती परिवाद की तरह कुछ नए तथ्यों सहित सविस्तार अभिकथन भी उपवर्णित किए गए । इन परिवादियों में से एक परिवादी द्वारा 8 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कलक्टर, जिला विवाद प्रतितोष पीठ के समक्ष एक और तीसरा परिवाद फाइल किया गया था जिसमें अधिक विस्तृत तथ्यों सहित प्रथम दो परिवादों में किए गए अभिकथनों के लगभग समान अभिकथन किए गए और उसमें पूर्ववर्ती परिवादों में नामित अपराध कारित करने के लिए उन्हें अभियोजित करने की ईप्सा की गई । उपर्युक्त परिवादों के परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अपीलों का प्रस्तुत समूह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों में नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल किए गए दांडिक आवेदनों से उद्भूत हुआ है, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दांडिक आवेदनों को भागतः मंजूर कर लिया जबकि कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया । इसी निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षकारों, अर्थात्, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित महसूस करते हुए ये अपीलें फाइल की हैं । अपीलों का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस प्रश्न के संबंध में विधि उचित रूप से सुस्थापित है कि कब किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण को संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अभियुक्तों द्वारा उसे अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए चुनौती दी जाती है और उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं और उच्च न्यायालय को ऐसे प्रश्न के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए । (पैरा 26)

उच्च न्यायालय अपनी उस अधिकारिता की सीमा का अनुभव करने में असफल रहा, जो कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अनेक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की शिकायत करने वाली किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वैधता की परीक्षा करते समय प्रयोग करने के लिए धारण करता है । उच्च न्यायालय, इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । इस प्रश्न की परीक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और सबूत की अपेक्षा न करने वाली प्रथमदृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए, की जानी थी । इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और उस सामग्री से, जिसका अवलंब लिया गया है, अपना कोई निष्कर्ष निकाल सकता था । यह तो और भी कठिन था, जब उस सामग्री के संबंध में, जिसका अवलंब लिया गया है, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विवाद किया गया हो । ऐसी स्थिति में, इस प्रक्रम पर अन्वेषक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जांच करे और इसके पश्चात् जैसे ही आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी सामग्री सहित उन प्रश्नों की परीक्षा करे कि ऐसी सामग्री का कितना और किस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है । जैसे ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है तो वह अपना कार्य रोक देगा और अन्वेषण मशीनरी को संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपराध का

पता लगाने संबंधी जांच आरंभ करने की कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करेगा । (पैरा 30, 31 और 32)

चूंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, जो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, अपने स्वरूप में ही अंतर्निहित हैं इसलिए उन्हें किसी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना संहिता में परिभाषित उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है । अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणामस्वरूप मामले को विनिश्चित करते समय अधिकारिता संबंधी भूल कारित हो जाएगी । इस मामले में भी यही स्थिति है । परिवादों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर परिवाद और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में परिवादियों द्वारा अभिकथित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या विभिन्न संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है और इसलिए उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को भागतः खारिज करने की बजाय प्रश्नगत संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखने संबंधी आवेदन को पूर्ण रूप से खारिज कर देना चाहिए था । अब यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले का अन्वेषण, जो कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विषयवस्तु है, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए । (पैरा 34, 35 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 11 एस. सी. सी. 730 : **जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	36
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 351 : **हरशेन्द्र कुमार डी.** बनाम **रेवतीलता कोले** ;	36
[1983]	[1983] 1 उम. नि. प. 12 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949 : **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य** बनाम **स्वप्न कुमार गुहा और अन्य** ।	27, 37

दांडिक अपीली अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 12, 13, 14, 15, 16 और 17.

2016 के विशेष दांडिक आवेदन सं. 4357 में गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ के तारीख 10 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री दुष्यंत दवे, हरिन पी. रावल, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, यतिन ओझा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सुश्री गरिमा बजाज, प्रद्युमन गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, मोहित पॉल, पुनीत के. जी., अनुग्रह नीरज एक्का, शमिक संजनवाला, सुनील कौंडल, कैलाश पांडेय, रंजीत सिंह, गैचांगपोउ गैंगमई, महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, पुरविश जितेन्द्र मलकान, अपूर्व कपाड़िया, सुश्री धरिता पी. मलकान, सुश्री हेमन्तिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह और सुश्री शोधिका शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद न्यायपीठ द्वारा 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/आदेश को अभिखंडित और अपास्त करने के लिए) सं. 16731, 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 13733 और 14842, 2016 के विशेष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 4387, 4357 और 4951, 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 16731 में 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 32440 में पारित तारीख 10 जुलाई, 2017 के उस एक ही अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने संबंधी

आवेदन को भागतः मंजूर कर लिया था ।

3. अपीलों के इस समूह में अंतर्वलित विवाद्यकों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से कुछ सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है । ये तथ्य विशेष इजाजत याचिका से संबंधित पेपरबुक में से लिए गए हैं ।

4. अपीलों के इस समूह के पक्षकारों के बीच उद्भूत होने वाले विवाद का संबंध आवश्यक रूप से ग्राम अल्थान, तालुका एवं शहर-सूरत में स्थित टाउन प्लानिंग स्कीम सं. 36 (अल्थान) के 3475 वर्ग मीटर माप वाले प्लाट सं. 71, सर्वेक्षण सं. 96/3/2, ब्लाक सं. 121 में 5281 वर्ग मीटर माप वाले भूखंड से है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विवादग्रस्त भूमि" कहा गया है) ।

5. विवादग्रस्त भूमि राठौड़ कुटुम्ब के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में थी, जो कि उनके अनुसार हलपई जाति के थे ।

6. राठौड़ कुटुम्ब के छह सदस्यों ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् परिवादी कहा गया है) सूरत के पुलिस आयुक्त के समक्ष तारीख 25 अप्रैल, 2011 को एक संयुक्त परिवाद फाइल किया (उपाबंध पी-2) जिसमें यह शिकायत की गई कि दिनेशभाई चंदूभाई पटेल नामक एक व्यक्ति ने अनेक अन्य नामित व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके संयुक्त रूप से परिवादियों की निरक्षरता, गरीबी और अनभिज्ञता का फायदा उठाते हुए उनके साथ कपट और धोखा किया है और उनसे विवादग्रस्त भूमि के संबंध में मिथ्या हस्ताक्षरों से मिथ्या मुख्तारनामा निष्पादित कराया है । यह अभिकथन किया गया है कि इन व्यक्तियों ने पुनः इस षड्यंत्र को अग्रसर करते हुए विवादग्रस्त भूमि को अनेक व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करा लिया तथा उन्हें विवादग्रस्त भूमि पर सन्निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए अवैध रूप से सन्निर्माण नक्शे मंजूर करा लिए ।

7. संक्षेप में और सारतः, परिवादियों की शिकायत यह थी कि ऊपर नामित व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया और परिवादियों से कपट, धोखा, प्रवंचना, विश्वास-भंग करके उनसे उनकी ऊपर उल्लिखित बहुमूल्य भूमि छीन ली ।

8. परिवादियों ने अपने परिवाद के साथ ऊपर नामित व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से कारित प्रथमदृष्ट्या मामला दर्शित करने के लिए समस्त विवादग्रस्त दस्तावेज़ संलग्न किए और पुलिस आयुक्त से यह प्रार्थना की कि उनकी भूमि के संबध में संपूर्ण मामले की जांच कराई जाए और प्रथमतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके और उसके पश्चात् एक समुचित अन्वेषण कराकर अन्वेषण को तर्कसम्मत रूप से पूरा कराया जाए, इस मामले में अंतर्वलित पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया जाए और उन्हें उन अपराधों के लिए, जो उन्होंने अभिकथित रूप से कारित किए हैं, अभियोजित किया जाए तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित अधिनियमों के अधीन दंडित किया जाए ।

9. इसके पश्चात् कलक्टर (एस.आई.टी.), सूरत के समक्ष तारीख 23 जनवरी, 2012 को छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध एक अन्य परिवाद (उपाबंध पी-6) फाइल किया गया जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3, 7 और 11 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34, 114, 120ख, 420, 465, 468, 471 और 476 के अधीन दंडनीय अभिकथित अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाने की ईप्सा की गई थी । उस परिवाद में पूर्ववर्ती परिवाद की तरह कुछ नए तथ्यों सहित सविस्तार अभिकथन भी उपवर्णित किए गए ।

10. इन परिवादियों में से एक परिवादी द्वारा 8 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कलक्टर, जिला विवाद प्रतितोष पीठ, सूरत के समक्ष एक और तीसरा परिवाद (उपाबंध पी-13) फाइल किया गया था जिसमें अधिक विस्तृत तथ्यों सहित प्रथम दो परिवादों में किए गए अभिकथनों के लगभग समान अभिकथन किए गए और उसमें पूर्ववर्ती परिवादों में नामित अपराध कारित करने के लिए उन्हें अभियोजित करने की ईप्सा की गई ।

11. इन तीन परिवादों के परिणामस्वरूप खटोदरा पुलिस थाना, सूरत में तारीख 6 जून, 2016 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (2016 की सी.

आर. सं. आई. सी. आर. सं. 90) दर्ज की गई जिसके कारण नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्‌वारा और मामलों में अभिकथित रूप से अंतर्वलित अन्य व्यक्तियों की ओर से एक के बाद एक अनेक दांडिक आवेदन, जमानत याचिकाएं आदि फाइल की गईं ।

12. ये मामले पिछले चार वर्षों के दौरान निचले न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में भी एक के बाद एक फाइल किए गए थे । न्यायालयों ने अनेक आदेश पारित किए और उनमें मताभिव्यक्तियां कीं ।

13. अपीलों का प्रस्तुत समूह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 482 के अधीन ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों में नामित अभियुक्त व्यक्तियों द्‌वारा गुजरात उच्च न्यायालय में फाइल किए गए दांडिक आवेदनों से उद्भूत हुआ है, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है ।

14. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 10 जुलाई, 2017 के आक्षेपित निर्णय द्‌वारा दांडिक आवेदनों को भागतः मंजूर कर लिया और पैरा 88 में अंतर्विष्ट निर्णय का निम्नलिखित प्रवर्तनशील भाग पारित किया, जो कि इस प्रकार है :-

> "(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406, धारा 420 और धारा 120ख और अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का संबंध है, अभिखंडित की जाती है । जहां तक दो मिथ्या मुख्तारनामे तैयार करने और 73कक को मिटाने से संबंधित अभिकथनों का संबंध है, पुलिस आयुक्त, सूरत द्‌वारा इस संबंध में विधि के अनुसार अन्वेषण पूरा किया जाएगा ।
>
> (2) आयुक्त को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह उन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने भू-स्वामियों से संपर्क किया था और पुलिस आयुक्त, सूरत को संबोधित परिवादों पर उनके अंगूठों के निशान प्राप्त किए थे, अन्वेषण प्रारंभ करे । दूसरे शब्दों में, मैं

आयुक्त को यह निदेश देता हूं कि वह विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए ब्लैकमेल और उद्दापन के अभिकथनों का समुचित अन्वेषण प्रारंभ करे ।"

15. इसी निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षकारों, अर्थात्, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों ने व्यथित महसूस करते हुए ये अपीलें फाइल की हैं ।

16. जहां तक अभियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, उन्होंने आदेश के उस भाग को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उनके दांडिक आवेदनों को खारिज कर दिया है और उनके विरुद्ध अभिकथित कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया है । अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार, उच्च न्यायालय को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के एक भाग को अभिखंडित करने की बजाय संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित करनी चाहिए थी ।

17. जहां तक परिवादियों का संबंध है, उन्होंने निर्णय के उस भाग को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कुछ अपराधों के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किया है । परिवादियों के अनुसार, उच्च न्यायालय को संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखना चाहिए था क्योंकि वह वैध और उचित है और उसे अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार पूर्ण रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए था ।

18. इस प्रकार विशेष इजाजत लेकर की गई अपीलों के इस समूह में परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों की प्रेरणा से उनकी अपनी-अपनी अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष संपूर्ण संविवाद अब फिर से उठाया गया है ।

19. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी, डा. ए. एम. सिंघवी, श्री यतिन ओझा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और श्री शमिक संजनवाला और परिवादियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री दुष्यंत दवे और श्री हरिन पी. रावल की सुनवाई की गई ।

20. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान्

ज्येष्ठ काउन्सेल श्री मुकुल रोहतगी, डा. ए. एम. सिंघवी, श्री यतिन ओझा और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी-अपनी अपीलों में बलपूर्वक यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करके ठीक किया है किन्तु संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की कार्यवाही न करके गलती की है क्योंकि उन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए जिनके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित किया गया है, अन्वेषक प्राधिकारियों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के शेष भाग में, जिसे कायम रखा गया है, जांच के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है ।

21. इसी निवेदन पर सभी ज्येष्ठ काउन्सेलों द्वारा अनेक दस्तावेज़ों, मुकदमेबाज़ी के पूर्ववर्ती प्रक्रम पर और आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों का अवलंब लेते हुए यह दर्शित करने की दृष्टि से विस्तारपूर्वक चर्चा की गई कि संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इससे अभियुक्त व्यक्तियों का उत्पीड़न हुआ है । इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला साबित नहीं होता है क्योंकि पक्षकारों ने मामले का निर्धारण लिखित में करा लिया था और परिवादियों ने अभियुक्त व्यक्तियों से विशाल प्रतिफल स्वीकार कर लिया था इसलिए परिवादियों के लिए अब प्रश्नगत विषयवस्तु के संबंध में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने का कोई हेतुक उद्भूत नहीं होता है । विद्वान् काउन्सेलों के अनुसार, यह विवर्जित भी है ।

22. प्रत्युत्तर में, परिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री दुष्यंत दवे और हरिन पी. रावल ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए दांडिक आवेदनों को खारिज कर देना चाहिए था और संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को समग्र रूप से कायम रखना चाहिए था क्योंकि, उनके अनुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसमें नामित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होते थे । यह

दलील दी गई थी कि अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा विधि लागू नहीं होती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक समरूप मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है ।

23. विद्वान् काउन्सेल ने आगे यह दलील दी कि उच्च न्यायालय की ओर से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करने का विधिक न्यायोचित्य होने की बात तो अलग है, कोई भी न्यायोचित्य नहीं था और इसलिए उस सीमा तक निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

24. इसी निवेदन पर विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेलों द्वारा उनकी ओर से फाइल किए गए अनेक दस्तावेज़ों का अवलंब लेते हुए, जिसके अंतर्गत मुकदमेबाज़ी के पूर्ववर्ती प्रक्रम पर और आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों का अवलंब लेना भी शामिल है, विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इसके साथ-साथ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज़ों, जिसके अंतर्गत उनकी अंतर्वस्तु और शुद्धता भी है, इनकार किया ।

25. हम पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों की विस्तारपूर्वक सुनवाई करने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, परिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों के निवेदनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उनमें बल है जबकि हम अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों द्वारा दी गई दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं ।

26. इस प्रश्न के संबंध में विधि उचित रूप से सुस्थापित है कि कब किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण को संविधान के अनुच्छेद 226 या संहिता की धारा 482 के अधीन अभियुक्तों द्वारा उसे अभिखंडित करने की ईप्सा करते हुए चुनौती दी जाती है और उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं और उच्च न्यायालय को ऐसे प्रश्न के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए ।

27. इस न्यायालय को **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य** बनाम **स्वप्न कुमार गुहा और अन्य**[1] वाले मामले में इस विवाद्यक पर विचार

---

[1] [1983] 1 उम. नि. प. 12 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949.

करने का अवसर मिला । विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति वाई. वी. चन्द्रचूड़ ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किया :-

"क्या किसी अपराध का किया जाना प्रकट किया गया है अथवा नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए । यदि सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कोई अपराध प्रकट होता है तो न्यायालय सामान्यतः अपराध के संबंध में अन्वेषण करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा और साधारणतया अपराध को साबित करने के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु अपराध का अन्वेषण पूरा किया जाना अनुज्ञात करेगा ।

संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण के प्रारंभ के लिए पुरोभाव्य शर्त यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से प्रथमदृष्ट्या यह अवश्य ही प्रकट होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध किया गया है । यह कल्पना करना गलत है कि पुलिस को संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए अनियंत्रित विवेकाधिकार है । जांच के लिए उनका अधिकार संज्ञेय अपराध के किए जाने के लिए संदेह करने के कारण के अस्तित्व द्वारा सशर्त है और युक्तियुक्त रूप से उनके पास इस प्रकार संदेह करने के लिए तब तक कोई कारण नहीं हो सकता जब तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रथमदृष्ट्या ऐसे अपराध का किया जाना प्रकट न करती हो । यदि उस शर्त को पूरा किया जाता है तो अन्वेषण अवश्य ही किया जाना चाहिए । तब न्यायालय को अन्वेषण रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा करना संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण करने के लिए पुलिस की वैध शक्ति को काटना होगा ।"

28. विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जिसका इस न्यायालय द्वारा बाद के वर्षों में लगातार अनुसरण किया गया था, और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात्, हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय ने किसी न्यायोचित्यपूर्ण

कारण के बिना उपर्युक्त प्रश्न की परीक्षा करने के लिए 89 पृष्ठों का निर्णय दिया (पेपरबुक देखिए) और इसके पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का कुछ भाग विधि की दृष्टि से दूषित है क्योंकि इसमें किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का केवल एक भाग सही है जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट होता है और इसलिए उस सीमा तक उसमें विधि के अनुसार आगे अन्वेषण करने की आवश्यकता है ।

29. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने ऐसा करते समय वास्तव में मामले में उद्भूत होने वाले समस्त विवाद्यकों को, यह महसूस किए बिना कि वह इस प्रक्रम पर संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था, इस प्रकार विनिश्चित कर दिया जैसे कोई अन्वेषक प्राधिकारी या/और अपील प्राधिकारी विनिश्चित करता है ।

30. हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपनी उस अधिकारिता की सीमा का अनुभव करने में असफल रहा, जो कि वह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अनेक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की शिकायत करने वाली किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वैधता की परीक्षा करते समय प्रयोग करने के लिए धारण करता है । उच्च न्यायालय, इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तथ्यात्मक अंतर्वस्तु से कोई प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं, अन्वेषक अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही अपील न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । हमारी राय में, इस प्रश्न की परीक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और सबूत की अपेक्षा न करने वाली प्रथमदृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को ध्यान में रखते हुए, की जानी थी ।

31. इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और उस सामग्री से, जिसका अवलंब लिया गया है, अपना कोई निष्कर्ष निकाल सकता था । यह तो और भी कठिन था, जब उस सामग्री के संबंध में, जिसका

अवलंब लिया गया है, परिवादियों और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विवाद किया गया हो । ऐसी स्थिति में, इस प्रक्रम पर अन्वेषक प्राधिकारी का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह जांच करे और इसके पश्चात् जैसे ही आरोप पत्र फाइल कर दिया जाता है न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी सामग्री सहित उन प्रश्नों की परीक्षा करे कि ऐसी सामग्री का कितना और किस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है ।

32. हमारी सुविचारित राय में, जैसे ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है तो वह अपना कार्य रोक देगा और अन्वेषण मशीनरी को संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपराध का पता लगाने संबंधी जांच आरंभ करने की कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

33. मात्र इस तथ्य के आधार पर कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में मामले के प्रत्येक पहलू के संबंध में अधिक विस्तार से जांच की और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को भागतः अभिखंडित करने के लिए 89 पृष्ठों का निर्णय तैयार किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते समय अपनी शक्तियों के बाहर कार्य किया था । हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं ।

34. चूंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, जो कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, अपने स्वरूप में ही अंतर्निहित हैं इसलिए उन्हें किसी सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी शक्तियों की तुलना संहिता में परिभाषित उच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से की जा सकती है । अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणामस्वरूप मामले को विनिश्चित करते समय अधिकारिता संबंधी भूल कारित हो जाएगी । इस मामले में भी यही स्थिति है ।

35. ऊपर उल्लिखित तीन परिवादों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का

परिशीलन करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि परिवाद और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में परिवादियों द्वारा अभिकथित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या विभिन्न संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है और इसलिए उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को भागतः खारिज करने की बजाय प्रश्नगत संपूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को कायम रखने संबंधी आवेदन को पूर्ण रूप से खारिज कर देना चाहिए था ।

36. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों ने, बहस समाप्त होने के पश्चात् संक्षिप्त टिप्पण फाइल किया और अपनी दलीलों के समर्थन में **जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] और **हरशेन्द्र कुमार डी.** बनाम **रेवतीलता कोले**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के दो विनिश्चयों का अवलंब लिया । हमने दोनों विनिश्चयों का परिशीलन किया है । हमारी राय में, दोनों विनिश्चय तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय हैं जबकि वह विनिश्चय, जिसका हमने अवलंब लिया है, इस विषय से अधिक संबद्ध है । यह इस कारण है कि प्रथमतः, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान् काउन्सेलों द्वारा जिन दो विनिश्चयों का अवलंब लिया गया है वे ऐसे मामले थे जिनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन और दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अधीन न्यायालय में एक परिवाद फाइल किया गया था । इसी परिवाद को संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए अभिखंडित करने की ईप्सा की गई थी । इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है । द्वितीयतः, इसलिए इन विनिश्चयों में संबंधित मामलों में अंतर्वलित तथ्यों को मुद्दा बनाया गया ।

37. प्रस्तुत मामले में, विशेष रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने को चुनौती दी गई है । इस न्यायालय ने **स्वप्न कुमार गुहा** (उपर्युक्त) वाले मामले में किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को चुनौती दिए

---

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 730.

[2] (2011) 3 एस. सी. सी. 351.

जाने के संदर्भ में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किए जाने की परीक्षा की थी । अतः, हमारी राय में, उद्धृत किए गए दोनों विनिश्चयों में अधिकथित विधि के मुकाबले **स्वप्न कुमार गुहा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि इस मामले के तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है ।

38. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, अब यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले का अन्वेषण, जो कि प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विषयवस्तु है, अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए ।

39. हम जानबूझकर गुणागुण के आधार पर कोई मताभिव्यक्ति करने से विरत रहे हैं और मामले में उद्भूत होने वाले तथ्यात्मक विवाद्यकों पर अपना विनिश्चयाधार देने में भी विरत रहे हैं अन्यथा इससे पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हो सकता है और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा आरंभ की गई चालू अन्वेषण प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है ।

40. यद्यपि पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों ने सैंकड़ों दस्तावेजों के प्रति निर्देश करके मामले के गुणागुण से संबंधित मुद्दों पर बहस की किन्तु हमारी राय में, जब हम यह निष्कर्ष लेखबद्ध कर देते हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का, जिसके अंतर्गत उससे संलग्न दस्तावेज भी हैं, पठन करने पर प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तब तथ्य संबंधी क्षेत्र में प्रवेश करना पूर्णतः अनावश्यक है । इसलिए, हम उनकी दलीलों की विस्तारपूर्वक परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है इन सभी दलीलों और नासाबित किए गए और विवादित उन दस्तावेजों के संबंध में, जिनका पक्षकारों द्वारा अवलंब लिया गया था, जब भी अवसर उद्भूत होता है, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर कार्यवाही की जाएगी ।

41. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, परिवादियों द्वारा फाइल की गई अपीलें, अर्थात्, 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5476 और 5475 से उद्भूत दांडिक अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । हमारे आदेश के परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई अपीलें, अर्थात्, 2017 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5155, 5322, 5500 और 5867 से उद्भूत दांडिक अपीलें खारिज की जाती हैं ।

42. परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए दांडिक आवेदन, जिनसे ये अपीलें उद्भूत हुई हैं, खारिज किए जाते हैं ।

43. चूंकि यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट काफी समय से लंबित हैं, इसलिए हम अन्वेषण प्राधिकारियों को यह निदेश देते हैं कि वे किसी पक्षपात और पूर्वाग्रह के बिना शीघ्र इस मामले का अन्वेषण विधि के अनुसार पूरा करें और आगामी कार्यवाही करें ।

44. मामले को समाप्त करने से पूर्व, हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि इस आदेश का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि इनमें किसी मुद्दे को गुणागुण के आधार पर किसी भी रूप में विनिश्चित किया गया है । अतः, अन्वेषण प्राधिकारी मामले का अन्वेषण करते समय निचले न्यायालयों और उच्च न्यायालय द्वारा अपने-अपने आदेश में की गई किसी भी मताभिव्यक्ति से किसी भी रीति में प्रभावित नहीं होंगे ।

अपीलों का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.

जग राम और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(1990 की दांडिक अपील सं. 1445)

तारीख 7 दिसंबर, 2018

न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 397 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या और लूट – अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य – मृतकों को अभियुक्त के रिक्शे में अन्तिम बार देखे जाने के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य में एकरूपता – लूटे गए सामान की पंचों की मौजूदगी में बरामदगी – बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना – दो साक्षियों ने मृतकों को अन्तिम बार एक अभियुक्त के रिक्शे में सवार देखा था जिसे दूसरा अभियुक्त चला रहा था और साथ ही दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटा हुआ सामान बरामद किया गया है, अतः अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 28 जुलाई, 1986 को पूर्वाह्न 11 बजे रामप्रकाश निगम द्वारा एक लिखित सूचना पुलिस थाना मौदहा में इस संबंध में दर्ज कराई गई कि उसके ग्राम भैसता के पहले पवार नाले में अज्ञात शव पड़े हुए हैं जिनमें से दुर्गंध आ रही है और कुत्ते और गिद्ध खा रहे हैं । उसी जगह पर इन शवों के अंगों के कुछ भाग भी पड़े हुए दिखाई दिए हैं जिन्हें पहले से कुत्तों और गिद्धों ने खाया हुआ है और शवों की अस्थियां भी इधर-उधर पड़ी हुई हैं । उक्त सूचना के आधार पर कांस्टेबल-मुहर्रिर राम सजीवन ने तारीख 28 जुलाई, 1986 को यह सूचना रोजनामचे में रिपोर्ट सं. 16 के रूप में पूर्वाह्न 11 बजे दर्ज की । इसके पश्चात् इस मामले का अन्वेषण राम

राज सिंह (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया जो घटनास्थल के लिए तुरन्त रवाना हुआ और शवों के टुकड़ों की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-3 और प्रदर्श क-6 तैयार की । इसके पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के पश्चात् दोनों शवों को कांस्टेबल दिनेश चन्द्र और हीरा मणि को शवपरीक्षण के लिए सौंप दिया । तारीख 3 अगस्त, 1986 को राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) कुछ व्यक्तियों के साथ पुलिस थाने आया जिसने शवों पर पाए गए वस्त्रों की शनाख्त के आधार पर पहचानकर बताया कि ये शव करन वीर और मैना देवी के हैं । इसके पश्चात्, राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 394/302 के अधीन अपराध मामला सं. 168/1986 दर्ज कराया गया । तारीख 3 अगस्त, 1986 को अन्वेषण अधिकारी ने राम सरन सिंह, रणवीर सिंह, रणधीर सिंह के कथन अभिलिखित किए और इसके पश्चात् वह ग्राम भैसता के लिए रवाना हुआ जहां उसने रामप्रकाश निगम और जीवा लाल आदि व्यक्तियों से पूछताछ की तथा उनके कथन अभिलिखित किए और साथ ही स्थल-नक्शा (प्रदर्श क-8) तैयार किया । तारीख 4 अगस्त, 1986 को अन्वेषण अधिकारी ने अब्दुल हमीद और कल्लू के कथन अभिलिखित किए जिन्होंने यह बताया कि तारीख 23 जुलाई, 1986 को अपराह्न लगभग 7.30 बजे उन्होंने देखा कि अभियुक्त जगराम एक लड़के और एक लड़की को कुछ सामान के साथ अपने रिक्शे से ले जा रहा है । उपरोक्त सूचना के आधार पर, सर्किल आफिसर पुलिस कार्मिकों के साथ इत्तिलाकर्ता राम सरन को लेकर ग्राम सिजनोदा गया । टीकरी रोड पर अभियुक्त जग राम की मुलाकात पुलिस कार्मिकों से हुई । उसे निरुद्ध कर लिया गया और पहले तो जगराम ने टालमटोल की किन्तु बाद में उसने संस्वीकृत किया कि उसने दोनों मृतकों की हत्या कल्लू की सहायता से की है और पुलिसवालों को बताया कि मृतकों के शरीर पर जो भी वस्तुएं थीं, वे उन्होंने कल्लू के घर में भूसे में छिपा दी हैं । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने कल्लू को गिरफ्तार किया और उसने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंनें लूट का सामान अपने घर के भूसे के ढेर में छिपाया है । इसके पश्चात्, कल्लू पुलिसवालों को अपने घर ले गया,

भूसे के ढेर में से एक थैला निकाला और उसे अन्वेषण अधिकारी को साक्षियों की मौजूदगी में सौंप दिया । अन्वेषण और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 302, 394, 411 और 376 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । चूंकि मामला पूर्णतया सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जहां पर इसे विशेष मामला सं. 117/1986 के रूप में दर्ज किया गया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) हमीरपुर ने पुलिस थाना मौदहा, हमीरपुर में दर्ज किए गए इस मामले में दंड संहिता की धारा 302/34, 376, 411, 394 और डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 की धारा 2ख और धारा 10/12 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने की मांग की । तथापि, विद्वान् विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), हमीरपुर ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा और निर्धारण करने के पश्चात् ऊपर उपदर्शित रूप में अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी जग राम और कल्लू ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी कल्लू की मृत्यु हो गई इसलिए उसकी अपील उपशमित कर दी गई और जग राम की अपील पर सुनवाई की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई अगली दलील यह है कि लूटे गए सामान की बरामदगी संदिग्ध है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि यह बरामदगी दोनों अभियुक्तों अर्थात् कल्लू और जग राम के प्रकटीकरण के आधार पर तथा इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) और राम सिंह (अभि. सा. 4) की मौजूदगी में अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर से की गई है । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह सिजनौदा ग्राम में सर्किल अधिकारी के साथ जा रहा था, तब अभियुक्त जग राम उन्हें मिला जिसने पूछताछ किए जाने पर यह

संस्वीकृत किया कि उसने दोनों मृतकों की हत्या कल्लू की सहायता से की है और यह भी स्वीकार किया कि उसने मृतकों का सामान भी लूटा है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे जा रहे थे, तब उन्होंने अभियुक्त कल्लू को आते हुए देखा था, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था । पूछताछ किए जाने पर शुरु-शुरु में उसने बहाना बनाया किन्तु तत्पश्चात् उसने स्वीकार किया कि लूटा हुआ सामान उसके पास है और वह उसे बरामद कराने के लिए भी सहमत हो गया । इसके पश्चात्, अभियुक्त कल्लू ने साक्षियों की मौजूदगी में अपने घर में रखे भूसे के ढेर में से एक थैला निकाला और पुलिस को सौंप दिया जिसमें रखा सामान प्रदर्श क-10 से प्रदर्श क-17 है । घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने करन वीर सिंह और मैना देवी की हत्या किए जाने की घटना के बारे में सुना था । तारीख 4 अगस्त, 1986 को जब वह पुलिस थाना मौदहा के लिए जा रहा था, ग्राम सिजनौदा पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त जग राम को गिरफ्तार किया हुआ है जिसने यह संस्वीकृत किया कि उसने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर मृतकों का सामान लूटा है और उसके पश्चात् उसने उनकी हत्या की है और लूटे हुए सामान को सह-अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर में छिपाया है और इस बात पर दोनों अभियुक्त सहमत हुए कि वे लूटा हुआ सामान बरामद करा सकते हैं । दोनों अभियुक्तों ने अभि. सा. 3 की मौजूदगी में लूटा हुआ सामान पुलिस को सुपुर्द कर दिया । अभि. सा. 3 ने भी न्यायालय में लूटे हुए सामान की शनाख्त की है । बरामद किए गए सामान की शनाख्त इत्तिलाकर्ता राम सरन सिंह (अभि. सा. 1), रणवीर सिंह और रणधीर सिंह द्वारा की गई है । राम सिंह (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त जग राम को पूर्वाहन 9 बजे गिरफ्तार किया गया था । उसके थोड़ी देर बाद अभियुक्त कल्लू को गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त जग राम ने उसकी मौजूदगी में अपना दोष संस्वीकृत किया था और पुलिस अधिकारियों को यह बताया था कि हत्या करने के पश्चात् लूटे हुए सामान को कल्लू के घर में रखा गया था ।

थोड़े समय अंतराल के पश्चात् अभियुक्त कल्लू जो दूसरी ओर से आ रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मौजूदगी में दोनों अभियुक्तों ने लूटा हुआ सामान पुलिस को दिया था जो एक पैकेट में रखा हुआ था । यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु उनके परिसाक्ष्य से कोई भी ऐसी सामग्री सामने नहीं आई है जो संदिग्ध हो । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी जग राम ने अपने न्यायेतर संस्वीकृति कथन में स्वीकार किया है कि दोनों मृतकों ने उसके रिक्शे में 20/- रुपए किराए पर सवारी की थी जिसे देवेन्द्र चला रहा था और उसने सह-अभियुक्त कल्लू की सहायता से यह अपराध कारित किया है तथा लूटे हुए सामान को छिपाया था जिसमें एक छोटा ट्रांजिस्टर-ब्रांड सोनी, एक चांदी का बिछुआ - वजन 250 ग्राम, एक जोड़ी चांदी की पाजेब - वजन 500 ग्राम, सोने की एक हंसुली - वजन 2 तोला, सोने की एक लोंग, चांदी के चार बिछुए, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड रीको सुपरटाइम, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड हेनरी सेन्डोज सम्मिलित हैं और अभियुक्त जग राम के इशारे पर यह सामान अभियुक्त कल्लू के घर से भूसे में से बरामद किया गया था । वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के निशानदेही पर लूटा हुआ सामान भूसे के ढेर में से बरामद किया गया है जो सह-अभियुक्त कल्लू के मकान के प्रथम तल पर रखा हुआ था जो केवल दोनों अभियुक्तों की ही जानकारी में था । इसके अतिरिक्त, दोनों अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में अभियोजन पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध रखे गए अपराधजन्य साक्ष्य से मात्र इनकार किया है और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । दोनों में से किसी अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उपर्युक्त आभूषण और वस्तुएं उनके पास कैसे आई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्तों के दोषी होने के सिवाए अन्य कोई मत संभव हो । मृतकों के आभूषण और उनका सामान अभियुक्तों के पास पाए जाने

और इस संबंध में स्पष्टीकरण न दिए जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध यह उपधारण किया जा सकता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है और इससे साक्ष्य की श्रृंखला संपूर्ण होती है । इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों को किसी भी प्रकार लागू नहीं होगा । तथापि, वर्तमान मामले में काफी सामान अर्थात् एक छोटा ट्रांजिस्टर- ब्रांड सोनी, एक चांदी का बिछुआ - वजन 250 ग्राम, एक जोड़ी चांदी की पाजेब - वजन 500 ग्राम, सोने की एक हंसुली - वजन 2 तोला, सोने की एक लोंग, चांदी के चार बिछुए, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड रीको सुपरटाइम, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड हेनरी सेन्डोज अपीलार्थी जगराम की निशानदेही पर सह-अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर में से राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) और घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में बरामद किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों ने साक्षियों के समक्ष यह संस्वीकृत किया है कि उन्होंने दोनों मृतकों की हत्या की है । ऊपर उपदर्शित चर्चा को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन सफलतापूर्वक साबित किया है । (पैरा 25, 26, 35, 39 और 42)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017]	(2017) 2 ए. सी. आर. 2059 = (2017) 5 ए. एल. जे. 546 : **जग राम और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	37
[2016]	(2016) 1 एस. सी. सी. 550 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3430 : **निजाम और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	21, 29
[2003]	ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1433 : **भरत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	21, 32
[2002]	ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 620 : **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह** ;	21, 31

[2000]	ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू** ;	36
[1999]	(1999) 4 एस. सी. सी. 370 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1293 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जीत सिंह** ;	34
[1997]	ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1843 : **सेवा कौर** बनाम **पंजाब राज्य** ;	33
[1995]	ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2345 : **जैकरन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	21, 28
[1983]	ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 367 : **मोहम्मद अब्दुल हफीज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	21,30
[1947]	ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 : **पुलुकुरी कोट्टाया** बनाम **सम्राट** ।	21, 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1990 की दांडिक अपील सं. 1445.

1986 के विशेष मामला सं. 117 में विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र), हमीरपुर द्वारा तारीख 24 जुलाई, 1990 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. एस. सिंह और जयप्रकाश त्रिपाठी

प्रत्यर्थी की ओर से जिला सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – यह दांडिक अपील 1986 के विशेष मामला सं. 117 में विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र), हमीरपुर द्वारा तारीख 24 जुलाई, 1990 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा दंड संहिता की धारा 394 के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास और

धारा 411 के अधीन 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । तथापि, सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया ।

2. चूंकि अपीलार्थी कल्लू की मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान हो गई है, इसलिए उसकी ओर से फाइल की गई अपील इस न्यायालय के तारीख 19 मई, 2017 के आदेश द्वारा उपशमित कर दी गई थी ।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 28 जुलाई, 1986 को पूर्वाह्न 11 बजे रामप्रकाश निगम द्वारा एक लिखित सूचना पुलिस थाना मौदहा में इस संबंध में दर्ज कराई गई कि उसके ग्राम भैसता के पहले पवार नाले में अज्ञात शव पड़े हुए हैं जिनमें से दुर्गंध आ रही है और कुत्ते और गिद्ध खा रहे हैं । उसी जगह पर इन शवों के अंगों के कुछ भाग भी पड़े हुए दिखाई दिए हैं जिन्हें पहले से कुत्तों और गिद्धों ने खाया हुआ है और शवों की अस्थियां भी इधर-उधर पड़ी हुई हैं ।

4. उक्त सूचना के आधार पर कांस्टेबल-मुहर्रिर राम सजीवन ने तारीख 28 जुलाई, 1986 को यह सूचना रोजनामचे में रिपोर्ट सं. 16 के रूप में पूर्वाह्न 11 बजे दर्ज की । इसके पश्चात् इस मामले का अन्वेषण राम राज सिंह (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया जो घटनास्थल के लिए तुरन्त रवाना हुआ और शवों के टुकड़ों की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क3 और प्रदर्श क6 तैयार की । इसके पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के पश्चात् दोनों शवों को कांस्टेबल दिनेश चन्द्र और हीरा मणि को शवपरीक्षण के लिए सौंप दिया ।

5. तारीख 3 अगस्त, 1986 को राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) कुछ व्यक्तियों के साथ पुलिस थाने आया जिसने शवों पर पाए गए वस्त्रों की शनाख्त के आधार पर पहचानकर बताया कि ये शव करन वीर और मैना देवी के हैं । इसके पश्चात्, राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 394/302 के अधीन अपराध मामला सं. 168/1986 दर्ज कराया गया । तारीख 3 अगस्त, 1986 को अन्वेषण अधिकारी ने राम सरन सिंह, रणवीर सिंह, रणधीर सिंह के कथन अभिलिखित किए और इसके पश्चात् वह ग्राम भैसता के

लिए रवाना हुआ जहां उसने रामप्रकाश निगम और जीवा लाल आदि व्यक्तियों से पूछताछ की तथा उनके कथन अभिलिखित किए और साथ ही स्थल-नक्शा (प्रदर्श क8) तैयार किया । तारीख 4 अगस्त, 1986 को अन्वेषण अधिकारी ने अब्दुल हमीद और कल्लू के कथन अभिलिखित किए जिन्होंने यह बताया कि तारीख 23 जुलाई, 1986 को अपराह्न लगभग 7.30 बजे उन्होंने देखा कि अभियुक्त जगराम एक लड़के और एक लड़की को कुछ सामान के साथ अपने रिक्शे से ले जा रहा है । उपरोक्त सूचना के आधार पर, सर्किल आफिसर पुलिस कार्मिकों के साथ इत्तिलाकर्ता राम सरन को लेकर ग्राम सिजनोदा गया । टीकरी रोड पर अभियुक्त जगराम की मुलाकात पुलिस कार्मिकों से हुई । उसे निरुद्ध कर लिया गया और पहले तो जगराम ने टालमटोल की किन्तु बाद में उसने संस्वीकृत किया कि उसने दोनों मृतकों की हत्या कल्लू की सहायता से की है और पुलिसवालों को बताया कि मृतकों के शरीर पर जो भी वस्तुएं थीं, वे उन्होंने कल्लू के घर में भूसे में छिपा दी हैं । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने कल्लू को गिरफ्तार किया और उसने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंनें लूट का सामान अपने घर के भूसे के ढेर में छिपाया है । इसके पश्चात्, कल्लू पुलिसवालों को अपने घर ले गया, भूसे के ढेर में से एक थैला निकाला और उसे अन्वेषण अधिकारी को साक्षियों की मौजूदगी में सौंप दिया । कल्लू के घर से निम्न वस्तुएं बरामद की गई :–

1. एक छोटा ट्रांजिस्टर - ब्रांड सोनी
2. एक चांदी का बिछुआ - वजन 250 ग्राम
3. एक जोड़ी चांदी की पाजेब - वजन 500 ग्राम
4. सोने की एक हंसुली - वजन 2 तोला
5. सोने की एक लौंग
6. चांदी के चार बिछुए
7. एक हाथ-घड़ी - ब्रांड रीको सुपरटाइम
8. एक हाथ-घड़ी - ब्रांड हेनरी सेन्डोज

6. अन्वेषण और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 302, 394, 411 और 376 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

7. चूंकि मामला पूर्णतया सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जहां पर इसे विशेष मामला सं. 117/1986 के रूप में दर्ज किया गया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) हमीरपुर ने पुलिस थाना मौदहा, हमीरपुर में दर्ज किए गए इस मामले में दंड संहिता की धारा 302/34, 376, 411, 394 और डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 की धारा 2ख और धारा 10/12 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

8. अपीलार्थी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 7 साक्षियों की परीक्षा कराई जिनमें से राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) अर्थात् इस मामले का इत्तिलाकर्ता, शिव पाल सिंह (अभि. सा. 2) और अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) मृतक को अन्तिम बार देखने वाले साक्षी हैं, घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3), राम सिंह (अभि. सा. 4) बरामदगी के साक्षी हैं, श्री राम राज सिंह इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है और हैड कांस्टेबल विष्णु जी अवस्थी (अभि. सा. 7) ने रोजनामचा साबित किया है ।

9. राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक करन वीर सिंह उसके भाई का पुत्र अर्थात् भतीजा था । उसका विवाह इस घटना के लगभग सवा वर्ष पूर्व मृतका मैना देवी के साथ हुआ था । इत्तिलाकर्ता का परिवार एक संयुक्त हिन्दू परिवार है और वह अपने परिवार का कर्ता है । तारीख 23 जुलाई, 1986 को दोनों मृतकों ग्राम टीकरी के लिए रवाना हुए । मृतक करन ने लाइनदार सफेद कमीज, काली पेंट और लाल जांघिया पहना हुआ था । उसके हाथ पर खड़ी भी बंधी हुई थी । मृतक मैना देवी ने सोने की अंगूठी, सोने की लोंग, सोने की हंसुली, कमर में चांदी का बिछुआ, सोने की चूड़ियां और पायल पहनी हुई थी जिन्हें इत्तिलाकर्ता ने उस समय

देख लिया था जब वे टीकरी के लिए रवाना हुए थे । दोनों मृतकों के पास टिन का पुराना बक्सा और एक रैक्सिन की अटैची थी जिसमें उन्होंने कुछ आभूषण और वस्त्र रखे हुए थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पूर्वाह्न 7.30 बजे उन्हें मझगवा पर बस से रवाना किया था । तारीख 1 अगस्त, 1986 को मृतका मैना देवी का बड़ा भाई रणधीर सिंह इस साक्षी के पास आया और उससे पूछा कि उसने मृतका मैना देवी को क्यों नहीं भेजा है, इस पर इस साक्षी ने रणधीर सिंह को बताया कि वह पहले ही अर्थात् तारीख 23 जुलाई, 1986 को चली गई है । रणधीर सिंह द्वारा बताए जाने पर कि ग्राम भैसता में दो शव पाए गए हैं, जिनमें से एक किसी पुरुष का और दूसरा किसी महिला का है, इस पर वह चिन्तित हो गया । तारीख 2 अगस्त, 1986 को यह साक्षी अन्य व्यक्तियों के साथ मृतका को तलाश करता रहा किन्तु कोई सफलता न मिली । तारीख 3 अगस्त, 1986 को जब वे पुलिस थाना मौदहा पहुंचे तब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दोनों मृतकों के कपड़े दिखाए । कपड़ों के आधार पर उन्हें पता चला कि मृतक करन वीर और मैना देवी की हत्या की गई है । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाना मौदहा में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क1) दर्ज कराई । इत्तिलाकर्ता ने कपड़े पहचान लिए जो दोनों मृतकों ने तारीख 23 जुलाई, 1986 को पहने हुए थे । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता ने बरामद किए गए सामान को पहचाना । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि कल्लू के मकान से उसकी मौजूदगी में बरामदगी की गई थी ।

10. शिव पाल सिंह (अभि. सा. 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह देवी दयाल और उसके परिवार को जानता है । देवी दयाल की पुत्री मैना देवी का विवाह मौदहा के निवासी करन वीर सिंह के साथ हुआ था । तारीख 23 जुलाई, 1986 को इस साक्षी ने देवेन्द्र से 20/- रुपए किराए पर एक रिक्शा, जो कि जग राम का था, मैना देवी और करन वीर सिंह के पास टीकरी जाने के लिए लिया और इस साक्षी ने स्वयं यह रिक्शा चलाया । मृतका मैना देवी के पास एक बक्सा था । अभियुक्त जग राम ग्राम विदेश्वर का निवासी है । 11-12 दिन बाद उसने सुना कि करन वीर सिंह और मैना देवी का

सामान लूटकर उनकी हत्या कर दी गई है । इसके पश्चात्, वह पुलिस थाने गया और इस घटना के बारे में पुलिस को बताया ।

11. घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसने करन वीर सिंह और मैना देवी की हत्या किए जाने की घटना के बारे में सुना था । तारीख 4 अगस्त, 1986 को जब वे पुलिस थाना मौदहा जा रहे थे तब ग्राम सिजनौदा में उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस अधिकारी अभियुक्त जग राम को गिरफ्तार किए हुए थे जिसने यह संस्वीकृत किया कि उसने मृतकों का सामान लूटा है और उनकी हत्या की है किन्तु उसने अभी लूट का सामान बांटा नहीं है और उसने कल्लू के मकान में भूसे के ढेर में छिपा रखा है और वह यह सामान बरामद कराने के लिए सहमत हो गया । जब अभियुक्त जग राम पुलिस के साथ जा रहा था तब दूसरी ओर से कल्लू आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने उसकी मौजूदगी में लूटा हुआ सामान पुलिस को सुपुर्द किया था ।

12. राम सिंह (अभि. सा. 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त जग राम को जानता है । लगभग दो वर्ष पूर्व अभियुक्त को पूर्वाह्न 9 बजे गिरफ्तार किया गया था । कुछ समय पश्चात् अभियुक्त कल्लू को भी गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त जग राम ने अपना दोष उसकी मौजूदगी में संस्वीकृत किया था और पुलिस अधिकारियों को यह बताया कि मृतकों की हत्या करने के पश्चात् लूटा हुआ वह सामान कल्लू के घर में रखा गया था और उसका बटवारा नहीं किया गया था । थोड़े समय पश्चात् अभियुक्त कल्लू जो दूसरी ओर से आ रहा था, को भी गिरफ्तार कर लिया गया । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त जग राम और कल्लू ने उसकी मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों को लूटा हुआ सामान सौंपा था ।

13. राम राज सिंह (अभि. सा. 5) इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है जिसने अन्वेषण करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया । इस साक्षी के साक्ष्य पर विस्तार से पहले ही ऊपर चर्चा की गई है ।

14. अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि लगभग सवा दो साल पहले लगभग अपराह्न 7.30 बजे जब वह अपने फ्लोर-मिल के बाहर कल्लू के साथ बैठा हुआ था, उसने देखा कि अभियुक्त जग राम जो रिक्शा चलाया करता था, उसके रिक्शे पर एक महिला आयु 17-18 वर्ष और एक पुरुष आयु 20-22 वर्ष बैठे हुए थे । उन दोनों के पास एक बक्सा और अटैची भी थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अभियुक्त जग राम को जानता था जो उसके फ्लोर-मिल पर आया करता था । यह पता चलने पर कि दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, उसने इस संबंध में पुलिस को बताया ।

15. विष्णु जी अवस्थी (अभि. सा. 7) वर्ष 1996 में पुलिस थाना मौदहा में हैड मुहर्रिर था जिसने रोजनामचा (प्रदर्श क-14) की शनाख्त की है ।

16. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनमें उन्होंने उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और यह कथन किया कि उन्हें इस मामले में शत्रुता के कारण मिथ्या फंसाया गया है और उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी भी प्रस्तुत किया है ।

17. जिया लाल (प्रतिरक्षा साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त कल्लू, जग राम और सूरज को पुलिस द्वारा तारीख 2 अगस्त, 1986 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है और उनकी गिरफ्तारी तारीख 4 अगस्त, 1986 को की गई दर्शाई गई है ।

18. तथापि, विद्वान् विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), हमीरपुर ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा और निर्धारण करने के पश्चात् ऊपर उपदर्शित रूप में अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है ।

19. इसीलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

20. विद्वान् न्यायमित्र श्री आर. डी. यादव और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री ए. एन. मुल्ला की सुनवाई की गई है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया है ।

20क. विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और किसी ने भी अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतकों को ले जाते हुए और अपराध कारित करते हुए नहीं देखा है और यह भी दलील दी है कि अन्तिम बार देखने वाले साक्षी अर्थात् शिव पाल सिंह (अभि. सा. 2) और अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन न तो विश्वसनीय है और न ही ग्राह्य है । विद्वान् न्यायमित्र ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी को पुलिस द्वारा मिथ्या फंसाया गया था किन्तु इस न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । विद्वान् न्यायमित्र ने अंत में यह दलील दी है कि अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) पुलिस का एक बनावटी साक्षी है ।

21. अपनी दलील के समर्थन में विद्वान् न्यायमित्र ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न विनिश्चयों का अवलंब लिया है :–

1. **पुलुकुरी कोट्टाया** बनाम **सम्राट**[1] ;
2. **जैकरन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] ;
3. **निजाम और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] ;
4. **मोहम्मद अब्दुल हफीज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[4] ;
5. **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह**[5] ;
6. **भरत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[6] ।

---

[1] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67.

[2] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2345.

[3] (2016) 1 एस. सी. सी. 550 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3430.

[4] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 367.

[5] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 620.

[6] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1433.

22. इसके प्रतिकूल विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि दोनों मृतकों को अभियुक्त-अपीलार्थी जग राम लेकर जा रहा था और तत्पश्चात् सह-अभियुक्त कल्लू की सहायता से उनकी हत्या कर दी । यह भी दलील दी गई है कि शव नाले में पड़े पाए गए हैं और किसी भी व्यक्ति ने यह घटना नहीं देखी है, अतः, इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक अभिलेख पर अन्तिम बार देखने वाले साक्ष्य को अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है और साथ ही अपीलार्थी के कहने पर लूटे गए सामान की बरामदगी को साबित किया है, अतः हत्या का आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है ।

23. अभियोजन पक्षकथन सम्पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में विधि सुस्थिर है कि वे परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का पता चलता है, पूर्ण रूप से साबित की जानी चाहिए और वे निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए और उनमें किसी कड़ी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के साथ संगत होनी चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार यह अधिकथित किया गया है कि ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है दोषी होने का निष्कर्ष केवल तब न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब सभी अपराधजन्य तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता और अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ मेल न खाती हों ।

24. जहां तक विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई दलील का संबंध है यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतक को ले जाते हुए और अपराध कारित करते हुए नहीं देखा है और यह भी दलील दी है कि अंतिम बार देखने वाले साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 का साक्ष्य न तो विश्वसनीय है और न ही तर्कसम्मत है, यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह देवी दयाल और उसके परिवार को

जानता है । देवी दयाल की पुत्री का विवाह मौदहा के निवासी करन वीर सिंह के साथ हुआ है । तारीख 23 जुलाई, 1986 को उसने मैना देवी और करन वीर सिंह के यहां टीकरी जाने के लिए देवेन्द्र से रिक्शा 20 रुपए किराए पर लिया । वह रिक्शा अभियुक्त जग राम का था और अभि. सा. 2 ने स्वयं वह रिक्शा चलाया था । मृतका मैना देवी के पास एक बक्सा था । अभियुक्त जग राम ग्राम विदेश्वर का निवासी है । उसने 11-12 दिन बाद यह सुना कि करन वीर सिंह और मैना देवी का सामान लूटकर किसी ने उनकी हत्या कर दी है । इसके पश्चात्, वह पुलिस थाने गया और उसने पुलिस अधिकारियों को घटना के बारे में बताया । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि सह-ग्रामवासी होने के नाते उसने अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दिया है । अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग सवा दो वर्ष पूर्व लगभग अपराह्न 7.30 बजे जब वह कल्लू के साथ फ्लोर मिल के बाहर बैठा हुआ था, उसने अभियुक्त जग राम को रिक्शा चलाते हुए देखा जिस पर दो व्यक्ति सवार थे जिनमें एक महिला (आयु लगभग 17-18 वर्ष) और एक पुरुष (आयु लगभग 20-22 वर्ष) थे । उनके पास एक बक्सा और एक अटैची थी । वह अभियुक्त जग राम को जानता था जो उसके फ्लोर मिल पर आया करता था । दोनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 का साक्ष्य संगत है जहां तक अंतिम बार देखे जाने वाले साक्ष्य का संबंध है और इन साक्षियों के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है ।

25. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई अगली दलील यह है कि लूटे गए सामान की बरामदगी संदिग्ध है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि यह बरामदगी दोनों अभियुक्तों अर्थात् कल्लू और जग राम के प्रकटीकरण के आधार पर तथा इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) और राम सिंह (अभि. सा. 4) की मौजूदगी में अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर से की गई है । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह सिजनौदा ग्राम में सर्किल अधिकारी के साथ जा रहा था, तब अभियुक्त जग राम उन्हें मिला जिसने पूछताछ किए जाने पर यह संस्वीकृत किया कि उसने दोनों मृतकों की हत्या कल्लू की सहायता से

की है और यह भी स्वीकार किया कि उसने मृतकों का सामान भी लूटा है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे जा रहे थे, तब उन्होंने अभियुक्त कल्लू को आते हुए देखा था, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था । पूछताछ किए जाने पर पहले तो उसने बहाना बनाया किन्तु तत्पश्चात् उसने स्वीकार किया कि लूटा हुआ सामान उसके पास है और वह उसे बरामद कराने के लिए भी सहमत हो गया । इसके पश्चात्, अभियुक्त कल्लू ने साक्षियों की मौजूदगी में अपने घर में रखे भूसे के ढेर में से एक थैला निकाला और पुलिस को सौंप दिया जिसमें रखा सामान प्रदर्श क-10 से प्रदर्श क-17 है । घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने करन वीर सिंह और मैना देवी की हत्या किए जाने की घटना के बारे में सुना था । तारीख 4 अगस्त, 1986 को जब वह पुलिस थाना मौदहा के लिए जा रहा था, ग्राम सिजनौदा पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त जग राम को गिरफ्तार किया हुआ है जिसने यह संस्वीकृत किया कि उसने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर मृतकों का सामान लूटा है और उसके पश्चात् उसने उनकी हत्या की है और लूटे हुए सामान को सह-अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर में छिपाया है और इस बात पर दोनों अभियुक्त सहमत हुए कि वे लूटा हुआ सामान बरामद करा सकते हैं । दोनों अभियुक्तों ने अभि. सा. 3 की मौजूदगी में लूटा हुआ सामान पुलिस को सुपुर्द कर दिया । अभि. सा. 3 ने भी न्यायालय में लूटे हुए सामान की शनाख्त की है । बरामद किए गए सामान की शनाख्त इत्तिलाकर्ता राम सरन सिंह (अभि. सा. 1), रणवीर सिंह और रणधीर सिंह द्वारा की गई है ।

26. राम सिंह (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त जग राम को पूर्वाह्न 9 बजे गिरफ्तार किया गया था । उसके थोड़ी देर बाद अभियुक्त कल्लू को गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त जग राम ने उसकी मौजूदगी में अपना दोष संस्वीकृत किया था और पुलिस अधिकारियों को यह बताया था कि हत्या करने के पश्चात् लूटे हुए सामान को कल्लू के घर में रखा गया था । थोड़े समय अंतराल के पश्चात् अभियुक्त कल्लू जो दूसरी ओर से आ रहा था, गिरफ्तार कर

लिया गया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मौजूदगी में दोनों अभियुक्तों ने लूटा हुआ सामान पुलिस को दिया था जो एक पैकेट में रखा हुआ था । यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु उनके परिसाक्ष्य से कोई भी ऐसी सामग्री सामने नहीं आई है जो संदिग्ध हो । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी जग राम ने अपने न्यायेतर संस्वीकृति कथन में स्वीकार किया है कि दोनों मृतकों ने उसके रिक्शे में 20/- रुपए किराए पर सवारी की थी जिसे देवेन्द्र चला रहा था और उसने सह-अभियुक्त कल्लू की सहायता से यह अपराध कारित किया है तथा लूटे हुए सामान को छिपाया था जिसमें एक छोटा ट्रांजिस्टर- ब्रांड सोनी, एक चांदी का बिछुआ - वजन 250 ग्राम, एक जोड़ी चांदी की पाजेब - वजन 500 ग्राम, सोने की एक हंसुली - वजन 2 तोला, सोने की एक लोंग, चांदी के चार बिछुए, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड रीको सुपरटाइम, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड हेनरी सेन्डोज सम्मिलित हैं और अभियुक्त जग राम के इशारे पर यह सामान अभियुक्त कल्लू के घर से भूसे में से बरामद किया गया था ।

27. **पुलुकुरी कोट्टाया** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर विचार करते हुए निम्न मत व्यक्त किया है :-

> "इस धारा के अन्तर्गत 'प्रकट तथ्य' को प्रस्तुत की गई वस्तु के समान मान लेना ठीक नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त की जानकारी और उसके द्वारा दी गई सूचना का संबंध प्रकट तथ्य से न हो जाए । किसी वस्तु का भूतकाल में प्रयोग किए जाने की सूचना का संबंध उसकी बरामदगी से नहीं होता है । अभिरक्षा में चल रहे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई यह जानकारी कि मैं छत पर या घर में छिपाए गए चाकू को बरामद करा सकता हूं, चाकू की बरामदगी की कोटि में नहीं आ सकती; चाकू कई वर्ष पहले बरामद कर लिया गया था । अभियुक्त के कथन से यह पता चलता है कि उसने घर में चाकू छिपाया था और यदि यह साबित किया जाता है

कि वह चाकू अपराध कारित किए जाने में प्रयोग किया गया है, तब अभियुक्त द्वारा दी गई ऐसी जानकारी अत्यंत सुसंगत होगी । किन्तु अभियुक्त द्वारा जोड़े गए ये शब्द कि उसने किसी व्यक्ति विशेष को यह चाकू घोंपा था, अग्राह्य होंगे क्योंकि यह साबित नहीं किया जा सका है कि चाकू का प्रयोग अपराध में किया गया है, अतः अभियुक्त के मकान से की गई बरामदगी सुसंगत नहीं मानी जाएगी ।"

28. **जैकरन सिंह** (उपरोक्त) वाला ऐसा मामला है जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित प्रकटीकरण कथन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप न होने की दशा में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा कथन अविश्वसनीय माना जाएगा ।

29. **निजाम और एक अन्य** (उपरोक्त) वाला एक ऐसा मामला है जिसमें अन्वेषण के दौरान बहुत सी स्पष्ट कमियां पाई गई हैं और चोरी किए गए सामान की बरामदगी न होना, उस हथियार की बरामदगी न होना जिससे खरोंचें कारित की गई हैं जैसे अन्वेषण प्रक्रिया में कई जगह पर लोप हैं; अभि. सा. 2 द्वारा मिथ्या मामला दर्ज कराया गया है जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा लूटा गया है; शव की शनाख्त नहीं की गई है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मृतक ग्राम मनिया कैसे पहुंचा और उसके गुप्तांग (शिश्न) पर क्षतियां कैसे कारित हुईं ।

30. **मोहम्मद अब्दुल हफीज** (उपरोक्त) वाले मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन संयुक्त बरामदगी पूर्णतया अग्राह्य नहीं है अपितु उपरोक्त निर्णय विधि के अन्तर्गत निम्न उल्लेख किया गया है :–

"..............जब किसी मामले में एक से अधिक अभियुक्त हों तब अन्वेषण अधिकारी के लिए यह आबद्धकर है कि वह यह अभिलिखित करे कि प्रकटीकरण कथन किस अभियुक्त द्वारा दिया गया है और अभियुक्त द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि ऐसी जानकारी मिलने के अनुसरण में की गई बरामदगी उस

अभियुक्त से संबद्ध की जा सके जिसने यह जानकारी उपलब्ध कराई है और उसका प्रयोग उस अभियुक्त के विरुद्ध अपराधजन्य साक्ष्य के रूप में किया जा सके ।"

31. **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास पाए गए हैं और यह भी पाया गया है कि साक्षी हितबद्ध है ।

32. **भरत** (उपरोक्त) वाला मामला एक ऐसा मामला जिसमें अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर आभूषणों की समुचित रूप से शनाख्त नहीं कराई गई है और न ही उनकी बरामदगी की गई है । इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारी का यह साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए अविश्वसनीय हो जाता है कि साक्षियों ने पुलिस अधिकारी के कहने पर चिह्नांकित स्थान पर हस्ताक्षर किए हैं ।

33. **सेवा कौर** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में दो अभियुक्तों ने अलग-अलग प्रकटीकरण कथन दिए हैं कि वे उस स्थान का पता बता सकते हैं जहां पर शव दबाया गया है और इसके पश्चात् वे एक साथ पुलिस दल के साथ वहां गए और शव बरामद कराया, दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर की गई संयुक्त बरामदगी अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखने के लिए ग्राह्य अभिनिर्धारित की गई है ।

34. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जीत सिंह**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

> "साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्त का कथन अग्राह्य हो जाए यदि किसी ऐसे स्थान से बरामदगी कराई जाती है जो खुला है या जहां पर किसी भी व्यक्ति की पहुंच हो । यह सोच गलत है कि जब किसी अपराधजन्य वस्तु की बरामदगी ऐसे स्थान से की जाती है जहां पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना संभव हो, तब इससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साक्ष्य दूषित हो जाता है । कोई

---

[1] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1883.

[2] (1999) 4 एस. सी. सी. 370 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1293.

भी वस्तु ऐसे स्थान पर छिपाई जा सकती है जो पूर्णतया खुला होता है या जहां पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना संभव हो । उदाहरणार्थ, यदि कोई वस्तु किसी मेन रोड के किनारे पर दबाई जाती है या सूखी पत्तियों के नीचे सार्वजनिक स्थल पर छिपाई जाती है या किसी लोक कार्यालय में छिपाई जाती है, ऐसी वस्तु सामान्य परिस्थितियों में लोगों की दृष्टि से दूर ही रहती है । जब तक ऐसी वस्तु खोदकर न निकाली जाए वह किसी को दिखाई नहीं दे सकती । जिस व्यक्ति ने इसे छिपाया होता है केवल वही जानता है कि वह वस्तु कहां छिपी है जब तक कि वह यह बात अन्य किसी व्यक्ति को न बता दे । इस प्रकार, महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह स्थान जहां पर वस्तु छिपाई गई है अन्य व्यक्तियों की पहुंच में है या नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वस्तु आमतौर पर अन्य व्यक्तियों को दिखाई दे सकती है या नहीं । यदि वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तब यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि जिस स्थान पर वस्तु छिपाई गई है वहां पर किसी का आना जाना है या नहीं ।"

35. वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के निशानदेही पर लूटा हुआ सामान भूसे के ढेर में से बरामद किया गया है जो सह-अभियुक्त कल्लू के मकान के प्रथम तल पर रखा हुआ था जो केवल दोनों अभियुक्तों की ही जानकारी में था । इसके अतिरिक्त, दोनों अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथनों में अभियोजन पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध रखे गए अपराधजन्य साक्ष्य से मात्र इनकार किया है और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । दोनों में से किसी अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उपर्युक्त आभूषण और वस्तुएं उनके पास कैसे आई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्तों के दोषी होने के सिवाय अन्य कोई मत संभव हो । मृतकों के आभूषण और उनका सामान अभियुक्तों के पास पाए जाने और इस संबंध में स्पष्टीकरण न दिए जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध यह उपधारण किया जा सकता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है और इससे साक्ष्य की श्रृंखला संपूर्ण होती है । इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान

मामले के तथ्यों को किसी भी प्रकार लागू नहीं होगा ।

36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू**[1] में निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

> "प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण न्यायोचित है । किन्तु जब हम अभियुक्त-2 अर्थात् गुरुजी द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर पर विचार करते हैं जो उससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछा गया था तो पता चलता है कि उसने केवल 'कलश' की बरामदगी से इनकार किया है, जैसा कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 44) द्वारा कथन किया गया है । जब हमें यह पता चलता है कि घड़े पर रक्त लगा हुआ था तब यह गुरुजी (अभियुक्त-2) की जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करे कि रक्त कैसे लगा । किन्तु जब उसने घड़े की बरामदगी से भी इनकार कर दिया, तब इस संदर्भ में इस प्रकार किया गया इनकार अपरिणामिक नहीं है ।"

37. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई यह दलील कि इससे पहले भी अपीलार्थी को पुलिस द्वारा मामला सं. 23/1986 में दंड संहिता की धारा 302, 394, 201 और 411 के अधीन पुलिस थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में मिथ्या फंसाया गया था और इस मामले में उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **जग राम और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था ।

38. उपरोक्त मामले में न्यायालय ने यह देखा कि मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा की गई और शवपरीक्षण अज्ञात व्यक्ति के शव के रूप में किया गया जब कि आशा देवी (अभि. सा. 1) ने यह दावा किया है कि उसने शनाख्त करके बताया कि यह शव उसके पति रंजन लाल का है । इसके अतिरिक्त, उस मामले में अभियोजन पक्षकथन यह है कि अभियुक्त जग राम ने अपने संस्वीकृति कथन में यह उल्लेख किया था कि उसने गमछे से मृतक का गला घोटकर हत्या की है किन्तु चिकित्सक द्वारा शव पर कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई और मृत्यु

---

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691.

[2] (2017) 2 ए. सी. आर. 2059 = (2017) 5 ए. एल. जे. 546.

के कारण का पता भी नहीं चल सका और अन्तड़ियों को परिरक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त, इस मामले में केवल ट्रांजिस्टर, एक हाथ घड़ी और 65/- रुपए लूटे गए थे जिसमें से सह-अभियुक्त पाठक सिंह से ट्रांजिस्टर बरामद किया गया । उपर्युक्त विषमताओं को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त मामले में दोषमुक्त कर दिया ।

39. तथापि, वर्तमान मामले में काफी सामान अर्थात् एक छोटा ट्रांजिस्टर-ब्रांड सोनी, एक चांदी का बिछुआ - वजन 250 ग्राम, एक जोड़ी चांदी की पाजेब - वजन 500 ग्राम, सोने की एक हंसुली - वजन 2 तोला, सोने की एक लोंग, चांदी के चार बिछुए, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड रीको सुपरटाइम, एक हाथ-घड़ी - ब्रांड हेनरी सेन्डोज अपीलार्थी जग राम की निशानदेही पर सह-अभियुक्त कल्लू के घर में रखे भूसे के ढेर में से राम सरन सिंह (अभि. सा. 1) और घनश्याम सिंह (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में बरामद किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों ने साक्षियों के समक्ष यह संस्वीकृत किया है कि उन्होंने दोनों मृतकों की हत्या की है ।

40. विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दी गई अन्तिम दलील यह है कि अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) पुलिस का बनावटी साक्षी है । अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विशेष रूप से यह कथन किया है कि उसने उन्हीं मामलों में साक्ष्य दिया है जो उसकी मौजूदगी में घटित हुए हैं और उसने आगे यह साक्ष्य दिया है कि वह 4-5 मामलों में साक्षी रहा है न कि 10-15 मामलों में, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) ने किस मामले में साक्ष्य दिया है । इस संबंध में कोई भी तर्कसम्मत साक्ष्य न होने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अब्दुल हमीद (अभि. सा. 6) पुलिस का कोई बनावटी साक्षी है ।

41. जिया लाल (प्रतिरक्षा साक्षी-1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को तारीख 2 अगस्त, 1986 को गिरफ्तार किया गया था और इस संबंध में उसने तारीख 3 अगस्त, 1986 को उच्च प्राधिकारियों को टेलीग्राम द्वारा संदेश भेजा था किन्तु अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि उसने उच्चाधिकारियों को कोई टेलीग्राम भेजा था ।

इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सह-अभियुक्त कल्लू (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) उसका साला था । यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसा कथन अभियुक्त को बचाने के लिए ही किया है । न्यायालय इस बात से पूर्णतया अवगत है कि प्रतिरक्षा अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए सबूत का स्तर वह नहीं होता है जैसा अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए होता है अपितु अभिलेख पर ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिससे प्रतिरक्षा पक्षकथन प्रबलित और संभाव्य हो सके । प्रतिरक्षा साक्षी-1 का कथन विश्वासोत्पादक नहीं है । अभियुक्त का यह अभिवाक् इस बात से मेल नहीं खाता है कि उसे शत्रुता के कारण इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि यह साक्ष्य अविश्वसनीय और अवलंब न लिए जाने योग्य है ।

42. ऊपर उपदर्शित चर्चा को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन सफलतापूर्वक साबित किया है ।

43. तद्नुसार, दांडिक अपील खारिज की जाती है ।

44. अपीलार्थी जग राम जमानत पर है । उसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश भोगने के लिए तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए ।

45. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए संबद्ध न्यायालय को भेजे और अनुपालन रिपोर्ट दो मास के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत की जाए ।

46. महारजिस्ट्रार को निदेश दिया जाता है कि वह विद्वान् न्यायमित्र श्री आर. डी. यादव को उनकी सेवाओं के लिए 15,000/- रुपए का संदाय सुनिश्चित करें ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

रहीम बादशाह

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 261)

तारीख 27 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति जायमाल्या बगची और न्यायमूर्ति रविकृष्णन् कपूर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – पीड़िता ने अपने माता-पिता से पति/अभियुक्त द्वारा क्रूरता बरते जाने व प्रताड़ित किए जाने का अभिकथन किया जाना – पति/अभियुक्त द्वारा क्रूरता न बरते जाने का करार में अभिकथन किया जाना – यदि पति/अभियुक्त द्वारा करार के शर्तों का अनुपालन न करके पीड़िता के साथ क्रूरता बरती गई और प्रताड़ित किया गया – पुन: अभिलेख पर साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त/पति द्वारा पीड़िता के वैवाहिक गृह में उसे तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई तो अभियुक्त/पति को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – पति/अभियुक्त द्वारा पत्नी को निवास-स्थान के छठी मंजिल से धक्का दिया जाना परिणामस्वरूप, पत्नी की मृत्यु हो जाना – अस्पताल के नजदीक रहने वाले साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने एक व्यक्ति को सैनिक यूनिफार्म में देखा था जिसने बालकनी से महिला को नीचे फेंका था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य से समर्थन मिलता है – अभियुक्त के सहयोगी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् उसे मृतका के बालकनी से गिरने के बारे में बताया – यदि अभियुक्त ने पत्नी के गिरने के बावजूद भी उसके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की तो इससे अभियुक्त की

दोषिता सिद्ध होती है – अत: दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11] – हत्या – अन्यत्र रहने का अभिवाक् – अभियुक्त द्वारा यह दावा किया जाना कि जब उसकी पत्नी बालकनी से नीचे गिरी तब वह अपनी ड्यूटी पर था – अभियुक्त का निवास-स्थान और कार्यालय का अगल-बगल में स्थित होना – अभिलेख पर ऐसी सामग्री नहीं पाई गई कि अभियुक्त अपनी ड्यूटी के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहा – अभियुक्त के ड्राइवर होने के कारण उसके पास कार्यालय से बाहर आने का व्यापक अवसर था, इसलिए वह घर पर गया और अपनी पत्नी की हत्या की – मृतका के माता-पिता द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने अपनी पुत्री को बालकनी से नीचे फेंकते हुए देखा – अत: अभियुक्त का अन्यत्र रहने का अभिवाक् सिद्ध नहीं होता है ।

अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी का 18 मार्च, 2009 को नायेब (अभि. सा. 5) की पुत्री अकलीमा के साथ विवाह हुआ था । विवाह के समय पर अपीलार्थी को मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएं उपहार के रूप में दी गई थीं । अपीलार्थी सशस्त्र बल में नियोजित था और जम्मू और कश्मीर पर तैनात था । विवाह के पश्चात् अकलीमा ने ग्राम गोलापारा पोस्ट ऑफिस, गोलापारा पुलिस थाना अम्मापुरी जिला बोन्गाईगांव, असम में अपने वैवाहिक गृह में रहना शुरू कर दिया था । विवाह के कुछ मास पश्चात् अपीलार्थी और अन्य ससुराल वालों ने अकलीमा से 30,000/- रुपए की राशि की मांग करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी । ऐसी प्रताड़ना के कारण अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) समझौता करने के लिए उसके वैवाहिक गृह पर गए थे और उन्होंने यह देखा कि अकलीमा को उनके समक्ष प्रताड़ित किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पुत्री को अपने निवास स्थान पर ले आए थे । तत्पश्चात् अपीलार्थी और अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) के बीच समझौता करार का निष्पादन किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि अकलीमा को प्रताड़ित नहीं करेगा और वह

अपीलार्थी के साथ उसके कार्य स्थल पर रहेगी । ऐसे वचन देने पर उसे उसके वैवाहिक गृह वापिस भेज दिया गया । इसके पश्चात् अकलीमा अपीलार्थी के साथ कमांड अस्पताल कम्पलैक्स, अलीपुरे में रहने लगी । इस घटना के पूर्व (अभि. सा. 5) ने टेलीफोन काल प्राप्त की थी कि अपीलार्थी द्वारा अकलीमा को प्रताड़ित किया गया था । उसने अकलीमा को यह धमकी दी थी कि वह उसे अपार्टमेंट के छठी मंजिल से नीचे फेंकेगा जहां पर वे निवास करते थे । ऐसा सुनकर अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) और उसका भाई (अभि. सा. 6) असम से कलकत्ता पहुंचे । तारीख 18 अगस्त, 2010 को वे अपीलार्थी के निवास स्थान पर गए और अकलीमा ने उनको यह बताया कि अपीलार्थी द्वारा उस पर हमला किया गया था । तत्पश्चात् अपीलार्थी तीन सैनिक अधिकारियों के साथ जिसमें एक हैड कांस्टेबल अनदापन (अभि. सा. 12), हवलदार असम सिंह, नायक यू. एस. साहू के साथ घर पर पहुंचा और उन्होंने अभि. सा. 5 को यह बताया कि अपीलार्थी और पीड़िता के बीच नासमझी हुई थी और घटना को दोहराया नहीं जाएगा । इसके पश्चात्, अभि. सा. 5 और 6 एक कमरे में सोने के लिए चले गए जबकि पति-पत्नी दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए । वे सभी 3.45 बजे पूर्वाह्न उठे क्योंकि उन्होंने "रोजा" रखा हुआ था । अपार्टमेंट के फ्लैट में दो शयन कक्ष थे और एक बरामदा था जहां से दोनों कमरे दिखाई देते थे । 6.00 बजे पूर्वाह्न अपीलार्थी अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 5 ने अपनी पुत्री की रोने की आवाज सुनी कि "उसने मुझे नीचे फेंक दिया है" और अपने कमरे की खिड़की से झांककर अभि. सा. 5 ने देखा कि बरामदे की ओर अपीलार्थी ने अपने हाथ उठा रखे थे । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और भाग गया । उन्होंने धमाका सुन कर तब अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 ने अपीलार्थी का पीछा किया और जब वे निचली मंजिल पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अकलीमा बरामदे के नीचे पड़ी हुई है और उसके शरीर से रक्त निकल रहा है । अपीलार्थी अपने कार्यालय की ओर भाग खड़ा हुआ । अभि. सा. 5 और 6 ने अकलीमा को उठाया और जवान घटनास्थल पर पहुंचे तथा पीड़िता को सफेद रंग की सूमो कार में कमांड अस्पताल ले जाया गया था । इसके पश्चात्, अकलीमा को अभि. सा. 10

द्वारा कमांड अस्पताल में भर्ती किया गया था । अभि. सा. 5 ने अस्पताल में पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया था जिस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसे दंड संहिता की धारा 498क/307 के अधीन तारीख 19 अगस्त, 2010 को अलीपुरे पुलिस थाना मामला सं. 184 दर्ज की गई थी । तत्पश्चात् अकलीमा की तारीख 28 अगस्त, 2010 को मृत्यु हो गई और मामले में दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई थी । अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 18 ने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने के लिए कमांडिग अधिकारी से अध्यपेक्षा की थी और उसकी अन्वेषण के दौरान चिकित्सीय रूप से परीक्षा भी की गई थी और उसके शरीर पर क्षतियां भी पाई गई थीं । अन्वेषण के दौरान शिनाख्त परेड रखी गई थी और अभि. सा. 2 घटना के स्थान पर सैनिक के रूप में कार्य करता था और उसने अपीलार्थी की ऐसे व्यक्ति के रूप में शिनाख्त की या पहचान की जिसने भवन के छठी मंजिल से महिला को फेंका था और भाग गया था । अन्वेषण करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । मामला विचारण और निपटारे के लिए सेशन न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय द्वितीय अलीपुरे दक्षिणी में 24 पृष्ठों का मामला बनाकर अंतरित किया गया था जिसका निपटारा होना था । पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 साक्षियों की परीक्षा की और कई दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए । अपीलार्थी की ओर से विनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा यह दी गई थी कि अपीलार्थी और पीड़िता के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और वह उस समय ड्यूटी पर था जब पीड़िता बरामदा से नीचे गिरी हुई पाई गई थी । तथापि, उसने ऐसी प्रतिरक्षा की संभावना को पेश करने के लिए किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायाधीश ने तारीख 25/26 फरवरी, 2016 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि ऊपर कहा गया है । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते

हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया है कि वह घटना के स्थान पर नहीं था बल्कि वह अपने कार्यस्थल पर था जिस बात को सिद्ध नहीं किया गया है । अभि. सा. 2, 5, 6 और 12 का वशीभूत करने वाला साक्ष्य है जो अभियोजन पक्षकथन को साबित करता है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर था और घटना के तत्काल पश्चात् वह भाग खड़ा हुआ । अपीलार्थी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सका है कि वह अपनी पत्नी की सहायता करने में पूर्ण रूप से विफल हुआ था जिसने यह दावा किया कि दुर्घटनावश गिरने की वजह से उसकी पत्नी कष्ट भोग रही है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि अभि. सा. 18 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि कार्यालय अभिलेखों से यह दर्शित हुआ है कि अपीलार्थी 6.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न तक उस तारीख को ड्यूटी पर था । कार्यालय अभिलेख से केवल उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी के ड्यूटी रोस्टर प्रकट होता है । उसका कार्यालय कमांड अस्पताल के अहाते के भीतर उसके क्वार्टर के समीप स्थित था । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी अपने ड्यूटी के सम्पूर्ण अवधि के दौरान अपने कार्यालय में रहा था । दूसरी ओर, अपीलार्थी ड्राइवर था और उसके पास कार्यालय से बाहर आने का व्यापक अवसर था और वह घर पर रहा तथा और उसने अपराध किया । यदि अपीलार्थी घटना के समय पर शारीरिक रूप से कार्यालय पर था तब ऐसा तथ्य जो अन्यत्र रहने की प्रकृति का है, उस बात को उसके द्वारा साक्ष्य देकर साबित किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा के दौरान मात्र यह कथन कि वह ड्यूटी पर था, उस पर उसके द्वारा ऐसे अन्यत्र रहने की संभावना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था । जैसाकि पूर्व में चर्चा की गई है, अभिलेख पर अभिभूत करने वाला साक्ष्य प्रकट है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर मौजूद था और वह घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल से भाग गया था । अत: इन परिस्थितियों से मेरे विवेक में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वह अपीलार्थी था जिसने अपने अपार्टमेंट के छठी मंजिल के बरामदे से अपनी पत्नी को फेंका था

और इसके पश्चात् वह घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ था । तद्नुसार अभियोजन पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । (पैरा 36, 37 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1919] ए. आई. आर. 1919 प्रिवी कौंसिल 157 :
बकीम बिहारी मेती बनाम **श्रीमती माता ज्ञानी दासे** । 31

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 261.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री प्रतीक कुमार भट्टाचार्या और मनारंजन करमाकार

राज्य की ओर से सर्वश्री विनय पांडा और शुभम भक्त

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जायमाल्या बगची ने दिया ।

न्या. बगची – यह अपील 2011 के सेशन विचारण सं. 6(2) तथा 2010 के सेशन मामला सं. 27(12) में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, द्वितीय न्यायालय, अलीपुरे द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2016 और 26 फरवरी, 2016 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 498क/302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर पांच मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंड दिया गया और दंड संहिता की धारा 498क के अधीन 3 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश तथा साथ ही 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर 5 मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया, दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी का 18 मार्च, 2009 को नायेब (अभि. सा. 5) की पुत्री अकलीमा के साथ विवाह हुआ था । विवाह के समय पर अपीलार्थी को मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण और अन्य वस्तुएं उपहार के रूप में दी गई थीं । अपीलार्थी सशस्त्र बल में नियोजित था और जम्मू और कश्मीर पर तैनात था । विवाह के पश्चात् अकलीमा ने ग्राम गोलापारा पोस्ट ऑफिस, गोलापारा पुलिस थाना अम्मापुरी जिला बोन्गाईगांव, असम में अपने वैवाहिक गृह में रहना शुरू कर दिया था । विवाह के कुछ मास पश्चात् अपीलार्थी और अन्य ससुराल वालों ने अकलीमा से 30,000/- रुपए की राशि की मांग करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी । ऐसी प्रताड़ना के कारण अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) समझौता करने के लिए उसके वैवाहिक गृह पर गए थे और उन्होंने यह देखा कि अकलीमा को उनके समक्ष प्रताड़ित किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पुत्री को अपने निवास स्थान पर ले आए थे । तत्पश्चात् अपीलार्थी और अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) के बीच समझौता करार का निष्पादन किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि अकलीमा को प्रताड़ित नहीं करेगा और वह अपीलार्थी के साथ उसके कार्यस्थल पर रहेगी । ऐसे वचन देने पर उसे उसके वैवाहिक गृह वापिस भेज दिया गया । इसके पश्चात् अकलीमा अपीलार्थी के साथ कमांड अस्पताल कम्पलैक्स, अलीपुरे में रहने लगी । इस घटना के पूर्व (अभि. सा. 5) ने टेलीफोन काल प्राप्त की थी कि अपीलार्थी द्वारा अकलीमा को प्रताड़ित किया गया था । उसने अकलीमा को यह धमकी दी थी कि वह उसे अपार्टमेंट के छठी मंजिल से नीचे फेंकेगा जहां पर वे निवास करते थे । ऐसा सुनकर अकलीमा के पिता (अभि. सा. 5) और उसका भाई (अभि. सा. 6) असम से कलकत्ता पहुंचे । तारीख 18 अगस्त, 2010 को वे अपीलार्थी के निवास स्थान पर गए और अकलीमा ने उनको यह बताया कि अपीलार्थी द्वारा उस पर हमला किया गया था । तत्पश्चात् अपीलार्थी तीन सैनिक अधिकारियों के साथ जिसमें एक हैड कांस्टेबल अनदापन (अभि. सा. 12), हवलदार असम सिंह, नायक यू. एस. साहू के साथ घर पर पहुंचा और उन्होंने अभि. सा. 5 को यह बताया कि अपीलार्थी और पीड़िता के बीच नासमझी

हुई थी और घटना को दोहराया नहीं जाएगा । इसके पश्चात्, अभि. सा. 5 और 6 एक कमरे में सोने के लिए चले गए जबकि पति-पत्नी दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए । वे सभी 3.45 बजे पूर्वाह्न उठे क्योंकि उन्होंने "रोजा" रखा हुआ था । अपार्टमेंट के फ्लैट में दो शयन कक्ष थे और एक बरामदे था जहां से दोनों कमरे दिखाई देते थे । 6.00 बजे पूर्वाह्न अपीलार्थी अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था । लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 5 ने अपनी पुत्री के रोने की आवाज सुनी कि "उसने मुझे नीचे फेंक दिया है" और अपने कमरे की खिड़की से झांककर अभि. सा. 5 ने देखा कि बरामदे की ओर अपीलार्थी ने अपने हाथ उठा रखे थे । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और भाग गया । धमाका की आवाज सुन कर के अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 ने अपीलार्थी का पीछा किया और जब वे निचली मंजिल पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अकलीमा बरामदे के नीचे पड़ी हुई है और उसके शरीर से रक्त निकल रहा है । अपीलार्थी अपने कार्यालय की ओर भाग खड़ा हुआ । अभि. सा. 5 और 6 ने अकलीमा को उठाया और जवान घटनास्थल पर पहुंचे तथा पीड़िता को सफेद रंग की सूमो कार में कमांड अस्पताल ले जाया गया था । इसके पश्चात्, अकलीमा को अभि. सा. 10 द्वारा कमांड अस्पताल में भर्ती किया गया था । अभि. सा. 5 ने अस्पताल में पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया था जिस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसे दंड संहिता की धारा 498क/307 के अधीन तारीख 19 अगस्त, 2010 को अलीपुरे पुलिस थाना मामला सं. 184 दर्ज की गई थी । तत्पश्चात् अकलीमा की तारीख 28 अगस्त, 2010 को मृत्यु हो गई और मामले में दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई थी । अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 18 ने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लेने के लिए कमांडिंग अधिकारी से अध्यपेक्षा की थी और उसकी अन्वेषण के दौरान चिकित्सीय रूप से परीक्षा भी की गई थी और उसके शरीर पर क्षतियां भी पाई गई थीं । अन्वेषण के दौरान शिनाख्त परेड रखी गई थी और अभि. सा. 2 घटना के स्थान पर सैनिक के रूप में कार्य करता था और उसने अपीलार्थी की ऐसे व्यक्ति के रूप में शिनाख्त की या पहचान की जिसने भवन के छठी मंजिल से महिला को फेंका था और भाग गया था । अन्वेषण करने के पश्चात्

अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । मामला विचारण और निपटारे के लिए सेशन न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय द्वितीय अलीपुरे दक्षिणी में 24 पृष्ठों का मामला बनाकर अंतरित किया गया था जिसका निपटारा होना था । पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 साक्षियों की परीक्षा की और कई दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए । अपीलार्थी की ओर से विनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा यह दी गई थी कि अपीलार्थी और पीड़िता के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और वह उस समय ड्यूटी पर था जब पीड़िता बरामदे से नीचे गिरी हुई पाई गई थी । तथापि, उसने ऐसी प्रतिरक्षा की संभावना को पेश करने के लिए किसी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायाधीश ने तारीख 25/26 फरवरी, 2016 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि ऊपर कहा गया है ।

3. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री भट्टाचार्या ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल हुआ है । विचारण न्यायाधीश द्वारा अवलंबित परिस्थितियां न तो साबित की गई थीं और न अपीलार्थी की दोषिता को दर्शित करने के लिए उनसे पूरी श्रृंखला भी नहीं बनती है । यद्यपि अभि. सा. 5 और 6 ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है जिन्होंने अपीलार्थी को अपने अपार्टमेंट के बरामदे से पीड़िता को फेंकते हुए देखा था, कमांड अस्पताल पर चिकित्सा कागजातों में यह प्रकाशित किया गया था कि पीड़िता का "दुर्घटनावश गिरना" बताया गया था । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभि. सा. 5 और 6 के पूर्वतर वृत्तांत में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा पुलिस के समक्ष उनके द्वारा दिए गए पूर्वतर कथन में स्पष्ट विभेद प्रकट है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिलिखित करना रहस्य से घिरी हुई लगती है और यह बात अस्पष्ट है जब अभि. सा. 5 के समक्ष कमांडिंग अधिकारी की

अभिरक्षा में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था, बाद में इस मामले में उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । उस स्थान के बारे में कोई अन्वेषण नहीं किया गया जहां अपार्टमेंट के छठी मंजिल के बरामदे से पीड़िता गिराया जाना अभिकथित है और घटना के स्थान से कोई रक्त एकत्रित नहीं किया गया था । चिकित्सा कागजात पीड़िता के उपचार से संबंधित थे, उन्हें भी अभिगृहीत नहीं किया गया था । उन्होंने पुरजोर यह दलील दी है कि संयोगी साक्षी अभि. सा. 2 के साक्ष्य का कोई अवलंब लिया जाना ईप्सित नहीं है क्योंकि घटना के स्थान पर उसकी मौजूदगी इसके नियोक्ता अभि. सा. 4 के वृत्तांत द्वारा अधिसंभाव्यता व्यक्त की गई है जिन्होंने यह कथन किया है कि उसके कार्य का स्थल कमांड अस्पताल की चारदीवारी से बाहर है और उस अस्पताल को चारदीवारी की दीवार से अलग किया गया था । शिनाख्त परेड घटना के दो मास पश्चात् रखी गई थी और जिसमें भिन्न-भिन्न दुर्बलताएं विद्यमान थीं । दूसरी ओर, अभि. सा. 18 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि दस्तावेजों से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को 6.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न ड्यूटी पर था जिस बात से अभियोजन पक्षकथन में स्पष्ट अधिसंभाव्यता प्रकट होती है । प्रारूप लेखन के बारे में अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 का साक्ष्य तथा अपीलार्थी और अभि. सा. 5 के बीच करार का निष्पादन जो पीड़िता की प्रताड़ना से संबंधित है, से अत्यधिक अभिसंभाव्य प्रकट होती है । अभि. सा. 12 के साक्ष्य से कोई विश्वास प्रकट नहीं होता है । दूसरी ओर, इस तथ्य को साबित किया गया है कि अपीलार्थी ने पूर्ववर्ती अवसर पर अपनी पत्नी के दुर्घटनावश गिरने के बारे में सूचना दी थी जो बात कमांड अस्पताल पर उसी समय तैयार किए गए चिकित्सा कागजातों पर परिलक्षित होती है जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने की पूर्व की है । इसलिए, अभियोजन पक्षकथन अस्वीकार किए जाने योग्य है और अपीलार्थी दोषमुक्ति के आदेश को पाने का हकदार है । उसने लिखित कथन के साथ अपना मौखिक तर्क भी दिया है ।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पांडा ने यह दलील दी है कि घटना के स्थान पर अभि. सा. 5 और

6 की मौजूद होने के बारे में अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में स्वयं स्वीकार किया गया है । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी और इसके पश्चात् उसने अपीलार्थी को अपनी पत्नी को उठाकर बरामदे से फेंकते हुए देखा था । उसके वृत्तांत की अभि. सा. 6 द्वारा संपुष्टि की गई है । पूर्वोक्त साक्षियों का साक्ष्य कि स्थानीय श्रमिक अभि. सा. 2 द्वारा संपुष्टि की गई है जो घटनास्थल पर मौजूद था । इन सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर मौजूद था और उसने बरामदे से अपनी पत्नी को फेंका था । उनके वृत्तांतों की अपीलार्थी के सहयोगी अभि. सा. 12 द्वारा भी संपुष्टि की गई थी जो सशस्त्र बल पर सहबद्ध था जिसने यह दावा किया है कि घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी परेशान होकर अपने कार्यालय की ओर दौड़ा और घटना के बारे में उसे सूचना दी । पूर्वोक्त साक्षियों के मौखिक वृत्तांतों की अभि. सा. 10, 11 और अभि. सा. 14 के चिकित्सा साक्ष्य की संपुष्टि हुई है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के शरीर पर क्षतियां देखी गई थीं क्योंकि अभि. सा. 17 के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि घटना के तत्काल पूर्व कहा-सुनी होने के बारे में अभियोजन मामले में अधिसंभाव्यता प्रतीत होती है । छोटे मोटे विभेद और विसंगतियां अभियोजन साक्षियों के संगत वृत्तांतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं । इसलिए अपील को खारिज किया जाता है ।

(क) अभिलेख पर साक्ष्य :

5. नारायण बारु (अभि. सा. 1) फोटोग्राफर है जो डी. डी. लाल बाजार में फोटोग्राफर की दुकान चलाता है । उसने भवन, कमरा और बरामदे के फोटो भी लिए । उसने फोटोग्राफ जिन्हें प्रदर्श-1 से 6 के रूप में चिन्हित किया गया है, उन्हें साबित किया है ।

6. बसु दास (अभि. सा. 2) कमांड अस्पताल के अहाते में श्रमिक कार्य करता था । उसने सैनिक पोशाक में एक आदमी को देखा जिसने भवन के 5/6 मंजिल से महिला को फेंका था । जब वह घटनास्थल की

ओर गया तब उसने देखा कि एक महिला जमीन पर बहते रक्त के हालात में है और उक्त आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ था ।

7. मोहम्मद सुलतान (अभि. सा. 3) श्रमिक ठेकेदार है जिसने कमांड जसमीन सिंह चौधरी (अभि. सा. 4) के माध्यम से अस्पताल में सह निर्माण कार्य करने के लिए अभि. सा. 2 सहित श्रमिक दिए थे ।

8. मोहम्मद नायेब अली (अभि. सा. 5) पीड़िता अकलीमा का पिता है जो वास्तव में इस मामले में शिकायतकर्ता है । उसने पीड़िता के वैवाहिक गृह कोलगाचिया, दिमापुर पर पैसे की मांग के संबंध में पीड़िता द्वारा वृत्तांत दिए जाने का अभिसाक्ष्य दिया है । ऐसे विवाद के संबंध में बैठक भी रखी गई थी । अपीलार्थी और स्वयं उसके बीच करार (प्रदर्श 8/4) का भी निष्पादन हुआ था । जिसे वकील (अभि. सा. 8) द्वारा तैयार किया गया था और उसमें स्थानीय व्यक्ति (अभि. सा. 7) द्वारा साक्ष्य दिया गया था । उस करार में अपीलार्थी ने भविष्य में पीड़िता को प्रताड़ित न करने के बारे में सहमत हुआ था । तत्पश्चात् दोनों पति-पत्नी कमांड अस्पताल परिक्षेत्र के छठी मंजिल में सरकारी क्वार्टर में रहने लगे थे । उसने दूरभाष से यह संदेश प्राप्त किया था कि उसकी पुत्री को दोबार प्रताड़ित किया गया था । तारीख 18 अगस्त, 2010 को वह और उसका साला (अभि. सा. 6) अपीलार्थी के निवास स्थान पर पहुंचे । (अभि. सा. 12) सी. अंगप्पा सहित अपीलार्थी के सहयोगी भी उसके मकान पर पहुंचे और उसे यह आश्वासन दिया कि उन दोनों के बीच मामला तय हो चुका है । अगले दिन अर्थात् तारीख 19 अगस्त, 2010 को प्रात: (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी को देखा और अपनी पुत्री की आवाज सुनी कि "उसने मुझे नीचे फेंक दिया है" और तब अपीलार्थी ने अपने कमरे के बरामदे से पीड़िता को फेंक दिया था । इसके पश्चात् अपीलार्थी अपने कार्यालय की ओर भाग़ खड़ा हुआ । पीड़िता दर्द से तड़पती हुई जमीन पर पड़ी हुई थी । एक जवान ने उसे कमांड अस्पताल भेजा और वह अस्पताल पर गया । उसने अस्पताल में पुलिस के समक्ष कथन किया है कि जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-9) के रूप में माना गया था । उसकी पुत्री की तारीख 28 अगस्त, 2010 को अस्पताल में मृत्यु हो गई । इस्माइल हुसैन (अभि. सा. 6) उसका साला और मेमान

खातून (अभि. सा. 9) उसकी पत्नी ने उसके साक्ष्य की संपुष्टि की है ।

9. मेजर दीप्ति सरन (अभि. सा. 10) जो डाक्टर है उन्होंने कमांड अस्पताल पर अकलीमा को भर्ती किया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता बोलने में असमर्थ थी ।

10. लेफ्टीनेंट मनोज कुमार (अभि. सा. 14) एक अन्य डाक्टर है जिन्होंने तारीख 28 अगस्त, 2010 को पीड़िता को मृत घोषित किया था ।

11. सत्यजीत बनर्जी (अभि. सा. 13) ने पीड़िता के शव की मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-16) की थी ।

12. डाक्टर विकास मुखर्जी (अभि. सा. 11) ने शवपरीक्षण (प्रदर्श-15) की कार्यवाही की थी और उन्होंने मृतका के शरीर पर गंभीर अस्थिभंगों के साथ कई क्षतियां देखी थीं ।

13. अपीलार्थी का सहयोगी श्री अंगप्पा (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तारीख 18 अगस्त, 2010 को अपीलार्थी के मकान पर गया था और उसने अभि. सा. 5 के समक्ष पति-पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यक्षेप किया । अगले दिन लगभग 7.30 बजे अपराह्न अपीलार्थी परेशानी की हालत में अपने कार्यालय पहुंचा और इस बात की सूचना दी कि उसकी पत्नी उसके कमरे से गिरने के कारण कष्ट भोग रही है । उसने अपीलार्थी से पूछा कि वह अपनी पत्नी को अस्पताल क्यों नहीं ले गया ।

14. गणेश चन्द्र गराई (अभि. सा. 15) नक्शा बनाने वाला है जिसने क्वार्टर का अंतिम ब्लू प्रिंट नक्शा तैयार किया तथा भवन की निचली मंजिल (प्रदर्श-20/1) और (प्रदर्श 20/2) नक्शा भी तैयार किया ।

15. संदीप कर्मकार (अभि. सा. 16) ने अपीलार्थी की शनाख्त परेड की जिसमें (अभि. सा. 2) ने उसकी शनाख्त (प्रदर्श-21) की ।

16. डाक्टर उमा प्रसन्ना घोषाल (अभि. सा. 17) ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् तारीख 19 अगस्त, 2010 को उसकी चिकित्सा परीक्षा की और उसके शरीर (प्रदर्श-22) पर नाखून के निशान और खरोचें

पाई थीं ।

17. एस्वो सिंह (अभि. सा. 18) अन्वेषक अधिकारी है जिन्होंने अन्वेषण किया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

18. निम्नलिखित प्रक्रमों पर अभियोजन पक्षकथन का विश्लेषण करना जहां पर कोई व्यक्ति यह निर्धारित करने में समर्थ हो कि इसे संदेह के परे साबित किया गया है ।

(ख) अपीलार्थी द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित किया जाना

19. अभि. सा. 5, 6 और 9 का साक्ष्य इस बारे में सुसंगत है । अभि. सा. 5 पीड़िता का पिता है और वास्तव में वर्तमान मामले का शिकायतकर्ता है । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि पीड़िता का मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार तारीख 18 मार्च, 2009 को अपीलार्थी से विवाह हुआ था । उसने काबिलनामा (प्रदर्श-7) को साबित किया है । विवाह के पश्चात् पीड़िता ने कालागाची, दीमापुर पर अपने वैवाहिक गृह में रहना प्रारंभ कर दिया था । उसने अपीलार्थी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने की शिकायत की थी । अभि. सा. 5 अपनी पत्नी (अभि. सा. 9) के साथ मामले को सुलझाने के लिए पैतृक गृह पर गया था । स्थानीय लोगों से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया गया था और उस संबंध में बैठक भी रखी गई थी और तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने एक ओर, (अभि. सा. 9) से दूसरी ओर से करार का निष्पादन किया । करार में अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित न करने का वचन दिया था तथा उसे शांतिपूर्वक रखने की बात भी कही थी । पूर्वोक्त करार को लिखने और उसका निष्पादन किए जाने की बात की (अभि. सा. 7) द्वारा संपुष्टि की गई है जो उक्त करार का साक्षी था और (अभि. सा. 8) वकील है जिसने उसे लिखा था । तत्पश्चात् पूर्वोक्त करार के अनुसार पति-पत्नी ने कोलकाता के अलीपुरे के कमांड अस्पताल कम्पलैक्स के छठी मंजिल पर स्थित फ्लैट पर रहना प्रारंभ कर दिया था । उस घटना के कुछ दिन पूर्व अभि. सा. 5 ने दूरभाष से एक संदेश प्राप्त किया कि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता को पुन: प्रताड़ित किया जा रहा है । ऐसे दूरभाष संदेश को प्राप्त करने पर वह तत्काल

अपने साले अभि. सा. 6 के साथ कोलकाता गया । कोलकाता पहुंच कर वे अपीलार्थी के निवास स्थान पर गए । तारीख 18 अगस्त, 2010 को प्रातः अपीलार्थी के तीन सहयोगी जिसमें अभि. सा. 12 भी सम्मिलित है, अपीलार्थी के निवास स्थान पर पहुंचे और अभि. सा. 5 को इस बात से आश्वस्त किया कि मामले को तय कर लिया गया है और यह भी दलील दी गई कि पूर्वोक्त करार को विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया गया है । यह भी दलील दी गई कि पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे क्योंकि अभि. सा. 5 और 6 ने अपीलार्थी के फ्लैट में निवास किया और उन सभी ने इस घटना के पूर्व रोजे का अनुपालन करके प्रातः एक साथ खाना खाया था । उस समय पति-पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध अधिसंभाव्य प्रतीत हुए थे ।

20. मैं ऐसी दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि पीड़िता के माता-पिता और अन्य नातेदारों का एक ही समय में प्रताड़ना के बारे में साक्ष्य तारीख 12 जुलाई, 2010 के करार में परिलक्षित होते हैं जिसे अपीलार्थी और अभि. सा. 5 के बीच निष्पादित किया गया था और जिसे वकील (अभि. सा. 8) द्वारा प्रारूपित किया गया था और स्थानीय व्यक्ति अभि. सा. 7 द्वारा देखा भी गया था । इसके अलावा, 18 अगस्त, 2010 को घटना के तत्काल पूर्व अभि. सा. 12 और उसके कुछ सहयोगी अपीलार्थी के मकान पर पहुंचे थे और उन्होंने अभि. सा. 5 को इस बात से आश्वस्त किया था कि दोनों पति-पत्नी के बीच मामला तय हो चुका है । पूर्वोक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित करने के बारे में अभिकथनों को न केवल पीड़िता के नातेदारों द्वारा सिद्ध किया गया है परन्तु समकालीन दस्तावेज तथा अभि. सा. 7, 8 और 12 के स्वतंत्र वृत्तांतों से भी संपुष्टि हुई है । इसलिए, मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में समर्थ है कि पीड़िता अपीलार्थी द्वारा प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार के अध्यधीन रही थी जो अवधि उसके वैवाहिक जीवन से और 29 अगस्त, 2010 की प्रातः उसकी मृत्यु तक थी, उस अवधि के दौरान प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के अन्तर्गत रही थी ।

(ग) पीड़िता की मृत्यु : क्या दुर्घटनावश या मानव वध के कारण

हुई थी ।

21. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पीड़िता की मृत्यु तारीख 28 अगस्त, 2010 को कमांड अस्पताल में हुई थी । पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र को लेफ्टीनेंट कर्नल मनोज कुमार (अभि. सा. 14) द्वारा जारी किया गया था जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 अगस्त, 2010 को 5.30 बजे आई. सी. यू. से काल प्राप्त की थी तब उसने रोगी अकलीमा खातून की परीक्षा की और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया । मेजर दीप्ति सरन (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 29 अगस्त, 2010 को उसने अकलीमा खातून को भर्ती किया था जिसे कमांड अस्पताल के सिपाही ड्राइवर, के. कुशवाह और उसके पिता (अभि. सा. 5) द्वारा लाया गया था । चिकित्सा विधिक मामला प्रारंभ किया गया था तथा परीक्षा करने पर यह पाया गया था कि पीड़िता के सिर पर क्षतियां और चेहरे के बाईं ओर विदीर्ण घाव तथा दाहिनी भुजा विरूपित हुई थी और बाईं भुजा और बाईं जांघ पर सूजन थी और कई दांत टूटे हुए थे और शरीर की गति मंद प्रकृति की महसूस हो रही थी । उसने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श-18 साबित की है । रोगी किसी भी बात को समझने में असमर्थ थी और अनुचित उत्तर दे रही थी । रोगी को दुर्घटनावश क्षति होने पर आपातकालीन कमरे पर लाया गया था और यह दुर्घटना कमांड अस्पताल के ब्लाक नं. 127 सेकेंड लाइन के छठी मंजिल से गिरने के कारण घटी थी और जिनसे कई क्षतियां उसके शरीर पर पहुंची थीं । पीड़िता की मृत्यु के पश्चात् डाक्टर विकास मुखर्जी (अभि. सा. 11) ने पीड़िता के शव का शवपरीक्षण किया था और निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

1. दाहिने घुटने के ऊपर 2 इंच × 2 इंच की खरोंच ।
2. बाएं फेमियूर के नीचे 1/3 अस्थिभंग ।
3. बाएं उर्वस्थि भाग का अस्थिभंग ।
4. अधोहनु भाग का अस्थिभंग ।
5. दाहिने शंकास्थि खोपड़ी क्षेत्र पर 3 इंच × 2 इंच का गुमटा ।

6. अधोहनु के दाहिनी ओर 4 इंच × 4 इंच का गुमटा ।

7. दाहिने वक्ष पर 10 इंच × 8 इंच का गुमटा ।

8. दाहिने फेफड़े पर गुमटा ।

9. दाहिने गुर्दे पर गुमटा ।

10. दाहिने वक्ष की भीति पर एक से दस पसलियों का अस्थिभंग ।

11. यकृत में फटाव ।

12. शबदूरल रक्तस्राव के साथ रक्त की रिपोर्ट का साक्ष्य और मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध के अन्तर्गत द्रव्य प्रवाह ।

22. उन्होंने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु ऊपर उल्लिखित क्षतियों के कारण हुई थी जो प्रकृति में मृत्यु पूर्व हैं ।

23. अभि. सा. 5 और 6 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख को वे अपार्टमेंट के छठी मंजिल के फ्लैट में मौजूद थे । वे एक कमरे में सो रहे थे जबकि अपीलार्थी और पीड़िता दूसरे कमरे में सो रहे थे । वे सभी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए 3.45 बजे पूर्वाह्न उठे थे क्योंकि उन्हें रोजा का पालन करना था । 6.00 बजे पूर्वाह्न अपीलार्थी अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था । इसके पश्चात् वह 7.30 बजे पूर्वाह्न अपने क्वार्टर पर वापस लौटा तथा अभि. सा. 5 ने अपनी पुत्री के रोने की आवाज सुनी "उसने मुझे नीचे फेंक दिया" । तब अभि. सा. 5 और 6 ने अपीलार्थी को पीड़िता को अपनी गोद में उठाते हुए देखा था और कमरे के बरामदा से उसको फेंकते हुए देखा था । इसके पश्चात् अपीलार्थी सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर गया । उन्होंने उसका पीछा किया और जब वे सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तब उन्होंने अकलीमा को रक्तरंजित दशा में पड़ा हुआ देखा था । अपीलार्थी भाग गया था । वे जवान की सहायता से पीड़िता को कमांड अस्पताल पर ले गए थे जहां 10 दिन पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य की श्रमिक (अभि. सा. 2) के द्वारा संपुष्टि हुई है जो कमांड अस्पताल के अहाते के क्वार्टर में अभि. सा. 4 के अधीन काम कर रहा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने सैनिक यूनिफार्म में एक व्यक्ति को देखा

था जिसने भवन के पांचवीं मंजिल से एक महिला को फेंका था । वह शीघ्र ही घटनास्थल पर गया और उसने देखा कि एक महिला दर्द से ऐंठ रही थी । दो व्यक्ति निचली मंजिल पर पहुंचे और उस महिला की ओर गए जबकि सैनिक यूनिफार्म में मौजूद व्यक्ति घटनास्थल से भाग गया था ।

24. अभि. सा. 2, 5 और 6 के पूर्वोक्त साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि पीड़िता को अपीलार्थी द्वारा अपार्टमेंट के बरामदे से फेंका गया था और तदुपरि उसे कई क्षतियां पहुंचीं थीं । उनके मौखिक वृत्तांत की अभि. सा. 10 और 11 के चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि हुई है कि पीड़िता को तीव्र क्षतियां पहुंचीं थीं और उसके शरीर पर अस्थिभंग भी हुए थे, अभिलेख पर पूर्वोक्त साक्ष्य को देखते हुए मैंने अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील में कुछ सार भी पाया है जिस पर अभियोजन पक्षकथन पर अविश्वास करना चाहा गया है क्योंकि वह स्थान जहां पीड़िता भवन के छठी मंजिल के अपार्टमेंट से गिरी थी उस स्थान की अन्वेषक अधिकारी द्वारा पहचान नहीं की गई थी या घटनास्थल से रक्त भी इकट्ठा नहीं किया गया था ।

25. यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता अपार्टमेंट के छठी मंजिल से गिरी थी और उसे कई क्षतियां पहुंचीं और उसकी मृत्यु हो गई ।

26. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता गिरने से कष्ट झेल रही थी और उसकी मृत्यु हो गई । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पीड़िता दुर्घटनावश गिरी थी या अपीलार्थी द्वारा उसे अपार्टमेंट के छठी मंजिल के बरामदे से फेंका गया था ।

27. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि वह घटनास्थल पर किसी भी प्रकार मौजूद नहीं था जब पीड़िता की मृत्यु हुई । वास्तव में, वह कार्यालय में था और अभि. सा. 18 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि अभिलेखों से यह दर्शित हुआ है कि वह 6.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न

तक अपनी ड्यूटी पर था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2, 5 और 6 के साक्ष्य में विभिन्न दुर्बलताएं प्रकट होती हैं और उसका वेदवाक्य के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता । अभि. सा. 2 जो श्रमिक है, वह अभि. सा. 4 के अधीन नियोजित था जिसने यह दावा किया है कि उसका कार्य का स्थान कमांड अस्पताल के भवन के पीछे था और वह भवन जहां से महिला गिरी थी, अहाते से परे है और यह स्थान चारदीवारी से घिरा हुआ है ।

28. यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 2 समय के बारे में अनिश्चित था जब घटना घटी । अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी की शिनाख्त में पूरी कमियां भी हैं । अभि. सा. 5 और 6 के बारे में यह दलील दी गई कि उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर अपने वृत्तांतों में सुधार किया है । यद्यपि, अभि. सा. 5 पीड़िता के साथ कमांड अस्पताल पर गया था, चिकित्सा अभिलेखों (प्रदर्श-14) से यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता दुर्घटनावश गिरने से कष्ट झेल रही थी । क्या अभि. सा. 5 ने अपीलार्थी द्वारा पीड़िता को फेंकने की घटना को देखा था । यह तथ्य चिकित्सा कागजातों में निश्चित रूप से परिलक्षित नहीं होता है ।

29. इसके अतिरिक्त, घटना के बारे में अभि. सा. 5 का वृत्तांत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से असंगत है । इसलिए, अभि. सा. 5 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसके साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । इसी तरह, अभि. सा. 6 ने अन्वेषक अधिकारी को यह नहीं बताया है कि उसने अपीलार्थी को पीड़िता को अपनी गोद में उठाते हुए देखा था और बरामदे से उसे फेंकते हुए भी देखा था ।

30. मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से किए गए पूर्वोक्त निवेदनों पर उत्सुकता से विचार किया गया । यह बात सही है कि न तो अभि. सा. 5 और न अभि. सा. 6 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई कथन किया है या पुलिस के समक्ष दिए गए पूर्ववर्ती कथन में यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने अपीलार्थी को पीड़िता को उठाते हुए और बरामदे से उसे फेंकते हुए देखा था । तथापि, अभि. सा. 5 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया है कि उसने पीड़िता को चिल्लाते हुए सुना कि "उसने मुझे नीचे फेंक दिया है" और इसके पश्चात् उसने अपने कमरे की

खिड़की से अपीलार्थी के हाथों को देखा था जो बरामदे की ओर खड़ा था और उसके शीघ्र पश्चात् उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए थे और तब उसने जोर का धमाका सुना था । इसके पश्चात् अपीलार्थी अपने अपार्टमेंट से निचली मंजिल की ओर दौड़ा और उसका सीढ़ियों से नीचे की ओर पीछा किया गया । अभि. सा. 5 ने अपनी पुत्री को निकलते हुए रक्त की दशा में पड़ा हुआ देखा था जो जमीन पर दर्द से तड़प रही थी । अपीलार्थी घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ ।

31. यदि अभि. सा. 5 के साक्ष्य की पूर्वोक्त वृत्तांत की पृष्ठभूमि में परीक्षा की जाए जो उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित है जिसे अभि. सा. 18 द्वारा कमांड अस्पताल में लेखबद्ध किया गया था, मुझे अपने मन में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है कि उसने पीड़िता को यह कहते हुए सुना था कि उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर फेंक दिया गया था और उसे अपीलार्थी की मौजूदगी की बात भी ध्यान में आई थी जो कमरे में था जहां घटना घटी थी । उसने अपीलार्थी को घटनास्थल से दौड़ते हुए भी देखा था । अभि. सा. 5 के उस वृत्तांत की अभि. सा. 6 द्वारा संपुष्टि हुई है । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य को लाएं और जिससे भूसे से अनाज को अलग किया जा सके । साक्षियों के साक्ष्य को संपूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । यद्यपि, उन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर तथ्यों को प्रकट किया है । उनके पूर्ववर्ती वृत्तांत में अतिशयोक्ति और बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातों की उपेक्षा की जा सकती परन्तु उनके अभिसाक्ष्यों का जो उनके पूर्ववर्ती कथनों में प्रकट हुआ है उसको अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" के सिद्धांत का हमारे विधिशास्त्र में पूर्णतया पालन नहीं हुआ है । इस प्रक्रम पर **बकीम बिहारी मेती** बनाम **श्रीमती माता ज्ञानी दासे**[1], में प्रिवी कौंसिल की राय को पुन: गणना में लेना लाभदायक हो सकता है :-

> "......भारतीय मुकदमेबाजी में यह उपधारणा करना सुरक्षित नहीं है कि कोई मामला मिथ्या मामला हो सकेगा यदि साक्ष्य का कुछ

[1] ए. आई. आर. 1919 प्रिवी कौंसिल 157.

भाग इसके समर्थन में हो जिससे कि यह संदेह पूर्ण या स्पष्ट रूप से असत्य पाया जाता हो । किसी अवसर में भारत में मुकदमेबाज के बीच की प्रवृत्ति या कहीं भी मिथ्या या बढ़ा-चढ़ाकर साक्ष्य द्वारा इस मामले को उत्तम दशा देने की ओर जा सकता है........।"

32. ऐसे आधारवाक्य पर न्यायनिर्णयन करने, यद्यपि हम अपीलार्थी के बारे में पीड़िता को उठाने और खिड़की से बाहर फेंकने के संबंध में उक्त साक्षी का बढ़ा-चढ़ाकर साक्ष्य को पुलिस के समक्ष पूर्व कथन पर, गणना में लेते हैं, मुझे अभि. सा. 5 और 6 में कोई संदेह नहीं है जिन्होंने कमरे में अपीलार्थी की मौजूदगी का उल्लेख किया है जहां से पीड़िता गिरने की वजह से कष्ट झेल रही है और उसके शीघ्र पश्चात् अपीलार्थी सीढ़ी से नीचे की ओर भाग गया और बिना अपनी पत्नी को बचाए अपने कार्यालय पर पहुंच गया । पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य की एक श्रमिक अभि. सा. 2 द्वारा भी संपुष्टि हुई है जो भवन के समीप किसी स्थान पर कार्य कर रहा था जिस भवन में पति-पत्नी निवास कर रहे थे ।

33. यह दलील दी गई कि घटनास्थल और भवन के बीच चारदीवारी थी । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तथ्य को दृष्टि से ओझल नहीं करनी चाहिए कि घटना बरामदे में घटित हुई थी जो बहुत ऊंचे भवन के छठी मंजिल पर स्थित है । यदि कोई व्यक्ति चारदीवारी के दूसरी ओर खड़ा है तो यह संभव नहीं है कि उसने घटना देखी हो जो बहुत ऊंचे भवन के छठी मंजिल के बरामदे पर घटित हुई जो स्थान चारदीवारी के काफी ऊपर है । ऐसा कुछ भी मामला नहीं है कि चारदीवारी इतनी ऊंची है कि ऊंचे भवन के छठी मंजिल के बरामदे में घटित घटना को उक्त दीवार के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया हो । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने तत्काल घटना देखे जाने का दावा किया है वह घटनास्थल के नजदीक गया और उसने देखा कि एक महिला रक्त-रंजित हालात में पाई गई है और दर्द से तड़प रही है । उसने घटनास्थल से अपीलार्थी को भागते हुए देखा । अभि. सा. 2 ने शिनाख्त परेड में अपीलार्थी की शिनाख्त की । अभि. सा. 16 मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी की

शिनाख्त परेड परीक्षा रखी थी । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने विधिक औपचारिकताओं का अनुपालन किया था और शिनाख्त परेड रिपोर्ट (प्रदर्श-21) को साबित किया । मैंने उक्त रिपोर्ट की परीक्षा की और मैंने उस पर कोई दुर्बलता नहीं पाई है । अभि. सा. 2 के पूर्वतर वृत्तांत ने मेरे विवेक में कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर मौजूद था और घटना के तत्काल पश्चात् वह वहां से चला गया था । यह तथ्य कि अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था जिस बात की अभि. सा. 12 एक सहयोगी के वृत्तांत से संपुष्टि हुई है जिसने यह दावा किया है कि घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी उसके पास पहुंचा और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पत्नी बरामदे से गिरने की वजह से कष्ट भोग रही है वह परेशानी के हालात में था और वह इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि उसने अपनी पत्नी की सहायता क्यों नहीं की थी या उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गया था । यदि अपीलार्थी अपने कार्यालय में था क्योंकि उसकी जानकारी में यह आया था कि पीड़िता बरामदे से गिरने की वजह से कष्ट भोग रही थी । यदि ऐसा हुआ था तो अपीलार्थी अपनी पत्नी को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़ कर क्यों नहीं गया । इस तरह के अनुत्तरित प्रश्न से अपीलार्थी के अभिवाक् में दुर्बल प्रकट होती है कि वह अपने कार्यालय में था न कि घटना के स्थान पर जब घटना घटी ।

34. कमांड अस्पताल पर उपलब्ध चिकित्सा अभिलेखों में घटना के असत्य प्रकटीकरण के बारे में यह बात विवेक में आती है कि कमांड अस्पताल के सिपाही द्वारा अभि. सा. 5 के साथ पीड़िता को अस्पताल में ले जाया गया था । अभि. सा. 10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसने घटना के इतिवृत्त के बारे में अभि. सा. 5 से पूछताछ की थी । अभि. सा. 5 के समक्ष प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रखा गया था कि क्या उसने अस्पताल में उसकी पुत्री द्वारा भोगी गई क्षतियों के बारे में बताया था । इसलिए, चिकित्सा कागजातों में उल्लिखित कारण के बारे में अभि. सा. 5 को संबंधित नहीं किया जा सकता जिस वजह से न्यायालय में उसके वृत्तांत को त्यक्त कर दिया गया । दूसरी ओर, यह अत्यधिक संभव है कि सिपाही द्वारा यह वृत्तांत

दिया गया था जो अस्पताल में पीड़िता को लाया था, जो बात अनुमान पर आधारित थी ।

35. इसके अतिरिक्त, मैंने अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के प्रकाश में दुर्घटनावश मृत्यु के प्रतिरक्षा अभिवाक् की परीक्षा की, खास तौर पर अभि. सा. 1, फोटोग्राफर और अभि. सा. 15 नक्शा बनाने वाले का साक्ष्य जो बरामदे में स्थित दीवार की ऊंचाई के बारे में है जहां घटना घटी थी, पर विचार किया गया । अभि. सा. 15 के अभिसाक्ष्य और अंतिम नक्शा प्रदर्श-20/1 और 20/2 से यह प्रकट होता है कि दीवार की ऊंचाई एक मीटर थी, शवपरीक्षण रिपोर्ट में यह प्रकट हुआ है कि महिला की ऊंचाई लगभग 5 फीट थी । यह बात अत्यधिक असंभव प्रतीत होती है कि समर्थ शारीरिक रूप से सचेत महिला लगभग जो 5 फीट ऊंचाई की थी वह दुर्घटनावश एक मीटर (लगभग साढ़े तीन फीट) बरामदे की चारदीवारी से लरजकर गिर पड़ी होगी जैसाकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्ताव दिया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् तत्काल उसकी अभि. सा. 17 द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई थी जिसकी जानकारी में यह आया कि अपीलार्थी के शरीर पर नाखूनों के चिह्न/खरोंचों से घटना के समय पर झगड़ने की संभावना प्रकट होती है । इस साक्ष्य की इस आधार पर आलोचना की गई कि अपीलार्थी के शरीर पर क्षतियों की मौजूदगी के बारे में अभि. सा. 12 द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न इस बात को अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 18) द्वारा तैयार किए गए केस डायरी या अग्रेषित रिपोर्ट में अभिलिखित नहीं किया गया था । अभि. सा. 17 की जानकारी में आए नाखून की खरोंच छोटी-मोटी क्षतियां हैं जिन बातों पर अभि. सा. 12 द्वारा चूक की गई थी जिन्होंने अभि. सा. 17, डाक्टर की भांति अपीलार्थी की परीक्षा नहीं की थी । इसके अतिरिक्त, कमांडिंग अधिकारी जिसकी अभिरक्षा से अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था, की परीक्षा न कराना या केस-डायरी/अग्रसारी ज्ञापन में उसकी क्षतियों का उल्लेख न करना, अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही है जो फिर भी मेरी राय में इतनी बड़ी नहीं है कि चिकित्सा कार्मिक की स्वतंत्र राय को त्यक्त किया जा सके । वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और

परिस्थितियों में मेरे विवेक में कोई संदेह पैदा नहीं होता है कि दुर्घटनावश गिरने के प्रतिरक्षा वृत्तांत मनगढ़ंत हैं और उस बात को अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

36. अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया है कि वह घटना के स्थान पर नहीं था बल्कि वह अपने कार्यस्थल पर था जिस बात को सिद्ध नहीं किया गया है । अभि. सा. 2, 5, 6 और 12 का वशीभूत करने वाला साक्ष्य है जो अभियोजन पक्षकथन को साबित करता है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर था और घटना के तत्काल पश्चात् वह भाग खड़ा हुआ । अपीलार्थी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सका है कि वह अपनी पत्नी की सहायता करने में पूर्ण रूप से विफल हुआ था जिसने यह दावा किया कि दुर्घटनावश गिरने की वजह से उसकी पत्नी कष्ट भोग रही है ।

37. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि अभि. सा. 18 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि कार्यालय अभिलेखों से यह दर्शित हुआ है कि अपीलार्थी 6.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न तक उस तारीख को ड्यूटी पर था । कार्यालय अभिलेख से केवल उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी का ड्यूटी रोस्टर प्रकट होता है । उसका कार्यालय कमांड अस्पताल के अहाते के भीतर उसके क्वार्टर के बराबर में स्थित था । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी अपने ड्यूटी के सम्पूर्ण अवधि के दौरान अपने कार्यालय में रहा था । दूसरी ओर, अपीलार्थी ड्राइवर था और उसके पास कार्यालय से बाहर आने का व्यापक अवसर था और वह घर पर रहा और उसने अपराध किया । यदि अपीलार्थी घटना के समय पर शारीरिक रूप से कार्यालय पर था तब ऐसा तथ्य जो अन्यत्र रहने की प्रकृति का है, उस बात को उसके द्वारा साक्ष्य देकर साबित किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा के दौरान मात्र यह कथन कि वह ड्यूटी पर था, उस पर उसके द्वारा ऐसे अन्यत्र रहने की संभावना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था ।

38. जैसाकि पूर्व में चर्चा की गई है, अभिलेख पर अभिभूत करने वाला साक्ष्य प्रकट है कि अपीलार्थी घटना के स्थान पर मौजूद था और वह घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल से भाग गया था । अत: इन परिस्थितियों से मेरे विवेक में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वह अपीलार्थी था जिसने अपने अपार्टमेंट के छठी मंजिल के बरामदे से अपनी पत्नी को फेंका था और इसके पश्चात् वह घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ था । तद्नुसार अभियोजन पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है ।

39. अपील को खारिज किया जाता है ।

40. अपीलार्थी द्वारा अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा किया जाएगा ।

41. एल. सी. आर. के साथ निर्णय की प्रति को तत्काल विचारण न्यायालय के पास भेजा जाता है ।

42. इस आदेश की अति आवश्यक फोटोस्टेट अभिप्रमाणित प्रति यदि उसके लिए आवेदन किया गया है तो सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् तत्काल दी जाएंगी ।

43. मैं न्यायमूर्ति रविकृष्णन् कपूर से सहमत हूं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

रितेश नरपतराज सिंघवी

बनाम

भारत संघ

(2017 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 2061)

तारीख 7 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति (सुश्री) मुक्ता गुप्ता

प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) – धारा 7, 10(2) और 17 – प्रत्यर्पण का आदेश – प्रथमदृष्ट्या और युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का आधार है कि याची द्वारा किया गया अपराध एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध था और मामले में पेश किए गए दस्तावेज सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित थे, अतः भारत में अभिरक्षा में याची द्वारा कारागार में भुगती गई अवधि का मात्र उल्लेख न किया जाना आदेश को दूषित नहीं करता, इस प्रकार आदेश युक्तियुक्त और उचित है और हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

संक्षिप्ततः मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने तारीख 12 फरवरी, 2012 को बैंकाक, थाईलैंड में एक अमेरिकी राष्ट्रिक सुश्री वेंडी एस. एलवानो की हत्या की । थाई सरकार ने याची को घटनास्थल से एकत्रित साक्ष्य के आधार पर मुख्य संदिग्ध व्यक्ति पाया । याची ने अजमानतीय वारंट के जारी किए जाने के अनुसरण में तारीख 29 सितम्बर, 2014 को मुम्बई पुलिस के समक्ष अभ्यर्पित किया । तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को मुम्बई के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अभिवहन रिमांड अभिप्राप्त करने के पश्चात् उन्हें दिल्ली के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । इसके पश्चात्, याची को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । दिल्ली के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने जांच पूरी की और आक्षेपित आदेश तारीख 1 जून, 2017 की अंतिम प्रत्यर्पण जांच रिपोर्ट पारित की और इसे तारीख 7 जुलाई, 2017 के आक्षेपित

आदेश द्वारा रायल थाई दूतावास को संसूचित किया । याची ने तारीख 7 जुलाई, 2017 के आक्षेपित पत्र को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जांच रिपोर्ट की चुनौती दो आधारों पर की गई है; यह कि जांच और विचार के लिए भारत में प्राप्त दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित नहीं थे और न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज फाइल नहीं किए गए थे । अधिनियम की धारा 10(2) में यह उपबंध हैं कि वारंट, अभिसाक्ष्य या शपथ पर कथन जिनका भारत के बाहर के किसी न्यायालय द्वारा लिया जाना या जारी किया जाना तात्पर्यित हो या उनकी प्रतियां, प्रमाणपत्र आदि सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित समझे जाएंगे यदि राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित हैं । विचारण न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वारंट प्रदर्श-1/8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है । आगे यदि आरम्भ में कोई मूल दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, यह तथ्य कि बाद में अधिप्रमाणित दस्तावेज जांच के अनुक्रम में पेश किए गए थे, विवादित नहीं है । विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जांच की व्याप्ति सीमित है और मजिस्ट्रेट से यह विचार करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या याची के विरुद्ध अभिकथित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है किन्तु यह कि क्या यह विश्वास करने का प्रथमदृष्ट्या मामला या युक्तियुक्त आधार है कि प्रपलायी अपराधी ने प्रत्यर्पण योग्य अपराध किया है । अभिलेख पर पेश किए गए दस्तावेज अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश का पालन करते हैं । अतः जांच रिपोर्ट की चुनौती में कोई सार नहीं है । याची इस आधार पर भारत सरकार के तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र की चुनौती देता है कि याची को लिखित निवेदन फाइल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया क्योंकि जांच रिपोर्ट की प्रति केवल 13/14 जुलाई, 2017 को दी गई और बितायी गई कारावास की अवधि को सूचित नहीं किया गया जिससे कि याची को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता तो बितायी गई अवधि का फायदा उसे दिया जा सकता । स्वीकार्यतः,

अभिलेख के अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रति याची के काउंसेल को न्यायालय में तारीख 2 जून, 2017 को दी गई और काउंसेल याची का गठित अटर्नी होने के कारण, याची यह दावा नहीं कर सकता कि तारीख 13/14 जुलाई, 2017 तक उसे जांच रिपोर्ट की कोई तामीली नहीं की गई थी । याची के विद्वान् काउंसेल को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जांच रिपोर्ट की प्रति याची को पारित की गई थी जिससे कि वह यदि चाहे तो अपना लिखित कथन फाइल करे । इसके अतिरिक्त, भारत की अभिरक्षा में बितायी गई अवधि का मात्र उल्लेख न किया जाना इस कारण तारीख 7 जुलाई, 2017 के आदेश को दूषित नहीं करेगा यदि जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर और तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र के अनुसरण में याची को प्रत्यर्पित किया जाता है तो वह पूर्णतः विचारण झेलेगा जहां वह उन सभी तथ्यों को सक्षम न्यायालय के ज्ञान में ला सकता है । इस प्रकार, यह न्यायालय जांच रिपोर्ट या तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र को चुनौती देने के लिए, लिए गए आधारों में कोई सार नहीं पाता । अतः याचिका और आवेदन खारिज किए जाते हैं । (पैरा 9, 10 और 11)

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 2061.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री डा. हर्ष सुर्ना और सुश्री दीपाली एस. सुर्ना

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री राजेश गोगना, स्थायी सरकारी अधिवक्ता के साथ अखिलेश कुमार

आदेश

इस रिट याचिका द्वारा याची परिवाद सं. 22/4/13 में विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उस अंतिम निर्णय और आदेश-सह-जांच रिपोर्ट तारीख 1 जून, 2017 को अभिखंडित करने की ईप्सा करता है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अनुरोध

करने वाले थाईलैंड राज्य को हत्या के अपराध का विचारण झेलने के लिए याची का प्रत्यर्पण करने और थाई रायल दूतावास को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र को अभिखंडित करने की सिफारिश की जिसके द्वारा भारत सरकार ने हत्या के अपराध के लिए मामला सं. 187/2555 वाले मामले में विचारण झेलने के लिए याची को थाईलैंड को प्रत्यर्पित करने का विनिश्चय किया ।

2. याची के विरुद्ध संक्षिप्ततः अभिकथन इस प्रकार हैं कि उसने तारीख 12 फरवरी, 2012 को बैंकाक, थाईलैंड में एक अमेरिकी राष्ट्रिक सुश्री वेंडी एस. एलवानो की हत्या की । थाई सरकार ने याची को घटनास्थल से एकत्रित साक्ष्य के आधार पर मुख्य संदिग्ध व्यक्ति पाया । याची ने अजमानतीय वारंट के जारी किए जाने के अनुसरण में तारीख 29 सितम्बर, 2014 को मुम्बई पुलिस के समक्ष अभ्यर्पित किया । तारीख 1 अक्तूबर, 2014 को मुम्बई के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अभिवहन रिमांड अभिप्राप्त करने के पश्चात् उन्हें दिल्ली के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । इसके पश्चात्, याची को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

3. दिल्ली के विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने जांच पूरी की और आक्षेपित आदेश तारीख 1 जून, 2017 की अंतिम प्रत्यर्पण जांच रिपोर्ट पारित की और इसे तारीख 7 जुलाई, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा रायल थाई दूतावास को संसूचित किया ।

4. याची के विद्वान् काउंसेल ने दो आधारों पर तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र को चुनौती दी । पहला, जांच रिपोर्ट तारीख 13 जुलाई, 2017 तक याची को प्राप्त नहीं हुई, स्वीकार्यतः याची को प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 7(4) के अधीन लिखित कथन फाइल करने का कोई अवसर नहीं दिया और उक्त लिखित कथन फाइल किए जा सकने के पूर्व तारीख 7 जुलाई, 2017 का पत्र भेजा गया । याची के विद्वान् काउंसेल का आगे यह कथन है कि तारीख 2 जून, 2017 को याची के काउंसेल को जांच रिपोर्ट की आपूर्ति इस कारण से अधिनियम के अधिदेश का पालन में नहीं होगी कि जांच रिपोर्ट की आपूर्ति प्रपलायी

अपराधी को होनी चाहिए और यदि जांच रिपोर्ट की आपूर्ति की गई तो याची का काउंसेल भारत में नहीं था अतः यह रिपोर्ट की विधिमान्य तामीली नहीं हुई । याची ने जुलाई के प्रथम सप्ताह तक न्यायालय में लिखित कथन फाइल किए जाने का अनुरोध किया । तारीख 13 जुलाई, 2017 के विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रारम्भिक जांच की प्रति याची को तामील नहीं की गई थी जिसके कारण वह लिखित कथन फाइल करने में असमर्थ था । मंत्रालय ने तारीख 7 जुलाई, 2017 को प्रत्यर्पण आदेश पारित किया जब याची का लिखित कथन अभिलेख पर नहीं था ।

5. तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र को याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा चुनौती देने का दूसरा आधार यह है कि उक्त पत्र विवेक का प्रयोग न किए जाने से ग्रस्त है क्योंकि याची के भारत में अभिरक्षा में लगभग चार वर्ष बिताए जाने के बावजूद इसका तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र में बितायी गई अवधि के बारे में थाईलैंड के राजा को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे की प्रपलायी अपराधी को अंतिम रूप से दोषसिद्ध करने और दंडादेश अधिनिर्णीत करने की दशा में हिसाब में लिया जा सके । भारतीय प्राधिकारियों ने थाईलैंड के प्राधिकारियों के साथ भारत में याची द्वारा पहले ही भुगते गए कारागार अवधि के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई । यह दलील दी गई कि तारीख 7 जुलाई, 2017 का प्रत्यर्पण पत्र लिपिकीय और यांत्रिक ढंग से विवेक का कोई प्रयोग किए बिना पारित किया गया । भारतीय प्राधिकारियों ने थाईलैंड के प्राधिकारियों के साथ कोई चर्चा नहीं की कि एक राष्ट्र के व्यक्ति को दूसरे देश में प्रत्यर्पण के मामलों में सार्वभौमिक व्यवहार्य प्रक्रिया के अनुसार याची पर मृत्युदंड अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए ।

6. तारीख 1 जून, 2017 की जांच रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा गया है) की धारा 10(2)(क) और 10(2)(घ) के अधिदेश का पालन नहीं किया गया है । थाईलैंड के न्यायालय द्वारा जारी "गिरफ्तारी वारंट" इसे जारी करने वाले विद्वान् न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित/स्टाम्पकृत किया जाना चाहिए ।

"गिरफ्तारी वारंट" थाई भाषा में है और भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी और न्यायालय थाई भाषा नहीं समझ सकते । थाई भाषा में दस्तावेज के साथ संलग्न अंग्रेजी में अनुवाद पर ऊपर कतई हस्ताक्षर नहीं किया गया । उक्त दस्तावेज को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित" नहीं कहा जा सकता । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि भारत संघ ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन मात्र फोटोप्रतियों पर प्रारम्भिक जांच के लिए विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन फाइल किया था जिसके आधार पर प्रतिपरीक्षा की गई । जांच के लिए और जांच रिपोर्ट का आधार गठित करने के विचार हेतु भारत में प्राप्त दस्तावेजों को अनुरोध करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित नहीं किया गया था ।

7. केन्द्रीय सरकार के विद्वान् स्थायी काउंसेल का यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को यह विवेकाधिकार है कि या तो वह स्वप्रेरणा से व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करे या मजिस्ट्रेट को जांच कराने का आदेश दें । याची का काउंसेल अभियुक्त की ओर से सुपुर्दगी के वारंट की प्रति प्राप्त करने के लिए सक्षम था । 1 जून, 2017 के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट है कि इसे याची के काउंसेल को सौंपा गया था । उसके द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने के बावजूद याची की ओर से कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया । याची का अधिकार सीमित है कि वह केवल यह साबित कर सकता है कि अपराध राजनैतिक प्रकृति का है और यह प्रत्यर्पण योग्य अपराध नहीं है । जांच के पश्चात् भी यह भारत सरकार की सम्प्रभु शक्ति है कि वह किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करे या नहीं ।

8. अधिनियम की धारा 7, 10 और 17 इस प्रकार है :–

"धारा 7. **मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया** –

(1)...............

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मजिस्ट्रेट विशेषकर ऐसा साक्ष्य लेगा जैसा विदेशी राज्य की

अध्यपेक्षा के समर्थन में हो और जैसा प्रपलायी अपराधी की ओर से प्रस्तुत किया जाए, जिसके अन्तर्गत यह दर्शित करने वाला कोई साक्ष्य भी होगा कि वह अपराध जिसके द्‌वारा प्रपलायी अपराधी पर अभियोग लगाया गया है अथवा उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, राजनीतिक स्वरूप का है या प्रत्यर्पण अपराध नहीं है ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि विदेश राज्य की अध्यपेक्षा के समर्थन में प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बन पाया है, तो वह प्रपलायी अपराधी को उन्मुक्त कर देगा ।

(4) यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि विदेशी राज्य की अध्यपेक्षा के समर्थन में प्रथमदृष्ट्या मामला बन गया है, तो वह प्रपलायी अपराधी को, केन्द्रीय सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा करने तक के लिए कारागार के सुपुर्द कर सकेगा और अपनी जांच के परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा और ऐसी रिपोर्ट के साथ ऐसा कोई लिखित कथन भी भेजेगा जिसे प्रपलायी अपराधी केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहे ।

धारा 10. **साक्ष्य में प्रदर्श, अभिसाक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति और उनका अधिप्रमाणन** –

(1) ....

(2) वारंट, अभिसाक्ष्य या शपथ पर कथन जिनका भारत के बाहर के किसी न्यायालय द्‌वारा लिया जाना या जारी किया जाना तात्पर्यित है या उनकी प्रतियां, या ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के प्रमाणपत्र या तथ्यों का कथन करने वाले न्यायिक दस्तावेज, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित समझे जाएंगे, यदि –

(क) वह वारंट ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्‌वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है जो उस राज्य का है जहां वह जारी किया गया था और ऐसे राज्य में या उसके लिए कार्य कर रहा था ;

(ख) ....

(ग) ....

(घ) यथास्थिति, वारन्ट, अभिसाक्ष्य कथन, प्रतियां, प्रमाणपत्र और न्यायिक दस्तावेज किसी साक्षी की शपथ द्वारा या उस राज्य के, जहां वे जारी किए या लिए या दिए गए थे, किसी मंत्री की शासकीय मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किए गए हैं ।

धारा 17. **प्रपलायी अपराधी जब पकड़ा जाए तब उसके संबंध में कार्यवाही** –

(1) ....

(2) ....

(3) मजिस्ट्रेट अपनी जांच के परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा और ऐसी रिपोर्ट के साथ, कोई लिखित कथन भी भेजेगा जिसे प्रपलायी अपराधी उस सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने की इच्छा करे ।"

9. उपरोक्त उल्लेख के अनुसार, जांच रिपोर्ट की चुनौती दो आधारों पर की गई है; यह कि जांच और विचार के लिए भारत में प्राप्त दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित नहीं थे और न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज फाइल नहीं किए गए थे । अधिनियम की धारा 10(2) में यह उपबंध हैं कि वारंट, अभिसाक्ष्य या शपथ पर कथन जिनका भारत के बाहर के किसी न्यायालय द्वारा लिया जाना या जारी किया जाना तात्पर्यित हो या उनकी प्रतियां, प्रमाणपत्र आदि सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित समझे जाएंगे यदि राज्य के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित हैं । विचारण न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि वारंट प्रदर्श 1/8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है । आगे यदि आरम्भ में कोई मूल दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, यह तथ्य कि बाद में अधिप्रमाणित दस्तावेज जांच के अनुक्रम में पेश किए गए थे, विवादित नहीं है । विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जांच की व्याप्ति सीमित है और मजिस्ट्रेट से यह विचार करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या याची के विरुद्ध अभिकथित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है किन्तु यह कि क्या यह विश्वास करने का

प्रथमदृष्ट्या मामला या युक्तियुक्त आधार है कि प्रपलायी अपराधी ने प्रत्यर्पण योग्य अपराध किया है । अभिलेख पर पेश किए गए दस्तावेज अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश का पालन करते हैं । अतः जांच रिपोर्ट की चुनौती में कोई सार नहीं है ।

10. याची इस आधार पर भारत सरकार के तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र की चुनौती देता है कि याची को लिखित निवेदन फाइल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया क्योंकि जांच रिपोर्ट की प्रति केवल 13/14 जुलाई, 2017 को दी गई और बितायी गई कारावास की अवधि को सूचित नहीं किया गया जिससे कि याची को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता तो बितायी गई अवधि का फायदा उसे दिया जा सकता । स्वीकार्यतः, अभिलेख के अनुसार जांच रिपोर्ट की प्रति याची के काउंसेल को न्यायालय में तारीख 2 जून, 2017 को दी गई और काउंसेल याची का गठित अटर्नी होने के कारण, याची यह दावा नहीं कर सकता कि तारीख 13/14 जुलाई, 2017 तक उसे जांच रिपोर्ट की कोई तामीली नहीं की गई थी । याची के विद्वान् काउंसेल को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जांच रिपोर्ट की प्रति याची को पारित की गई थी जिससे कि वह यदि चाहे तो अपना लिखित कथन फाइल करे । इसके अतिरिक्त, भारत की अभिरक्षा में बितायी गई अवधि का मात्र उल्लेख न किया जाना इस कारण तारीख 7 जुलाई, 2017 के आदेश को दूषित नहीं करेगा यदि जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर और तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र के अनुसरण में याची को प्रत्यर्पित किया जाता है तो वह पूर्णतः विचारण झेलेगा जहां वह उन सभी तथ्यों को सक्षम न्यायालय के ज्ञान में ला सकता है ।

11. इस प्रकार, यह न्यायालय जांच रिपोर्ट या तारीख 7 जुलाई, 2017 के पत्र को चुनौती देने के लिए, लिए गए आधारों में कोई सार नहीं पाता । अतः याचिका और आवेदन खारिज किए जाते हैं ।

12. टी. सी. आर. को वापस भेजा जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

पा.

शेख दाउद-अल-मोती

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(2008 की दांडिक अपील सं. 756)

तारीख 9 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति एन. आनन्द वेंकटेश

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 394 और 397 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 9] – लूट – अभियुक्त की शनाख्त परेड का न कराया जाना – शनाख्त को लेकर आहत-चालक के साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी साक्षी द्वारा न होना – अभियुक्त-अपीलार्थी का विकलांग होना – अभियुक्त को घटना के एक वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है और उसकी शनाख्त आहत के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी द्वारा नहीं कराई गई है और अभियुक्त की शनाख्त परेड भी नहीं कराई गई है तथा अभियुक्त के लिए एक टांग से विकलांग होने के कारण कार चलाना संभव नहीं पाया गया है, इसलिए क्षति पहुंचाकर कार लूटने के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में, अभि. सा. 7 जीयो ट्रैवल्स के नाम से बेंगलुरु में एक ट्रैवल एजेन्सी चलाता है जिसने अभि. सा. 2 से, जो क्वालिस कार (नं. केए-03-एमए-7449) का मालिक है, एक यात्री के लिए कार भेजने का निवेदन किया जिसे बेंगलुरु से चेन्नई जाना था । तद्नुसार, अभि. सा. 2 ने अपने ड्राइवर रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से कार लाने और यात्री को उसके स्थान से लेने को कहा । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने कार ली और लगभग 5.30 बजे अपराह्न में जब वह मेजेस्टिक आनंद सर्किल, बेंगलुरु के निकट पहुंचा, अभियुक्त ने अपना हाथ हिलाया रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अपनी कार रोक ली और अभियुक्त ने कार ड्राइवर का नाम पूछने के पश्चात् उसे यह बताया कि वह वही यात्री है जिसे चेन्नई

जाना है । अभियुक्त कार में सवार हो गया और पिछली सीट पर बैठ गया । जब कार चेन्नई की ओर जा रही थी, तब रास्ते में रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) और अभियुक्त कृष्णागिरी कार से उतरे और रात्रि भोज किया । इसके पश्चात्, कार पुनः चलने लगी और तारीख 5 मार्च, 2004 को रात्रि एक बजे रास्ते में रुकी क्योंकि अभियुक्त को शौच के लिए जाना था । कार के रुकने के पश्चात् अभियुक्त ने लोहे की रोड (तात्विक वस्तु 2) कार में से निकाली और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिर में कई बार मारी जिसके परिणामस्वरूप रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) एक ओर गिर गया और अभियुक्त कार लेकर भाग गया । इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने एक लारी को रोका और उसमें बैठ गया तथा उसने उस लारी के ड्राइवर को इस घटना के बारे में बताया । जब लारी हाईवे पैट्रोल पुलिस के निकट पहुंची तब रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) लारी से नीचे उतरा और पैट्रोल ड्यूटी पर तैनात पुलिस निरीक्षक को इस घटना के बारे में बताया । पुलिस ने तत्काल ही एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और एम्बुलेंस के आने पर उसके कम्पाउंडर (अभि. सा. 5) ने प्राथमिक उपचार किया और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को सरकारी अस्पताल, वालाजापेट ले जाया गया जहां पर अभि. सा. 16 द्वारा चिकित्सीय उपचार किया गया । इसके पश्चात् कार का मालिक वालाजापेट अस्पताल आया और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से मिला । अस्पताल में रवीन्द्रथन द्वारा दिए गए कथन के आधार पर अभि. सा. 17 अर्थात् पुलिस थाना कावेरीपक्कम के पुलिस निरीक्षक द्वारा शिकायत लिखी गई । चूंकि घटनास्थल बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता था, इसलिए वह शिकायत (प्रदर्श पी. 1) संबंधित पुलिस थाने को भेज दी गई और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 324 और 379 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174/2004 (प्रदर्श पी. 16) दर्ज की गई । पुलिस निरीक्षक ने इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला और घटनास्थल का मुआयना किया तथा महाजर (प्रदर्श पी. 17) और कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी. 18) अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की मौजूदगी में तैयार किए । इसके पश्चात्, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और मामला दंड संहिता की धारा 392 में परिवर्तित किया गया

जिसकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 19) मजिस्ट्रेट को भेज दी गई । इसके पश्चात्, इस मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक रामामूर्ति द्वारा किया गया । इसी दौरान तारीख 23 मई, 2005 को केन्द्रीय अपराध शाखा, हैदराबाद के विशेष दल के उप निरीक्षक (अभि. सा. 10) को यह सूचना मिली कि उन्नाबी रंग की एक क्वालिस कार चोली चौकी, हैदराबाद के निकट लावारिस खड़ी पाई गई है । वह घटनास्थल पर गया और लावारिस वाहन को पुलिस थाने ले आया और इस संबंध में पुलिस उपायुक्त को रिपोर्ट भेज दी जिसने उक्त रिपोर्ट उप निरीक्षक (अभि. सा. 9) को अग्र-प्रेषित कर दी और उस रिपोर्ट के आधार पर अभि. सा. 9 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के अधीन मामला सं. 387-2005 दर्ज किया । प्रदर्श पी. 4 इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की छपी हुई प्रति है । पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 11) ने इस मामले का अन्वेषण का कार्य संभाला और अभिग्रहण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 5) के अनुसार औपचारिक रूप से कार को अभिगृहीत किया । अभि. सा. 11 के पश्चात् इस मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 15) ने संभाला । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को तारीख 26 अगस्त, 2006 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न में संदिग्ध परिस्थितियों में हुमायूं नगर से गिरफ्तार किया गया । यह बताया गया है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन (प्रदर्श पी. 8) दिया है और उसके कब्जे से कार की चाबी भी बरामद की गई है । कार के स्वामित्व के संबंध में पूछताछ किए जाने पर अभि. सा. 15 ने यह पाया कि अभि. सा. 2 इस कार का मालिक है और पूछताछ के पश्चात् उसे उपरोक्त घटना की भी जानकारी मिली । अभियुक्त को रिमांड रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 9) के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख 26 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा हैदाराबाद पुलिस को अभिवाहन वारंट के माध्यम से अनुज्ञात किया कि अभियुक्त को अभिगृहीत सामग्री के साथ बालूचेट्टी पुलिस थाने को सौंप दिया जाए । यह सूचना पुलिस अधीक्षक, कांचीपुरम को रेडियो-मैसेज द्वारा दी गई जिन्होंने तत्काल पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 18) को हैदराबाद के लिए रवाना किया । तद्नुसार, अभि. सा. 18 दो हैड कांस्टेबलों के साथ हैदराबाद गया और पुलिस निरीक्षक, हैदराबाद (अभि. सा. 15) से मिला

जिन्होंने अभियुक्त को चाबी सहित क्वालिस कार (तात्विक वस्तु 1) के साथ सौंप दिया । तारीख 29 अगस्त, 2006 को बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने वापस आने पर अभि. सा. 18 ने अभियुक्त और कार को चाबी सहित पुलिस निरीक्षक रामामूर्ति को सौंप दिया जो इस मामले में अन्वेषण कर रहे थे । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और परिवर्तन रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) भी तैयार की गई क्योंकि दंड संहिता की धारा 390 के स्थान पर धारा 397 जोड़ी गई थी । अभियुक्त से पूछताछ की गई और उसने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया और इस कथन (प्रदर्श पी. 21) के ग्राहय भाग के आधार पर पुलिस दल और साक्षी पानापक्कम कूट रोड पर गए जो बेंगलुरु-चेन्नई राजमार्ग पर स्थित है और प्रदर्श पी. 22 के अनुसार वहां से लोहे की रॉड बरामद की गई । इसके पश्चात्, रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) और अभि. सा. 2 को पुलिस थाने बुलाया गया जहां पर उन्होंने अभियुक्त की शनाख्त की । तत्पश्चात्, अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन अपराध के लिए अन्तिम रिपोर्ट फाइल की गई । मामला अपर सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द किए जाने के पश्चात्, न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन आरोप विरचित किए । विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 24 सितंबर, 2008 के निर्णय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है । यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 शनाख्त से संबंधित साक्ष्य के बारे में नहीं है बल्कि इसका संबंध शनाख्त को लेकर पारिस्थितिक साक्ष्य से है । यदि अभियुक्त, साक्षी के लिए कोई अजनबी है और उस साक्षी ने प्रथम बार अपराध कारित किए जाने के समय पर उसे देखा है, तब पुलिस ऐसे साक्षी को अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए उस समय बुला सकती है जब अभियुक्त उनकी

अभिरक्षा में होता है । अभियुक्त की इस प्रकार की गई शनाख्त अन्वेषण में सहायक हो सकती है और किसी सीमा तक पुलिस के संदेहों का समाधान कर सकती है और इससे यह पता चल सकता है कि संदिग्ध व्यक्ति ही अपराधी है और यह कि पुलिस इस संबंध में आगे और अन्वेषण कर सकती है । आगे और अन्वेषण करने के लिए पुलिस द्वारा कराई गई शनाख्त, जो कि साक्ष्य की दृष्टि से अग्राह्य है, उस शनाख्त परेड से पूर्णतया भिन्न है जो मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कराई जाती है और इन दोनों में भ्रमित नहीं होना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई शनाख्त परेड का प्रयोग साक्ष्य के रूप में दांडिक कार्यवाहियों के दौरान किया जा सकता है । यह भी संभव है कि वह साक्षी जिसे अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बुलाया गया है वह प्रथम बार अभियुक्त को न्यायालय के कठघरे में अपनी स्मरण-शक्ति के आधार पर शनाख्त करता है । यह घटना तारीख सांयकाल 4 मार्च, 2004 और रात्रि 5 मार्च, 2004 के बीच घटित हुई है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने तारीख 24 सितंबर, 2007 को न्यायालय में अपना साक्ष्य दिया है और उस दिन इस साक्षी ने घटना घटित होने के साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय बाद अभियुक्त की शनाख्त की है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब बालूचेट्टी चतिराम ने उसे बेंगलुरु में अभियुक्त को दिखाया था, तब अभि. सा. 1 ने पुलिस को यह बताया था कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर तारीख 5 मार्च, 2004 को हमला किया था । इसके पश्चात्, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अभि. सा. 1 को यह बताया है कि जिस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया है उसी ने इस अपराध को संस्वीकृत किया है और अभि. सा. 1 से इस तथ्य को स्वीकार करवाया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे दिखाया गया है वह वही व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है । आश्चर्य की बात है कि इस मामले में क्वालिस कार और अभियुक्त को अभि. सा. 18 द्वारा हैदराबाद से बालू-चेट्टी चतिराम पुलिस थाने लाया गया था, रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) को पुलिस थाने में बुलाया भी नहीं गया कि वह अभियुक्त की शनाख्त कर ले । यदि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य स्पष्ट है कि जब बेंगलुरु में उसे अभियुक्त दिखाया गया था तब उसने स्पष्ट रूप से यह कहा था

कि वह अपराधी नहीं है, साक्षी का यह आचरण इस बात से मेल नहीं खाता है कि वह न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त कर ले । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) के कथन में घोर संदेह इसी बात पर होता है । यदि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त को घटना के बाद से कभी नहीं देखा है और उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त पूर्णरूप से की है, तब भी इस साक्षी के साक्ष्य को महत्व दिया जा सकता था यदि उसने अभियुक्त के साथ घटना के दौरान पर्याप्त समय बिताया होता और हमले के दौरान उसके निकट ही रहा होता । घटना संबंधी कुछ कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा जो इस मामले में दिखाई पड़ते हैं । हैदराबाद की पुलिस को घटना के संबंध में पहली सूचना तारीख 23 मई, 2005 को प्राप्त हुई जिसमें लावारिस क्वालिस कार का उल्लेख किया गया था और इसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर गई, इस कार को अभिगृहीत किया और इसे पुलिस थाने लाया गया और इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अधीन दांडिक मामला सं. 387/2005 दर्ज कराया गया । स्वीकृततः, जिस समय कार अभिगृहीत की गई थी, अभियुक्त कार में मौजूद नहीं था और अभि. सा. 10 जो केन्द्रीय अपराध शाखा, हैदराबाद में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब उसने इस कार का डैश-बोर्ड खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया । अतः, कार अभिगृहीत किए जाने के समय पर अभियुक्त से संबद्ध किए जाने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला । तारीख 26 अगस्त, 2006 को अर्थात् लगभग 1 वर्ष पश्चात् अभियुक्त को हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । अभि. सा. 15 ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया था और उसने कार की चाबी भी उसे सौंपी थी । इसका पता नहीं चल सका है कि हैदराबाद की पुलिस ने अभियुक्त को ऐसी लावारिस कार के साथ कैसे संबद्ध किया है जिसे अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के एक वर्ष पूर्व ही अभिगृहीत कर लिया गया था । अतः, हैदराबाद पुलिस द्वारा बनाई गई यह कहानी अविश्वसनीय है । एक अन्य तथ्य और है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा । स्वीकृततः, अभियुक्त एक विकलांग है जिसकी दायीं टांग घुटने के नीचे से कटी हुई है । अभियोजन पक्ष के अनुसार इसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और लगभग 600 किलोमीटर कार

चलाई है । आश्चर्य की बात है कि हैदराबाद या तमिलनाडु के किसी भी अन्वेषण अधिकारी ने यह आंकलन नहीं किया है कि अभियुक्त कार चलाने योग्य है भी या नहीं । न्यायालय में प्रश्न पूछे जाने पर सभी पुलिस कर्मचारियों ने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है और यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने वाहन चलाने संबंधी अभियुक्त की सक्षमता को परखने का प्रयास नहीं किया है । अभियुक्त की विकलांगता इस बात को लेकर महत्वपूर्ण है कि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) बड़ी आसानी से चिकित्सक (अभि. सा. 16) या कम से कम पुलिस को अभियुक्त की इस विकलांगता की सूचना उसकी पहचान के रूप में दे सकता था कि अभियुक्त एक विकलांग व्यक्ति है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने इस तथ्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया है । इस बात से भी रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) के इस कथन पर घोर संदेह होता है कि जो व्यक्ति आज न्यायालय में मौजूद है उसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है । अभियुक्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में कराई है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं में अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बचपन से ही वह विकलांग है और वह दुपहिया या चार पहिए वाली गाड़ी नहीं चला सकता और पुलिस ने उसे मिथ्या फंसाया है । उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका है कि अभियुक्त ने यह अपराध कारित किया है । अभियुक्त की पहचान पूर्णतया संदिग्ध है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य न्यायालय को विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने ही यह अपराध कारित किया है । अतः, निःसंदेह अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए । एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि अभियुक्त की शनाख्त पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के दौरान किस प्रकार की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण सही दिशा में किया जा रहा है । वर्तमान मामले में रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) को पुलिस ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त दिखाया गया था और इस साक्षी ने अभियुक्त को देखकर यह कहा था कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर हमला किया था । तथापि, पुलिस ने रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) पर यह दबाव डाला कि वह न्यायालय में यही बताए कि इसी अभियुक्त

ने उस पर हमला किया था । अतः, इस न्यायालय के पास इसके सिवाए कोई विकल्प नहीं है कि अभियुक्त को संदेह का लाभ दे । अभियोजन पक्ष द्वारा की गई यह भारी गलती भविष्य में नहीं दोहरायी जानी चाहिए । ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभियुक्त आहत/साक्षी के लिए अपरिचित होता है और साक्षियों ने उसे पहली बार अपराध कारित किए जाने के समय पर देखा होता है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है वही वह व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है, न्यायालय से उस अभियुक्त की शनाख्त परेड कराने का निदेश लेने की ईप्सा करनी चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54क के अधीन विशेष रूप से न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अभियोजन पक्ष के निवेदन पर अभियुक्त की शनाख्त परेड कराए । इस प्रकृति के मामलों में इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अन्वेषण अभिकरण को कम से कम यह आश्वासन मिल जाता है कि अन्वेषण ठीक दिशा में किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, ऐसी शनाख्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत होगी और इसका प्रयोग दांडिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है । निःसंदेह, सी.सी.टी.वी. फुटेज आजकल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया है जिससे उन्हें अपराध का पता लगाने में सहायता मिलती है किन्तु यह एक ऐसी सुविधा है जो राज्य में हर जगह उपलब्ध नहीं है । पुलिस कर्मचारियों को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंधों की उपलब्धता के संबंध में शिक्षित बनाया जाना चाहिए ताकि अभियुक्तों की शनाख्त की जा सके । इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से यह संदेह समाप्त हो जाता है कि घटना के घटित होने के लम्बे समय पश्चात् साक्षी द्वारा न्यायालय में पहली बार शनाख्त नहीं की जा रही है । (पैरा 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50 और 51)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018)1 एम. डब्ल्यू. एन. (क्रिमिनल) 139 :

मणिकन्दन बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** ; 36

[2008]	(2008)16 एस. सी. सी. 481 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 243 : **महाबीर** बनाम **दिल्ली राज्य** ;	36
[1998]	ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 275 : **राजू** उर्फ **राजेन्द्र** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	36
[1980]	ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1382 : **राज्य** बनाम **वी. सी. शुक्ला** ;	36
[1979]	ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1127 : **कन्नन और अन्य** बनाम **केरल राज्य** ।	36

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 756.

2007 के सेशन विचारण मामला सं. 22 में अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं. 2), कांचीपुरम द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2008 को पारित दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री के. गोविगनेसन

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री एस. तनकीरा (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति एन. आनन्द वेंकटेश – यह अपील 2007 के सेशन विचारण मामला सं. 22 में अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय सं. 2), कांचीपुरम द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2008 को पारित दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित होकर फाइल की गई है ।

अभियोजन पक्षकथन का संक्षिप्त विवरण

2. अभि. सा. 7 जीयो ट्रैवल्स के नाम से बेंगलुरु में एक ट्रैवल एजेन्सी चलाता है जिसने अभि. सा. 2 से, जो क्वालिस कार (नं. केए-03-एमए-7449) का मालिक है, एक यात्री के लिए कार भेजने का निवेदन किया जिसे बेंगलुरु से चेन्नई जाना था । तद्नुसार, अभि. सा. 2 ने अपने ड्राइवर रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से कार लाने और यात्री को उसके स्थान से लेने को कहा । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने कार ली और लगभग 5.30 बजे अपराहन में जब वह मेजेस्टिक आनंद सर्किल, बेंगलुरु के निकट पहुंचा, अभियुक्त ने अपना हाथ हिलाया रवीन्द्रथन

(अभि. सा. 1) ने अपनी कार रोक ली और अभियुक्त ने कार ड्राइवर का नाम पूछने के पश्चात् उसे यह बताया कि वह वही यात्री है जिसे चेन्नई जाना है । अभियुक्त कार में सवार हो गया और पिछली सीट पर बैठ गया । जब कार चेन्नई की ओर जा रही थी, तब रास्ते में रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) और अभियुक्त कृष्णागिरी पर कार से उतरे और रात्रि भोज किया । इसके पश्चात्, कार पुनः चलने लगी और तारीख 5 मार्च, 2004 को रात्रि एक बजे रास्ते में रुकी क्योंकि अभियुक्त को शौच के लिए जाना था । कार के रुकने के पश्चात् अभियुक्त ने लोहे की रोड (तात्विक वस्तु 2) कार में से निकाली और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिर में कई बार मारी जिसके परिणामस्वरूप रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) एक ओर गिर गया और अभियुक्त कार लेकर भाग गया । इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने एक लारी को रोका और उसमें बैठ गया तथा उसने उस लारी के ड्राइवर को इस घटना के बारे में बताया । जब लारी हाईवे पैट्रोल पुलिस के निकट पहुंची तब रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) लारी से नीचे उतरा और पैट्रोल ड्यूटी पर तैनात पुलिस निरीक्षक को इस घटना के बारे में बताया । पुलिस ने तत्काल ही एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और एम्बुलेंस के आने पर उसके कम्पाउंडर (अभि. सा. 5) ने प्राथमिक उपचार किया और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को सरकारी अस्पताल, वालाजापेट ले जाया गया जहां पर अभि. सा. 16 द्वारा चिकित्सीय उपचार किया गया ।

3. इसके पश्चात् कार का मालिक वालाजापेट अस्पताल आया और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से मिला । अस्पताल में रवीन्द्रथन द्वारा दिए गए कथन के आधार पर अभि. सा. 17 अर्थात् पुलिस थाना कावेरीपक्कम के पुलिस निरीक्षक द्वारा शिकायत लिखी गई । चूंकि घटनास्थल बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता था, इसलिए वह शिकायत (प्रदर्श पी. 1) संबंधित पुलिस थाने को भेज दी गई और भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 324 और 379 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174/2004 (प्रदर्श पी. 16) दर्ज की गई । पुलिस निरीक्षक ने इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला और घटनास्थल का मुआयना किया तथा महाजर (प्रदर्श पी. 17) और

कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी. 18) अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की मौजूदगी में तैयार किए । इसके पश्चात्, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और मामला दंड संहिता की धारा 392 में परिवर्तित किया गया जिसकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 19) मजिस्ट्रेट को भेज दी गई । इसके पश्चात्, इस मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक रामामूर्ति द्वारा किया गया ।

4. इसी दौरान तारीख 23 मई, 2005 को केन्द्रीय अपराध शाखा, हैदराबाद के विशेष दल के उप निरीक्षक (अभि. सा. 10) को यह सूचना मिली कि उन्नाबी रंग की एक क्वालिस कार चोली चौकी, हैदराबाद के निकट लावारिस खड़ी पाई गई है । वह घटनास्थल पर गया और लावारिस वाहन को पुलिस थाने ले आया और इस संबंध में पुलिस उपायुक्त को रिपोर्ट भेज दी जिसने उक्त रिपोर्ट उप निरीक्षक (अभि. सा. 9) को अग्र-प्रेषित कर दी और उस रिपोर्ट के आधार पर अभि. सा. 9 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के अधीन मामला सं. 387-2005 दर्ज किया । प्रदर्श पी. 4 इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की छपी हुई प्रति है । पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 11) ने इस मामले का अन्वेषण का कार्य संभाला और अभिग्रहण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 5) के अनुसार औपचारिक रूप से कार को अभिगृहीत किया । अभि. सा. 11 के पश्चात् इस मामले का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 15) ने संभाला । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को तारीख 26 अगस्त, 2006 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न में संदिग्ध परिस्थितियों में हुमायूं नगर से गिरफ्तार किया गया । यह बताया गया है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन (प्रदर्श पी. 8) दिया है और उसके कब्जे से कार की चाबी भी बरामद की गई है । कार के स्वामित्व के संबंध में पूछताछ किए जाने पर अभि. सा. 15 ने यह पाया कि अभि. सा. 2 इस कार का मालिक है और पूछताछ के पश्चात् उसे उपरोक्त घटना की भी जानकारी मिली । अभियुक्त को रिमांड रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 9) के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख 26 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा हैदराबाद पुलिस को अभिवाहन वारंट के माध्यम से अनुज्ञात किया कि अभियुक्त को अभिगृहीत सामग्री के साथ बालूचेट्टी पुलिस थाने को सौंप दिया जाए ।

यह सूचना पुलिस अधीक्षक, कांचीपुरम को रेडियो-मैसेज द्वारा दी गई जिन्होंने तत्काल पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 18) को हैदराबाद के लिए रवाना किया । तद्नुसार, अभि. सा. 18 दो हैड कांस्टेबलों के साथ हैदराबाद गया और पुलिस निरीक्षक, हैदराबाद (अभि. सा. 15) से मिला जिन्होंने अभियुक्त को चाबी सहित क्वालिस कार (तात्विक वस्तु 1) के साथ सौंप दिया । तारीख 29 अगस्त, 2006 को बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने वापस आने पर अभि. सा. 18 ने अभियुक्त और कार को चाबी सहित पुलिस निरीक्षक रामामूर्ति को सौंप दिया जो इस मामले में अन्वेषण कर रहे थे । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और परिवर्तन रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 20) भी तैयार की गई क्योंकि दंड संहिता की धारा 390 के स्थान पर धारा 397 जोड़ी गई थी । अभियुक्त से पूछताछ की गई और उसने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया और इस कथन (प्रदर्श पी. 21) के ग्राह्य भाग के आधार पर पुलिस दल और साक्षी पानापक्कम कूट रोड पर गए जो बेंगलुरु-चेन्नई राजमार्ग पर स्थित है और प्रदर्श पी. 22 के अनुसार वहां से लोहे की रॉड बरामद की गई । इसके पश्चात्, रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) और अभि. सा. 2 को पुलिस थाने बुलाया गया जहां पर उन्होंने अभियुक्त की शनाख्त की । तत्पश्चात्, अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया ।

5. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन अपराध के लिए अन्तिम रिपोर्ट फाइल की गई । मामला अपर सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द किए जाने के पश्चात्, न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन आरोप विरचित किए ।

6. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 19 की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी. 1 से प्रदर्श पी. 22 के अनुसार दस्तावेज चिह्नांकित किए और साथ ही तात्विक वस्तु 1 और तात्विक वस्तु 2 को भी पक्षकथन के समर्थन में प्रस्तुत किया । अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराए जाने के पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई और उसके विरुद्ध रखी गई अपराधजन्य परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और अभियुक्त ने

अपनी अपराधिता से इनकार किया ।

7. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने सम्पूर्ण सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तारीख 24 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया ।

8. रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) जो कि कार का ड्राइवर है और आहत साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह कार का ड्राइवर है और अभि. सा. 2 के लिए काम करता है और तारीख 4 मार्च, 2004 को उससे जीयो ट्रैवल्स के लिए क्वालिस कार (तात्विक वस्तु 1) से जाने को कहा गया और लगभग 5.30 बजे अपराह्न में जीयो ट्रैवल्स पहुंचने के पश्चात् उसे ट्रिप-शीट (यात्रा पर्ची) दी गई (जिसे चिह्नांकित नहीं किया गया था) और वहां से मैजेस्टिक आनंदा सर्किल पर जाने को कहा गया जहां से ग्राहक-यात्री को लेना था । घटनास्थल पर पहुंचने पर एक व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कार रोक ली तथा यह सुनिश्चित किया कि वह ड्राइवर रवि है या नहीं । इसके पश्चात्, उस व्यक्ति ने रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) से चेन्नई जाने को कहा और वह यात्री पीछे वाली सीट पर बैठ गया । लगभग 8.30 बजे अपराह्न में उन्होंने कृष्णागिरी में रात्रि भोज किया और अगले दिन अर्थात् तारीख 5 मार्च, 2004 को लगभग रात्रि 1 बजे कार में बैठे हुए व्यक्ति ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से शौच जाने के लिए गाड़ी रोकने को कहा । कार से बाहर आकर यात्री ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिर पर लोहे की राड से कई बार वार किए और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) नीचे गिर गया और इसके पश्चात् वह यात्री कार लेकर चेन्नई की ओर भाग गया । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को सिर में गंभीर क्षति कारित हुई जिससे रक्त बहने लगा । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अपने मालिक (अभि. सा. 2) को मोबाइल फोन पर घटना के बारे में बताया । इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) एक लारी में सवार हुआ और लारी के ड्राइवर को घटना

के बारे में बताया । वह लारी बेंगलुरु राजमार्ग की ओर जा रही थी और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को हाई-वे पुलिस पैट्रोल दिखाई दी और वहां पर लारी से नीचे उतर गया और पुलिस निरीक्षक को घटना के बारे में बताया । इस संबंध में एक रोगी वाहन का प्रबंध किया गया और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को वालाजापेट अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सक द्वारा उसका उपचार किया गया । लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न में उक्त कार का मालिक (अभि. सा. 2) अस्पताल पहुंचा । वहां से दोनों कावेरीपक्कम पुलिस थाने गए और पुलिस को घटना के बारे में बताया और पुलिस ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) का कथन अभिलिखित किया और उस पर उसके हस्ताक्षर कराए । पुलिस को घटनास्थल पर ले जाया गया जहां पर यह घटना घटित हुई थी और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को यह बताया गया कि यह मामला बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने के अधिकार-क्षेत्र में आता है और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) उक्त पुलिस थाने चला गया और उसने घटना के बारे में बताया । एक मास पश्चात् बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने की पुलिस बेंगलुरु गई और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने वह स्थान दिखाया जहां से उसने अभियुक्त को यात्री के रूप में कार में बैठाया था ।

9. रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उससे चेन्नई आने को कहा था और उसे कुछ व्यक्तियों के फोटो भी दिखाए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति कौन था । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त का फोटो उन फोटो में नहीं पाया गया जो उसे पुलिस द्वारा दिखाए गए थे । इसके पश्चात्, पुलिस बेंगलुरु आई और वहां से रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) पुलिस के साथ मैसूर गया और उसे वहां पर कुछ और फोटो दिखाए गए और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को उन फोटो में भी अभियुक्त का फोटो नहीं मिल सका । इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को होसूर के निकट पुलिस थाने ले जाया गया और वहां पर कुछ और फोटो दिखाए गए और उन फोटो में एक फोटो ऐसा पाया गया जिसका चेहरा अभियुक्त से मिल रहा था किन्तु रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) निश्चित रूप से उसकी शनाख्त नहीं कर

सकता था । पुलिस ने उस फोटो को अलग निकाल लिया और वे सभी वापस बालुचेट्टी चतिराम पुलिस थाने आ गए । अगले दिन रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) वापस बेंगलुरु आया । एक सप्ताह पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को पुलिस से यह सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने उस व्यक्ति का पता निकाल लिया है जिसका चेहरा अभियुक्त के चेहरे से मिलता है । उस पते पर पहुंचने पर उन्होंने मकान में ताला लगा हुआ पाया और उन्हें यह पता चला कि इस मकान में रहने वाला व्यक्ति बेंगलुरु गया हुआ है ।

10. रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि संबद्ध व्यक्ति को बेंगलुरु में पकड़ लिया गया था और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से कहा गया था कि वह उस व्यक्ति की शनाख्त करे । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने उस व्यक्ति को देखकर पुलिस को यह बताया कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर हमला किया था और इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) अपने घर वापस चला गया । पुलिस ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को फोन पर यह बताया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह वही व्यक्ति है जिसने उस पर हमला किया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को बताया कि क्वालिस कार हैदराबाद में मिल गई है । इसके पश्चात् कार और संबद्ध व्यक्ति के बालुचेट्टी चतिराम पुलिस थाने लाया गया । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को लोहे की रॉड (तात्विक वस्तु 2) दिखाई गई जिसे उसने बताया कि यह वही रोड है जिससे उस पर हमला किया गया था ।

11. अभियोजन पक्ष ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को पक्षद्रोही साक्षी माना है । रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को स्पष्ट रूप से पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है क्योंकि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में साफतौर पर यह कहा है कि जो अभियुक्त उसे पुलिस थाने में दिखाया गया था वह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर हमला किया था और इसके बावजूद पुलिस ने उसे यह कहा था कि यही वह व्यक्ति है जिसने इस अपराध में भाग लिया है । अतः, अभियोजन पक्ष को स्वाभाविक रूप से न्यायालय से अनुमति लेकर रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) की प्रतिपरीक्षा इस

महत्वपूर्ण बिन्दु पर करनी चाहिए थी । किन्तु आश्चर्य की बात है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की शनाख्त को लेकर रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से एक प्रश्न भी नहीं पूछा और उससे पूछे गए सभी प्रश्न असंगत हैं ।

12. यदि कोई साक्षी सत्य साक्ष्य देता है चाहे वह उस पक्षकार के विरुद्ध क्यों न हो जिसने उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया है, उसे पक्षद्रोही घोषित करना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार, यदि यह पता नहीं चल पाता है कि साक्षी सत्य साक्ष्य दे रहा है या नहीं तब ऐसे साक्षी का अपने पक्षकार के प्रतिकूल साक्ष्य देने पर प्रश्न उठाना सुसंगत नहीं होगा । यदि अभियोजन पक्ष ने यह महसूस किया है कि रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) अभियुक्त की शनाख्त को लेकर सत्य साक्ष्य नहीं दे रहा है, तब अभियोजन पक्ष को इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके समक्ष आवश्यक प्रश्न रखने चाहिए थे ताकि सच्चाई का पता चल पाता । ऐसे मामलों में इस प्रकार की प्रतिपरीक्षा अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिवाय अन्य कोई भी ऐसा साक्षी नहीं है जो अभियुक्त की शनाख्त कर पाता । अतः, अभिकथित घटना से अभियुक्त को संबद्ध करने के लिए रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है । घटना तारीख 5 मार्च, 2004 को घटित हुई और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने पहली बार अभियुक्त को तारीख 24 सितंबर, 2007 को अर्थात् तीन वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायालय में देखा है ।

13. रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् उसने अभियुक्त को पहली बार न्यायालय में देखा है और उसकी शनाख्त की है ।

14. क्वालिस कार का मालिक अभि. सा. 2 है और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) उसके यहां ड्राइवर के रूप में कार्य करता है । अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि बेंगलुरु से चेन्नई ले जाने के लिए अभियुक्त को किस प्रकार उसके स्थान से उसे लेना था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने उसे उसके साथ हुई घटना के बारे में भी बताया था और यह भी बताया था कि वह

रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) से मिलने वालाजापेट सरकारी अस्पताल भी गया था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने पुलिस को कथन दिया था और इसके पश्चात् रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने जो कुछ उसे बताया था उसका उल्लेख भी अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में किया है । अभि. सा. 2 ने यह भी बताया है कि उसे हैदराबाद पुलिस थाने से फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी और उसने क्वालिस कार की शनाख्त भी की थी । कार के डैश-बोर्ड में उसने अभियुक्त का फोटो और अभियुक्त के विकलांग होने से संबंधित प्रमाणपत्र भी देखा जिसमें दाएं घुटने के नीचे से उसकी टांग कटी होने का उल्लेख किया गया था । अभि. सा. 2 ने यह साक्ष्य दिया है कि क्वालिस कार को तत्पश्चात् कांचीपुरम अभियुक्त के साथ लाया गया था ।

15. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 महाजर साक्षी हैं और दोनों ही पक्षद्रोही हो गए हैं ।

16. अभि. सा. 5 रोगी वाहन में तैनात कंपाउंडर है जिसने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को प्राथमिक उपचार दिए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है और यह भी बताया है कि रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को वालाजापेट सरकारी अस्पताल ले जाया गया था । रोगी वाहन का ड्राइवर अभि. सा. 6 है जो रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) को वालाजापेट सरकारी अस्पताल लेकर गया था । प्रदर्श पी. 3 रोगी वाहन सेवा से संबंधित पर्ची है जिसे अभि. सा. 6 के माध्यम से चिह्नांकित किया गया है ।

17. अभि. सा. 7 जीयो ट्रैवल्स का स्वामी है जिसने ग्राहक से प्राप्त हुई फोन काल के बारे में साक्ष्य दिया है और यह भी बताया है कि उसने अभि. सा. 2 से ग्राहक को उसके स्थान से लेने के संबंध में बात की थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि ग्राहक ने फोन पर अपना नाम गोपी बताया था और उसने यात्रा-पर्ची पर ग्राहक का नाम और फोन नम्बर भी लिखा था । तथापि, यात्रा-पर्ची पुलिस को नहीं दी गई यहां तक कि अन्वेषण के दौरान भी वह पुलिस को नहीं सौंपी गई ।

18. अभि. सा. 8 पुलिस उप निरीक्षक है जो हैदराबाद की अपराध

शाखा में कार्यरत है । इस साक्षी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) सं. 387/2005 के आधार पर की गई कार्रवाई के संबंध में साक्ष्य दिया है और यह भी कथन किया है कि तारीख 26 अगस्त, 2006 को उन्होंने अभियुक्त को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न हुमायुं नगर के निकट पकड़ा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त की टांग घुटने के नीचे से कटी हुई थी और वह अप्राकृतिक टांग लगाए हुए था ।

19. अभि. सा. 9 हैदराबाद के इसी पुलिस थाने का उप निरीक्षक है और इस साक्षी ने अभि. सा. 10 द्वारा की गई शिकायत के संबंध में साक्ष्य दिया है और यह बताया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अधीन अपराध सं. 387/2005 दर्ज किया गया था और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी. 4 के रूप में चिह्नांकित किया गया था । इस साक्षी ने शिकायत के संबंध में यह भी साक्ष्य दिया है कि तत्पश्चात् उसे पुलिस थाना बालूचेट्टी चतिराम अग्रप्रेषित कर दिया गया था ।

20. अभि. सा. 10 इसी पुलिस थाने से संबद्ध उप निरीक्षक है जिसे तारीख 23 मई, 2005 को एक लावारिस क्वालिस कार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी । वह उस कार को पुलिस थाने लेकर आया और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य स्वीकार किया है कि जब कार को लावारिस स्थान से हटाया गया था तब कोई भी पंचनामा तैयार नहीं किया गया था और कार के डैश-बोर्ड में कोई भी सामान नहीं था ।

21. अभि. सा. 11 वह पुलिस निरीक्षक है जिसने इस मामले में प्राथमिक अन्वेषण किया है और इसके पश्चात् मामले का अन्वेषण अभि. सा. 15 को सौंप दिया गया ।

22. अभि. सा. 12 वह पुलिस उप निरीक्षक है जो गश्त की ड्युटी पर था । इस साक्षी ने तारीख 5 मार्च, 2004 को हुई घटना के बारे में साक्ष्य दिया है जब रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) इस साक्षी से मिला था और उस समय इस साक्षी के सिर से रक्त बह रहा था और उसने इस साक्षी को घटना के बारे में बताया था । इस साक्षी ने एम्बुलेंस का प्रबंध कराए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है और बताया है कि रवीन्द्रथन

(अभि. सा. 1) को वालाजापेट सरकारी अस्पताल भेजा गया था ।

23. अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 13 की परीक्षा यह सिद्ध करने के लिए कराई गई है कि रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने उसे हमले के तत्काल पश्चात् घटना के बारे में बताया था, इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष कथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही साक्षी माना गया है ।

24. अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 14 की परीक्षा बरामदगी साक्षी के रूप में कराई गई है और यह साक्षी भी पक्षद्रोही हो गया है ।

25. अभि. सा. 15 पुलिस थाने की सी.सी.एस. आटोमोबाइल विंग में पुलिस निरीक्षक है जिसने अपराध सं. 387/2005 वाले मामले में अन्वेषण किया है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार करने के संबंध में साक्ष्य दिया है और यह भी बताया है कि उसके जेब से क्वालिस कार की चाबी भी बरामद हुई थी । अभिग्रहण महाजर को प्रदर्श पी. 8 के रूप में चिह्नांकित किया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । इस साक्षी ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और अपराध से संबंधित सामग्री अभिगृहीत की है । प्रदर्श पी. 9 रिमांड रिपोर्ट है जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी. 10 रेडियो संदेश है जो पुलिस अधीक्षक, कांचीपुरम (अभि. सा. 18) के हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें भेजा गया था, अभियुक्त तथा क्वालिस कार अभि. सा. 18 को सौंपे गए और इस संबंध में रसीद तैयार की गई जिन्हें प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 15 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान विशेष रूप से अभियुक्त के विकलांग होने के संबंध में साक्ष्य दिया है जिसके दाएं घुटने के नीचे से टांग कटी हुई थी और इस साक्षी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि अभियुक्त कोई वाहन चला सकता था या नहीं ।

26. वालाजापेट सरकारी अस्पताल के चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 16 ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) का उपचार किया है । इस साक्षी द्वारा क्षति प्रमाणपत्र तैयार किया गया है जिसे प्रदर्श पी. 15 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और इस प्रमाणपत्र के अनुसार आहत के शरीर पर निम्न क्षतियां पाई गई हैं :-

"1. पार्श्व-कपालीय भाग में 7 सेमी. × 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का विदीर्ण घाव है ।

2. प्रथम क्षति के सामने की ओर 5 सेमी. × 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का विदीर्ण घाव है ।

3. क्षति सं. 2 के समानांतर सामने की ओर 2 सेमी. की दूरी पर 5 सेमी. × 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का विदीर्ण घाव है ।

4. क्षति सं. 3 के सामने की ओर 2 सेमी. की दूरी पर 4 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का छिन्न घाव है ।

5. बाएं पार्श्व कपालीय भाग में 6 सेमी. × 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का विदीर्ण घाव है ।"

27. कांचीपुरम पुलिस थाने के निरीक्षक (अभि. सा. 17) ने वालाजापेट सरकारी अस्पताल से प्राप्त हुई सूचना के संबंध में साक्ष्य दिया है और इस अस्पताल में इस साक्षी ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) और अभि. सा. 12 के कथन अभिलिखित किए थे । इस साक्षी ने रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिर में आई क्षति का उपचार किए जाने का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि अधिकारिता को दृष्टिगत करते हुए मामला बालूचेट्टी चतिराम पुलिस थाने स्थानांतरित कर दिया गया था ।

28. अभि. सा. 18 पुलिस थाना, कांचीपुरम तालुक में हैड कांस्टेबल है जिसने यह साक्ष्य दिया है कि वह पुलिस अधीक्षक, कांचीपुरम के निर्देशानुसार हैदराबाद गया था और हैदराबाद पुलिस ने उसे अभियुक्त तथा क्वालिस कार सौंपी थी जिसे उसने पुलिस निरीक्षक रामामूर्ति को सौंप दिया था ।

29. अभि. सा. 19 ने पुलिस उप निरीक्षक रामामूर्ति द्‌वारा किए गए अन्वेषण के संबंध में साक्ष्य दिया है जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी । अतः, अभि. सा. 19 ने उपलब्ध अभिलेख के आधार पर घटना के बारे में साक्ष्य दिया है । वर्तमान मामले में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) के रूप में चिह्नांकित की गई है और महाजर तथा सादा नक्शे को क्रमशः प्रदर्श पी. 17 और पी. 18 के रूप में चिह्नांकित

किया गया है, संशोधन रिपोर्ट को प्रदर्श पी. 19 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और अभियुक्त के संस्वीकृति कथन के ग्राह्य भाग को प्रदर्श पी. 21 के रूप में चिह्नांकित किया गया है जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं । लोहे की राड को तात्विक वस्तु 2 के रूप में चिह्नांकित किया गया है जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त के विकलांग होने के बारे में साक्ष्य दिया है और यह भी बताया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था जिससे यह पता लगाया जाता कि अभियुक्त क्वालिस कार चला सकता था या नहीं । सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसी कोई सामग्री नहीं पाई गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि रवीन्द्रथन पुलिस थाने आया था और उसने अभियुक्त की शनाख्त की थी ।

30. अभियुक्त ने अपनी परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में कराई है और उसने यह कथन किया है कि जब उसकी आयु साढ़े चार वर्ष थी तब उसकी दायीं टांग घुटने के नीचे से कट गई थी और तब से उसके बनावटी (कृत्रिम) टांग लगी हुई है । उसने यह भी कथन किया है कि वह कार या दुपहिया वाहन नहीं चला सकता । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने उत्तर में भी यही पक्षकथन रखा है और इस संबंध में कथन किया है कि उसे इस मामले में बिना किसी आधार के आलिप्त किया गया है और अभिकथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है ।

31. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने निम्न दलीलें दी है :-

"(i) अभियुक्त की इस मामले में समुचित रूप से शनाख्त नहीं की गई है और अभियुक्त को अभिकथित घटना से संबद्ध करने के लिए कतई कोई सामग्री नहीं है ।

(ii) स्वीकृत रूप से अभियुक्त के दाएं घुटने के नीचे से उसकी टांग कटी हुई है और वह कार नहीं चला सकता है और इस मूल तथ्य के संबंध में कोई भी अन्वेषण नहीं किया गया है कि अभियुक्त कार चलाने हेतु सक्षम है या नहीं ।

(iii) ढाई वर्ष बाद तात्विक वस्तु 2 की बरामदगी पूर्णतया

अविश्वसनीय है और बरामदगी-साक्षी अर्थात् अभि. सा. 14 पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

(iv) अभियोजन पक्ष वाहन की ट्रिप-शीट (यात्रा-पर्ची) प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे उस व्यक्ति के नाम का पता चल सकता था जिसने अभि. सा. 7 को बुलाया था और इससे कम से कम अभियुक्त का फोन नम्बर मालूम हो सकता था । यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो कि जुटाया नहीं जा सका है ।

(v) जब अभि. सा. 11 द्वारा कार अभिगृहीत की गई थी तब भी अभियुक्त कार में नहीं पाया गया और उसे किसी भिन्न स्थान से अभि. सा. 11 द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में बाद में गिरफ्तार किया गया है और कार का अभिग्रहण और अभियुक्त की गिरफ्तारी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कार की चाबी की बरामदगी का मिथ्या मामला बनाया गया है ।

(vi) अभि. सा. 1 ने पहली बार अभियुक्त की शनाख्त घटना की तारीख से लगभग साढ़े तीन वर्ष पश्चात् न्यायालय में ही की है ।"

32. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने निम्न दलीलें दी हैं :-

"(i) रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त की है और अभियुक्त की शनाख्त पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त के साथ 4 तारीख की रात्रि से लेकर 5 तारीख को प्रातःकाल तक समय बिताया है ।

(ii) यह तथ्य कि कार की चाबी अभि. सा. 11 द्वारा अभियुक्त से बरामद की गई है, केवल अभियुक्त के संस्वीकृति कथन पर आधारित है जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति है जिसके पास क्वालिस कार (तात्विक वस्तु-1) थी ।

(iii) स्वीकृत रूप से अभियुक्त के सीधे घुटने के नीचे कृत्रिम

टांग लगी हुई थी और इसीलिए वह इस टांग का प्रयोग सामान्य व्यक्ति की तरह कर सकता था और उसे ऐसी टांग से कार चलाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी ।

(iv) शनाख्त परेड न कराया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है और रवीन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं है ।

(v) विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है और उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कतई कोई कारण नहीं है ।"

चर्चा

33. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की शनाख्त साबित की है या नहीं और अभिकथित अपराध से अभियुक्त को संबद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है या नहीं ।

34. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है । यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 शनाख्त से संबंधित साक्ष्य के बारे में नहीं है बल्कि इसका संबंध शनाख्त को लेकर पारिस्थितिक साक्ष्य से है । यदि अभियुक्त, साक्षी के लिए कोई अजनबी है और उस साक्षी ने प्रथम बार अपराध कारित किए जाने के समय पर उसे देखा है, तब पुलिस ऐसे साक्षी को अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए उस समय बुला सकती है जब अभियुक्त उनकी अभिरक्षा में होता है । अभियुक्त की इस प्रकार की गई शनाख्त अन्वेषण में सहायक हो सकती है और किसी सीमा तक पुलिस के संदेहों का समाधान कर सकती है और इससे यह पता चल सकता है कि संदिग्ध व्यक्ति ही अपराधी है और यह कि पुलिस इस संबंध में आगे और अन्वेषण कर सकती है । आगे और अन्वेषण करने के लिए पुलिस

द्वारा कराई गई शनाख्त, जो कि साक्ष्य की दृष्टि से अग्राह्य है, उस शनाख्त परेड से पूर्णतया भिन्न है जो मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कराई जाती है और इन दोनों में भ्रमित नहीं होना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई शनाख्त परेड का प्रयोग साक्ष्य के रूप में दांडिक कार्यवाहियों के दौरान किया जा सकता है । यह भी संभव है कि वह साक्षी जिसे अभियुक्त की शनाख्त करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बुलाया गया है वह प्रथम बार अभियुक्त को न्यायालय के कठघरे में अपनी स्मरण-शक्ति के आधार पर शनाख्त करता है ।

35. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 54ए को वर्ष 2005 में किए गए संशोधन के अनुसार पहली बार जोड़ा गया था जिसके अन्तर्गत न्यायालय को स्पष्ट रूप से शनाख्त परेड कराने का आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है । इस उपबंध का आशय यह सुनिश्चित करना है कि जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति की शनाख्त कर ली जाए जिसने वास्तव में अपराध कारित किया है ताकि सही दिशा में अन्वेषण किया जा सके ।

36. अभियुक्त की शनाख्त को लेकर वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय हैं जिनमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की ठीक प्रकार शनाख्त किए जाने को दर्शाया गया है ताकि उसे अभिकथित अपराध से संबद्ध किया जा सके ।

(क) **महाबीर** बनाम **दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

> "10. मटरू **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1050) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि शनाख्त परेड से प्राप्त साक्ष्य सारभूत साक्ष्य नहीं है । इसका प्रयोग केवल अन्वेषण अभिक्रम की सहायता करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि

---

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 481 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2343.

अन्वेषण सही दिशा में किया जा रहा है । शनाख्त जैसे साक्ष्य का प्रयोग न्यायालय में दिए गए कथन की संपुष्टि करने के लिए ही किया जा सकता है । (संतोख सिंह **बनाम** इजहार हुसैन : ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2190 वाला मामला देखिए) शनाख्त परेड कराने की आवश्यकता केवल तब होती है जब अभियुक्तों की जान-पहचान साक्षियों के साथ पहले से नहीं होती है । शनाख्त परेड कराने का सम्पूर्ण उद्देश्य यह है कि जिन साक्षियों ने घटना के समय अभियुक्तों को देखने का दावा किया है उन्हें अन्य किसी भी सहायता या स्रोत के बिना अभियुक्तों की पहचान अन्य व्यक्तियों के बीच में करनी होती है । यह परीक्षण साक्षियों की सत्यता को परखने के लिए किया जाता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्वेषण के दौरान शनाख्त परेड कराने का मुख्य उद्देश्य साक्षियों की उस स्मरण शक्ति को परखना होता है जो उनकी पहली नजर पर आधारित होता है तथा साथ ही अभियोजन पक्ष को इस संबंध में सुकर बनाना होता है कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि किसी एक या सभी व्यक्तियों को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाया जा सकता है या नहीं । शनाख्त परेड की कार्यवाही की प्रकृति परखने जैसे कार्य की होती है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन कोई भी उपबंध नहीं है । यह वांछनीय है कि शनाख्त परेड अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशीघ्र करा लेनी चाहिए । शनाख्त परेड शीघ्र करा लेने से यह संभावना समाप्त हो जाती है कि अभियुक्त साक्षियों को देख सकें । अभियुक्तों द्वारा आमतौर पर ऐसा ही अभिवाक् किया जाता है कि उन्हें साक्षियों को दिखा दिया गया है, अतः अभियोजन पक्ष को बड़ी सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसा अभिकथन किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है । तथापि, यदि परिस्थितियां अपरिहार्य हो जाती हैं और शनाख्त परेड कराने में थोड़ा विलंब हो जाता है तब इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता ।

11. यह सत्य है कि न्यायालय ने अभियुक्त की जो शनाख्त की जाती है वह एक सारभूत साक्ष्य है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट उपबंधों के अतिरिक्त इस न्यायालय के कई विनिश्चयों ने इस विधि को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है । जिन तथ्यों से अभियुक्त की शनाख्त सिद्ध होती है वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत हैं । सामान्य नियम के अनुसार किसी साक्षी का न्यायालय ने दिया गया कथन सारभूत साक्ष्य होता है । विचारण के दौरान न्यायालय ने पहली बार अभियुक्त की शनाख्त किए जाने का साक्ष्य अन्तर्निहित रूप से एक कमजोर साक्ष्य है ।"

(ख) **राज्य** बनाम **वी. सी. शुक्ला**:[1]

"... इस प्रकार, एकमात्र वह परिस्थिति जिसके आधार पर साक्षी अभियुक्त त्रिपाठी की शनाख्त कर सकता था, संदिग्ध हो जाती है और त्रिपाठी के इस कथन को दृष्टिगत करते हुए कि वह तारीख 10 नवंबर को फिल्म लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कभी नहीं गया था, अभि. सा. 5 का यह साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि त्रिपाठी ही वह व्यक्ति है जो स्टेशन पर मौजूद था । इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि साक्षी ने अभियुक्त की शनाख्त करने में थोड़ी भूल की है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त त्रिपाठी की प्रथम बार शनाख्त किया जाना व्यर्थ है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की शनाख्त परेड न कराई गई हो ।

(ग) **राजू** उर्फ **राजेन्द्र** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] :

"... 7. इससे हमारा ध्यान इस प्रश्न की ओर जाता है कि क्या दो अपीलार्थियों की शनाख्त हमलावरों के रूप में कराए जाने का अवलंब लेना उचित हो सकता है । जहां तक अभियुक्त-1 की शनाख्त का संबंध है हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त-1 को

---

[1] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1382.

[2] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 275.

दोनों साक्षी पहले से जानते थे । ऐसी परिस्थितियों में दो हमलावरों में से एक हमलावर के रूप में अभियुक्त-1 की शनाख्त किए जाने पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । परिणामतः, हमें अभियुक्त-1 के विरुद्ध अभियोग को साबित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को प्रबलित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक साक्ष्य पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. तथापि, अन्य हमलावरों के रूप में अभियुक्त 2 की शनाख्त के संबंध में भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त 2 को उस दिन (न्यायालय में) पहली बार देखा था । साक्षियों के उपरोक्त कथन और अभियुक्त 2 की गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् शनाख्त परेड न कराए जाने को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि न्यायालय में अभियुक्त 2 की प्रथम बार की गई शनाख्त वह भी घटना के डेढ़ वर्ष पश्चात्, अवलंब लिए जाने योग्य नहीं है ।"

(घ) **कन्नन और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[1] :

"...... विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मात्र यह तथ्य कि कोई भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई थी, अभि. सा. 25 के साक्ष्य को निष्फल नहीं कर सकता । हम ससम्मान यह महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को अपनाने में त्रुटि की है । यह सुस्थापित है कि जब कोई साक्षी किसी ऐसे अभियुक्त की शनाख्त न्यायालय में प्रथम बार करता है जिससे वह पहले से नहीं जानता है, तब उसका साक्ष्य तब तक पूर्णतया व्यर्थ है जब तक कि उस साक्षी के शनाख्त करने की क्षमता को पहले से की गई शनाख्त परेड के दौरान न परख लिया गया हो । साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन शनाख्त परेड कराने का उद्देश्य उस साक्षी के किसी अज्ञात व्यक्ति को पहचानने की क्षमता को परखना होता है जिसको उस साक्षी ने केवल एक बार देखा होता हो । यदि किसी मामले में कोई

[1] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1127.

भी शनाख्त परेड नहीं कराई गई है तब न्यायालय में पहली बार अभियुक्त की साक्षी द्वारा की गई शनाख्त के संबंध में दिए गए उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अवलंब लेना पूर्णतया अनुचित होगा ।

(ङ) **मणिकन्दन** बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक**[1] : वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :-

"......14. शनाख्त परेड की भावना क्या है ? अन्वेषण के दौरान की जाने वाली शनाख्त परेड के दो प्रयोजन हैं :-

अन्य व्यक्तियों के बीच खड़े अभियुक्त की शनाख्त करने के संबंध में आहत की पहचानने की क्षमता का आकलन करना ।

इस प्रकार की गई शनाख्त का प्रयोग, यदि शनाख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है, न्यायालय के कठघरे में की गई शनाख्त के साथ संपुष्टि के लिए किया जाता है ।"

इस मामले में यदि पुलिस इस प्रकार का संपोषक साक्ष्य अर्थात् शनाख्त परेड कराना नहीं चाहती है तब यह उसकी इच्छा पर है । यदि आहत को पुलिस थाने में अभियुक्त का चेहरा दिखा दिया जाता है और आहत अभियुक्त की शनाख्त कर लेता है, तब इसका प्रयोग संपोषक साक्ष्य के रूप में उस समय नहीं किया जा सकता जब न्यायालय में शनाख्त की जाती है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन वर्जित है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन लगे निषेध को दृष्टिगत करते हुए पीड़ित अपनी मुख्य परीक्षा में यह नहीं कह सकता है कि उसने अभियुक्त को पुलिस थाने में पहचान लिया था । पुलिस थाने में अभियुक्त को देखना तथ्यतः न्यायालय में की गई शनाख्त को निष्फल नहीं कर सकता विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त का चेहरा आहत को दिखाने के संबंध में संहिता में कोई भी स्पष्ट रोक न लगाई गई हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54क जो 2005 के केन्द्रीय अधिनियम

---

[1] (2018) 1 एम. डब्ल्यू. एन. (क्रिमिनल) 139.

25 द्वारा पुरःस्थापित की गई है, मात्र एक सामर्थ्यकारी उपबंध है जिसके अधीन न्यायालय को सशक्त बनाया गया है कि वह अभियुक्त को अपनी शनाख्त परेड कराने का निदेश दे सके । दंड प्रक्रिया संहिता का रूप वर्ष 1862 से कई बार बदला है और पुलिस अन्वेषण के भाग के रूप में शनाख्त परेड करवाती चली आ रही है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54-क को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके अधीन शनाख्त परेड की कार्यवाही प्रथम बार पुरःस्थापित कराई गई है । निःसंदेह, उपरोक्त मामले में यदि पुलिस के पास बरामद की गई वस्तुएं आदि जैसी पर्याप्त सामग्री है, तब अभियुक्त को साक्षियों द्वारा पुष्टि कराए बिना गिरफ्तार करना न्यायोचित है और इसके पश्चात् उस अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है तथा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शनाख्त परेड की कार्यवाही बाद में कराई जा सकती है ।

22. .... अतः, विधितः यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस थाने में अभियुक्त को देखना तथ्यतः न्यायालय में की गई अभियुक्त की शनाख्त को दूषित कर देगा और यह कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 का प्रभाव कम हो जाएगा । अभियुक्त को पुलिस थाने में देखना साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन साक्षी का एक सुसंगत आचरण है और इससे साक्षी कठघरे में की गई अभियुक्त की शनाख्त, ज़ो कि सुसंगत है, असंगत नहीं हो सकती । बहुत से बहुत न्यायालय यह कर सकता है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का कड़ी सतर्कता से परिशीलन करे ।

37. उपरोक्त निर्णय से निम्न सिद्धांत उद्भूत होते हैं :-

(क) शनाख्त परेड प्राथमिक रूप से न्यायालय के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य केवल अन्वेषण को सुकर बनाना है ।

(ख) शनाख्त परेड के प्रयोजन निम्न हैं –

(i) साक्षी की स्मरण-शक्ति परखना ;

(ii) साक्षी की सत्यता को परखना ; और

(iii) अभियोजन पक्ष को यह विनिश्चित करना कि संबद्ध व्यक्ति को इस अपराध का साक्षी बनाया जाए या नहीं ;

(iv) घटना घटित होने के एक लम्बे समय पश्चात् साक्षी द्वारा न्यायालय में प्रथम बार की गई अभियुक्त की शनाख्त दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो सकती है ;

(v) न्यायालय में प्रथम बार की गई अभियुक्त की शनाख्त पर्याप्त रूप से प्रभावी हो सकती है और इसका अवलंब लिया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि शनाख्त करने वाले साक्षी का साक्ष्य विश्वासप्रद और विश्वसनीय हो ।

38. वर्तमान मामले में रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) को छोड़कर किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की शनाख्त नहीं की है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से निम्न साक्ष्य दिया है :-

(स्थानीय भाषा का लोप किया गया है - संपादक)

39. यह घटना तारीख सायंकाल 4 मार्च, 2004 और रात्रि 5 मार्च, 2004 के बीच घटित हुई है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने तारीख 24 सितंबर, 2007 को न्यायालय में अपना साक्ष्य दिया है और उस दिन इस साक्षी ने घटना घटित होने के साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय बाद अभियुक्त की शनाख्त की है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब बालूचेट्टी चतिराम ने उसे बेंगलुरु में अभियुक्त को दिखाया था, तब अभि. सा. 1 ने पुलिस को यह बताया था कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर तारीख 5 मार्च, 2004 को हमला किया था । इसके पश्चात्, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अभि. सा. 1 को यह बताया है कि जिस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया है उसी ने इस अपराध को संस्वीकृत किया है और अभि. सा. 1 से इस तथ्य को स्वीकार करवाया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे दिखाया गया है वह वही व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है । आश्चर्य की बात है कि इस मामले में क्वालिस कार और अभियुक्त को अभि. सा. 18 द्वारा हैदराबाद से बालू चेट्टी चतिराम पुलिस थाने लाया गया था, रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) को

पुलिस थाने में बुलाया भी नहीं गया कि वह अभियुक्त की शनाख्त कर ले । यदि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य स्पष्ट है कि जब बेंगलुरु में उसे अभियुक्त दिखाया गया था तब उसने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वह अपराधी नहीं है, साक्षी का यह आचरण इस बात से मेल नहीं खाता है कि वह न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त कर ले । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) के कथन में घोर संदेह इसी बात पर होता है । यदि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त को घटना के बाद से कभी नहीं देखा है और उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त पूर्णरूप से की है, तब भी इस साक्षी के साक्ष्य को महत्व दिया जा सकता था यदि उसने अभियुक्त के साथ घटना के दौरान पर्याप्त समय बिताया होता और हमले के दौरान उसके निकट ही रहा होता ।

40. घटना संबंधी कुछ कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा जो इस मामले में दिखाई पड़ते हैं । हैदराबाद की पुलिस को घटना के संबंध में पहली सूचना तारीख 23 मई, 2005 को प्राप्त हुई जिसमें लावारिस क्वालिस कार का उल्लेख किया गया था और इसके पश्चात् पुलिस घटनास्थल पर गई, इस कार को अभिगृहीत किया और इसे पुलिस थाने लाया गया और इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अधीन दांडिक मामला सं. 387/2005 दर्ज कराया गया । स्वीकृततः, जिस समय कार अभिगृहीत की गई थी, अभियुक्त कार में मौजूद नहीं था और अभि. सा. 10 जो केन्द्रीय अपराध शाखा, हैदराबाद में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब उसने इस कार का डैश-बोर्ड खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया । अतः, कार अभिगृहीत किए जाने के समय पर अभियुक्त से संबद्ध किए जाने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला ।

41. तारीख 26 अगस्त, 2006 को अर्थात् लगभग 1 वर्ष पश्चात् अभियुक्त को हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । अभि. सा. 15 ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया संस्वीकृति कथन दिया था और उसने कार की चाबी भी उसे सौंपी थी । इसका पता नहीं चल सका है कि हैदराबाद की पुलिस ने अभियुक्त को ऐसी लावारिस कार के साथ कैसे संबद्ध किया है जिसे अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के एक वर्ष पूर्व ही अभिगृहीत

कर लिया गया था । अतः, हैदराबाद पुलिस द्‌वारा बनाई गई यह कहानी अविश्वसनीय है ।

42. एक अन्य तथ्य और है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा । स्वीकृततः, अभियुक्त एक विकलांग है जिसकी दायीं टांग घुटने के नीचे से कटी हुई है । अभियोजन पक्ष के अनुसार इसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और लगभग 600 किलोमीटर कार चलाई है । आश्चर्य की बात है कि हैदराबाद या तमिलनाडु के किसी भी अन्वेषण अधिकारी ने यह आकलन नहीं किया है कि अभियुक्त कार चलाने योग्य है भी या नहीं । न्यायालय में प्रश्न पूछे जाने पर सभी पुलिस कर्मचारियों ने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है और यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने वाहन चलाने संबंधी अभियुक्त की सक्षमता को परखने का प्रयास नहीं किया है ।

43. अभियुक्त की विकलांगता इस बात को लेकर महत्वपूर्ण है कि रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) बड़ी आसानी से चिकित्सक (अभि. सा. 16) या कम से कम पुलिस को अभियुक्त की इस विकलांगता की सूचना उसकी पहचान के रूप में दे सकता था कि अभियुक्त एक विकलांग व्यक्ति है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) ने इस तथ्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया है । इस बात से भी रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) के इस कथन पर घोर संदेह होता है कि जो व्यक्ति आज न्यायालय में मौजूद है उसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है ।

44. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को उसके द्‌वारा दिए गए मात्र संस्वीकृति कथन के आधार पर इस मामले से संबद्ध किया है जिसके परिणामस्वरूप घटना के हैदराबाद पुलिस द्‌वारा कार की चाबी बरामद की गई और घटना के ढाई वर्ष पश्चात् आयरन जॉकी रॉड (तात्विक वस्तु 2) बालूचेट्टी चतिराम पुलिस द्‌वारा बरामद की गई है । इस न्यायालय की सुविचारित राय में तथ्य के प्रकटन से अभियोजन पक्षकथन को कोई फायदा नहीं पहुंचता है कि वह अभिकथित अपराध से अभियुक्त को संबद्ध कर सके ।

45. अभियुक्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में कराई है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313

के अधीन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं में अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बचपन से ही वह विकलांग है और वह दुपहिया या चार पहिए वाली गाड़ी नहीं चला सकता और पुलिस ने उसे मिथ्या फंसाया है ।

46. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका है कि अभियुक्त ने यह अपराध कारित किया है । अभियुक्त की पहचान पूर्णतया संदिग्ध है । रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) का साक्ष्य न्यायालय को विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होता है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त ने ही यह अपराध कारित किया है । अतः, निःसंदेह अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए ।

47. विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया है और अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 394 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है ।

48. इस मामले से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है । कॉल-टैक्सी बुलाना आजकल एक आम बात है । कॉल-टैक्सियां नगरों, कस्बों और ग्रामों में 24 घंटे और साल के 365 दिन चलती रहती हैं । कॉल-टैक्सियों से एक नया रोजगार मिला है । अपनी जीविका के लिए दूरस्थ ग्रामों और कस्बों से लोग कॉल-टैक्सी चलाने के काम पर आते हैं । बहुत से मामलों में वे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर टैक्सियां क्रय भी कर लेते हैं । इस ऋण की अदायगी और अपने परिवार के भरणपोषण के लिए वे रात-दिन टैक्सी चलाते हैं ।

49. इस प्रकार के आच्छादित वातावरण से यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति यात्री के रूप में कार में सवार हो रहा है और जो कॉल-टैक्सी ड्राइवर के लिए एक थर्ड पार्टी है, उस यात्री की शनाख्त की जाए । वर्तमान मामले में इस बाबत कोई संदेह नहीं है कि घटना वास्तव में घटित हुई है और रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) पर हमलावरों द्वारा वार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) के सिर में क्षतियां पहुंची हैं । इस मामले में सबसे बड़ी समस्या उस व्यक्ति की शनाख्त है जिसने रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) पर

हमला किया है । इस मामले में जो घटना घटित हुई है वह किसी भी कॉल-टैक्सी ड्राइवर के साथ घटित हो सकती है, अतः ऐसा तरीका अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा उस व्यक्ति की समुचित रूप से शनाख्त की जा सके जो कार में सवार हो रहा है ।

50. एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि अभियुक्त की शनाख्त पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के दौरान किस प्रकार की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण सही दिशा में किया जा रहा है । वर्तमान मामले में रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) को पुलिस ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त दिखाया गया था और इस साक्षी ने अभियुक्त को देखकर यह कहा था कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने उस पर हमला किया था । तथापि, पुलिस ने रविन्द्रथन (अभि. सा. 1) पर यह दबाव डाला कि वह न्यायालय में यही बताए कि इसी अभियुक्त ने उस पर हमला किया था । अतः, इस न्यायालय के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि अभियुक्त को संदेह का लाभ दे । अभियोजन पक्ष द्वारा की गई यह भारी गलती भविष्य में नहीं दोहरायी जानी चाहिए ।

51. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभियुक्त आहत/साक्षी के लिए अपरिचित होता है और साक्षियों ने उसे पहली बार अपराध कारित किए जाने के समय पर देखा होता है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है वही वह व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है, न्यायालय से उस अभियुक्त की शनाख्त परेड कराने का निदेश लेने की ईप्सा करनी चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54-क के अधीन विशेष रूप से न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अभियोजन पक्ष के निवेदन पर अभियुक्त की शनाख्त परेड कराए । इस प्रकृति के मामलों में इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अन्वेषण अभिकरण को कम से कम यह आश्वासन मिल जाता है कि अन्वेषण ठीक दिशा में किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, ऐसी शनाख्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत होगी और इसका प्रयोग दांडिक

कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है । निःसंदेह, सी.सी.टी.वी. फुटेज आजकल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया है जिससे उन्हें अपराध का पता लगाने में सहायता मिलती है किन्तु यह एक ऐसी सुविधा है जो राज्य में हर जगह उपलब्ध नहीं है । पुलिस कर्मचारियों को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंधों की उपलब्धता के संबंध में शिक्षित बनाया जाना चाहिए ताकि अभियुक्तों की शनाख्त की जा सके । इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से यह संदेह समाप्त हो जाता है कि घटना के घटित होने के लम्बे समय पश्चात् साक्षी द्वारा न्यायालय में पहली बार शनाख्त नहीं की जा रही है ।

52. सभी कॉल-टैक्सी संचालकों को स्थायी निदेश ऐसी प्रक्रिया विकसित करने के लिए दिए जा सकते हैं जिनके द्वारा उस व्यक्ति की शनाख्त सुनिश्चित की जानी चाहिए जो टैक्सी में सवार हो रहा है । यह शनाख्त किस प्रकार की जाएगी, इसे कॉल-टैक्सी संचालकों की इच्छा पर छोड़ा जा सकता है । विज्ञान के अति-विकसित वातावरण में किसी व्यक्ति की शनाख्त करने के लिए प्रक्रिया विरचित करना अत्यंत कठिन नहीं होगा ।

53. परिणामतः, यह दांडिक अपील मंजूर की जाती है । तारीख 24 सितंबर, 2008 को मामला सं. 22/2007 में अपर सेशन न्यायालय-सह-त्वरित न्यायालय-II, कांचीपुरम द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी द्वारा निष्पादित जमानत-पत्र रद्द किए जाते हैं और उसके द्वारा यदि कोई जुर्माने का संदाय किया गया है, उसे प्रतिदाय किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

महेश साहू और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य

(2018 का एम. सी. आर. सी. सं. 2070)

तारीख 5 दिसंबर, 2018

न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 और 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने का कथन किया जाना – मामले में पत्नी द्वारा दहेज मांग और क्रूरता का अभिकथन किया जाना – पत्नी द्वारा यह अभिकथन किया जाना कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज लाने के लिए मानसिक परेशानी देकर और क्रूरता का व्यवहार अपनाकर तंग किया गया – पति ने यह दावा किया है कि पत्नी द्वारा पति की ओर से फाइल किए गए विवाह-विच्छेद के दावे की घोर निन्दा करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई – विवाह-विच्छेद याचिका के बारे में सिविल न्यायालय का निष्कर्ष दांडिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा – यदि पत्नी द्वारा यह साबित किया गया है कि अपने विवाह संबंध को बचाने के लिए उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई क्योंकि पति समझौता करने की स्थिति में नहीं था तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को घोर निन्दा के एवज में दर्ज किया जाना नहीं कहा जा सकता, अत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 और 154 – जहां मामले में पत्नी द्वारा ससुराल वालों के प्रति दहेज मांग के संबंध में मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किए जाने का अभिकथन किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पीड़िता के पति के नजदीकी नातेदार उसी ग्राम में कहीं और रहते हैं तो मात्र अस्पष्ट और साधारण अभिकथनों के आधार पर विचारण का सामना कराने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जा सकता – अत: साधारण अभिकथनों पर पति के नजदीकी नातेदारों

को अभियोजित करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जाती है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 और 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने का अभिकथन किया जाना – दहेज मांग और क्रूरता के संबंध में पत्नी द्‌वारा यह अभिकथन किया जाना कि विवाह के समय से उसके पति द्‌वारा अपनी माता और पिता के साथ दहेज मांगने के संबंध में उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तंग किया गया – पीड़ित के ससुराल वालों ने उसे दहेज में मांगी गई रकम न लाने की दशा में वैवाहिक गृह में प्रवेश नहीं करने दिया – अत: पीड़िता द्‌वारा अभियुक्त के विरुद्ध क्रूरता और दहेज मांग में किए गए अभिकथनों पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में वर्तमान आवेदन के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक सं. 1 शिकायतकर्ता का पति है जबकि आवेदक सं. 2 और 3 शिकायतकर्ता के ससुर और सास हैं । आवेदक सं. 4 शिकायतकर्ता का चचेरा ससुर है, जबकि आवेदक सं. 5 और 6 शिकायतकर्ता का जेठ और आवेदक सं. 7 और 8 आवेदक सं. 5 और 6 की पत्नियां (जेठानी) हैं । आवेदक सं. 9 और 10 शिकायतकर्ता की ननद हैं । तारीख 23 मई, 2017 को प्रत्यर्थी सं. 2/शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन करते हुए आवेदकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है कि उसका हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार तारीख 22 अप्रैल, 2015 को आवेदक सं. 1 के साथ विवाह हुआ था । विवाह के पश्चात्, आवेदकों ने शिकायतकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया । उन्होंने उससे 5,00,000/- रुपए की मांग की थी और जब उसने उनकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया तब लगभग 8 से 9 मास पूर्व जब शिकायतकर्ता गर्भावस्था में थी तब उसका पति और अन्य आवेदकों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया था और उसे उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था और उसने पैतृक गृह में बच्चे को जन्म दिया था तथा सामाजिक पंचायत में समझौता होने के पश्चात्, आवेदक सं. 1 उसे अपने साथ भोपाल ले गया जहां भी उसे आवेदक सं. 1 द्‌वारा पीटा गया था और उसे अंधेरे में रखकर आवेदक सं. 1 इन्दौर में शिकायतकर्ता को

छोड़ गया और जब शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत की, तब आवेदक सं. 1 ने पुन: इस मामले में समझौता कर लिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह न तो दहेज की मांग करेगा और न शिकायतकर्ता को परेशान करेगा । तथापि, समझौते के पश्चात् भी आवेदक सं. 1 ने 5,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने के कारण उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया । तारीख 11 मई, 2017 को जब शिकायतकर्ता आवेदक सं. 1 के मकान पर पहुंची तब उसे घर के अंदर घुसने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया था और उसने यह अनुदेश दिया कि शिकायतकर्ता को ग्राम पचमा पर जाना चाहिए और तारीख 22 मई, 2017 को शिकायतकर्ता ग्राम पचमा पर गई जहां शेष आवेदकों ने घर के अंदर आने से शिकायतकर्ता को मंजूरी नहीं दी और उन्होंने यह अभिकथन किया कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की रकम नहीं लाएगी तो वे उसे वैवाहिक गृह में रुकने के लिए मंजूरी नहीं देंगे । आवेदकों के काउंसेल ने यह दलील दी है कि आवेदक सं. 1 ने विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन याचिका फाइल की है और इस बात की घोर निंदा करते हुए मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की गई है । अन्यथा भी, आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथन अस्पष्ट हैं और साधारण तौर पर किए गए हैं और प्रकृति में बहु प्रयोजन के उद्देश्य से किए गए हैं तथा विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि शिकायतकर्ता के पति के नजदीक के नातेदारों को साधारण और बहु प्रयोजन अभिकथनों के आधार पर अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अभियोजन का सामना करने के लिए केवल तब विवश किया जाना चाहिए जबकि उनके विरुद्ध गंभीर प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट अभिकथन किए गए हों तथा आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथन उस अर्हता को पूरा नहीं करते हैं और यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी अलग-अलग निवास करते हैं और उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि वे आवेदक सं. 1 के नजदीकी नातेदार हैं । इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जब शिकायतकर्ता ग्राम पचमा गई थी, तब उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी और सभी आवेदकों ने उसे इस बात के लिए धमकाया था कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की मांग को पूरा नहीं

करती है तब तक उसे उसके वैवाहिक गृह में रहने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी और इसलिए, प्रथमदृष्ट्या सभी आवेदकों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किए गए हैं । जहां तक आवेदकों की दलील का संबंध है कि आवेदक सं. 1 द्वारा फाइल की गई विवाह-विच्छेद की याचिका की घोर निंदा करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यह प्रश्न अनिर्णीत विषय नहीं रहा है । इस प्रकार, सिविल न्यायालय के निष्कर्ष दांडिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं और केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के कारण जिसे विवाह-विच्छेद याचिका को संस्थित करने के पश्चात् दर्ज किया गया था उससे वास्तव में यह अभिप्रेत नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विवाह-विच्छेद की याचिका की घोर निंदा करते हुए दर्ज की गई थी । इसके प्रतिकूल, यह उपधारणा की जा सकती है कि शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक जीवन को बचाने में हितबद्ध थी और केवल जब उसे यह महसूस हुआ कि वह पति से सभी आशाओं को खो चुकी है और उस समझौते के लिए भी हितबद्ध नहीं रही तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करके अपने ससुराल वालों के गलत कार्यों को अंजाम देने का विनिश्चय किया तब यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घोर निंदा की वजह से दर्ज की गई थी । इसके प्रतिकूल, पत्नी का सद्भावी आशय से यह दर्शित होता है कि उसने किसी प्रकार अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया होगा । आवेदन भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह स्पष्ट है कि यदि अभिकथन अस्पष्ट हैं और प्रकृति में साधारण और बहु प्रयोजन का भाव रखते हैं, तब शिकायतकर्ता के पति के नातेदारों को विचारण की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में आवेदक सं. 4 शिकायतकर्ता के चचेरे ससुर हैं जबकि आवेदक सं. 5 और 6 शिकायतकर्ता के बड़े जेठ हैं और आवेदक सं. 7 और 8 आवेदक सं. 5 और 6 की पत्नियां हैं । आवेदक सं. 9 और 10 शिकायतकर्ता की विवाहित ननद हैं जो अलग निवास करते हैं । आवेदकों ने आवेदक सं. 4 से 10 के अलग निवास को प्रकट करने के लिए दस्तावेज फाइल किए हैं । यद्यपि, आवेदक सं. 4 से 8 उसी ग्राम अर्थात् ग्राम पचमा के निवासी हैं । अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके मकानों के बीच

की दूरी अत्यधिक है जिस पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि शिकायतकर्ता के कुटुंब के जीवन में उक्त आवेदकों द्वारा दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं थी परंतु शिकायतकर्ता के पति के नजदीक के नातेदारों को अभियोजित करने के प्रक्रम में भी विनिर्दिष्ट अभिकथन होने चाहिए जो साधारण और बहु प्रयोजन प्रकृति के नहीं होने चाहिए । वर्तमान मामले में आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध ये अभिकथन किए गए हैं कि उन्होंने विवाह के तुरन्त पश्चात् शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया गया था क्योंकि उनकी 5,00,000/- रुपए की मांग भी पूरी नहीं हुई थी । इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि शिकायतकर्ता को आवेदक सं. 4 से 10 द्वारा कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया गया था । आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे शारीरिक रूप से तंग किया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया । यह भी अभिकथन किए गए हैं कि जब शिकायतकर्ता को उसके वैवाहिक गृह से बाहर कर दिया गया था तब सामाजिक पंचायत बुलाई गई थी और आवेदक सं. 1 ने निश्चित आश्वासन भी दिए थे और उसे अपने साथ भोपाल ले गया जहां वह नौकरी करता था । यह अभिकथन किया गया है कि शिकायतकर्ता को अंधेरे में रखकर आवेदक सं. 1 ने शिकायतकर्ता को इंदौर छोड़ दिया था और जब उसके विरुद्ध शिकायत की गई थी तब उसने पुन: यह आश्वासन दिया कि वह न तो शिकायतकर्ता को परेशान करेगा और न उसके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करेगा । इस प्रकार आवेदक सं. 1 के विरुद्ध केवल अभिकथनों का एक दूसरा समूह है । इसके पश्चात् यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 20 फरवरी, 2017 को जब शिकायतकर्ता ग्राम पचमा में अपने वैवाहिक गृह पर गई, तब सभी आवेदकों ने वैवाहिक गृह में घुसने से उसको रोका था और यह धमकी दी थी कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की राशि को नहीं लाती है तो उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी । यह सही है कि आवेदक सं. 4 से 8 ग्राम पचमा में निवास करते हैं । तथापि, इस न्यायालय की विचारित राय यह है जो आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध साधारण अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट रूप से आवेदक सं. 9 और 10 अपने-अपने कुटुंब के साथ भिन्न-भिन्न शहरों में

पृथक् रूप से रह रहे हैं । तब शिकायतकर्ता को 5,00,000/- रुपए की मांग न पूरा किए जाने के कारण उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने के लिए अनुज्ञात न करने के लिए साधारण और बहु प्रयोजन अभिकथन से आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क के अधीन तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए अभियोजित करना पर्याप्त नहीं है । तद्नुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 2017 के अपराध सं. 429 जिसे दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए पुलिस थाना बसोदा नगर, जिला विदिशा में दर्ज किया गया है, उस पर आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध आरोप पत्र तथा पारिणामिक कार्यवाहियां एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती हैं । जहां तक आवेदक सं. 2 और 3 के विरुद्ध अभिकथनों का संबंध है, वे शिकायतकर्ता के ससुर और सास हैं । वहां पर यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रारंभ में उन्होंने 5,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने के कारण शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया था परंतु बाद में तारीख 22 मई, 2017 को उन्होंने भी उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी थी और यह भी धमकी दी थी कि जब तक 5,00,000/- रुपए की राशि नहीं लाएगी तो उसे वैवाहिक गृह में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी । इस न्यायालय की विचारित राय यह है कि शिकायतकर्ता के सास और ससुर की प्रास्थिति उसके अन्य ससुराल वालों की प्रास्थिति से बिल्कुल भिन्न है । आवेदक सं. 2 और 3 द्वारा दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए पुलिस थाना बसोदा नगर, जिला विदिशा में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 429/2017 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए याचिका फाइल की तथा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए और एतद्द्वारा दांडिक कार्यवाहियों को खारिज किया जाता है । जहां तक आवेदक सं. 1 के मामले का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन हैं जिनसे दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है । तद्नुसार, आवेदक सं. 1 द्वारा अपराध सं. 429/2017 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए फाइल किए गए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

482 के अधीन आवेदन को पारिणामिक कार्यवाहियों पर खारिज किया जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 13 एस. सी. सी. 693 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2639 : **मंजू राय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	11
[2015]	(2015) 11 एस. सी. सी. 260 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1817 : **तारा मणि पारेख** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	20
[2014]	(2014) 8 एस. सी. सी. 273 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2756 : **अनरेश कुमार** बनाम **बिहार राज्य** ;	13
[2013]	2013 (1) यू. सी. 155 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3651 : **चन्द्रलेखा और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** ;	12
[2012]	(2012) 10 एस. सी. सी. 741 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 181 : **गीता मेहरोत्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	15
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3363 : **प्रीति गुप्ता** बनाम **झारखंड राज्य** ;	14
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 673 : **मनोज महावीर प्रसाद खेटान** बनाम **रामगोपाल पोद्दार** ;	15
[2009]	(2009) 10 एस. सी. सी. 184 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6683 : **नीलू चोपड़ा और एक अन्य** बनाम **भारती** ;	15

[2007]	(2007) 12 एस. सी. सी. 369 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5933 : **प्रतिभा** बनाम **रामेश्वरी देवी और अन्य** ;	8
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 207 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2324 : **कंसराज राज्य** बनाम **पंजाब राज्य** ।	10

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का एम. सी. आर. सी. सं. 2070.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदकों की ओर से श्री सुशील गोस्वामी

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री बी. बी. एस. चौहान लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया – यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए पुलिस थाना बसोदा नगर जिला विदीशा में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 429/2017 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने तथा आरोप पत्र और दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए फाइल किया गया है ।

2. संक्षेप में वर्तमान आवेदन के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक सं. 1 शिकायतकर्ता का पति है जबकि आवेदक सं. 2 और 3 शिकायतकर्ता के ससुर और सास हैं । आवेदक सं. 4 शिकायतकर्ता का चचेरा ससुर है, जबकि आवेदक सं. 5 और 6 शिकायतकर्ता का जेठ और आवेदक सं. 7 और 8 आवेदक सं. 5 और 6 की पत्नियां (जेठानी) हैं । आवेदक सं. 9 और 10 शिकायतकर्ता की ननद हैं ।

3. तारीख 23 मई, 2017 को प्रत्यर्थी सं. 2/शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन करते हुए आवेदकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है कि उसका हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तारीख 22 अप्रैल, 2015 को आवेदक सं. 1 के साथ विवाह हुआ था । विवाह के पश्चात्, आवेदकों ने शिकायतकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया । उन्होंने उससे

5,00,000/- रुपए की मांग की थी और जब उसने उनकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया तब लगभग 8 से 9 मास पूर्व जब शिकायतकर्ता गर्भावस्था में थी तब उसका पति और अन्य आवेदकों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया था और उसे उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था और उसने पैतृक गृह में बच्चे को जन्म दिया था तथा सामाजिक पंचायत में समझौता होने के पश्चात्, आवेदक सं. 1 उसे अपने साथ भोपाल ले गया जहां भी उसे आवेदक सं. 1 द्वारा पीटा गया था और उसे अंधेरे में रखकर आवेदक सं. 1 इन्दौर में शिकायतकर्ता को छोड़ गया और जब शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत की, तब आवेदक सं. 1 ने पुन: इस मामले में समझौता कर लिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह न तो दहेज की मांग करेगा और न शिकायतकर्ता को परेशान करेगा । तथापि, समझौते के पश्चात् भी आवेदक सं. 1 ने 5,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने के कारण उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया । तारीख 11 मई, 2017 को जब शिकायतकर्ता आवेदक सं. 1 के मकान पर पहुंची तब उसे घर के अंदर घुसने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया था और उसने यह अनुदेश दिया कि शिकायतकर्ता को ग्राम पचमा पर जाना चाहिए और तारीख 22 मई, 2017 को शिकायतकर्ता ग्राम पचमा पर गई जहां शेष आवेदकों ने घर के अंदर आने से शिकायतकर्ता को मंजूरी नहीं दी और उन्होंने यह अभिकथन किया कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की रकम नहीं लाएगी तो वे उसे वैवाहिक गृह में रूकने के लिए मंजूरी नहीं देंगे । आवेदकों के काउंसेल ने यह दलील दी है कि आवेदक सं. 1 ने विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन याचिका फाइल की है और इस बात की घोर निंदा करते हुए मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की गई है । अन्यथा भी, आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथन अस्पष्ट हैं और साधारण तौर पर किए गए है और प्रकृति में बहु प्रयोजन के उद्देश्य से किए गए हैं तथा विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि शिकायतकर्ता के पति के नजदीक के नातेदारों को साधारण और बहु प्रयोजन अभिकथनों के आधार पर अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अभियोजन का सामना करने के लिए केवल तब विवश

किया जाना चाहिए जबकि उनके विरुद्ध गंभीर प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट अभिकथन किए गए हों तथा आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथन उस अर्हता को पूरा नहीं करते हैं और यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी अलग-अलग निवास करते हैं और उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि वे आवेदक सं. 1 के नजदीकी नातेदार हैं ।

4. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जब शिकायतकर्ता ग्राम पचमा गई थी, तब उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी और सभी आवेदकों ने उसे इस बात के लिए धमकाया था कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की मांग को पूरा नहीं करती है तब तक उसे उसके वैवाहिक गृह में रहने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी और इसलिए, प्रथमदृष्ट्या सभी आवेदकों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किए गए हैं ।

5. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया ।

6. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को शिकायतकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में दोहराया गया था । इस प्रकार, आवेदकों के विरुद्ध किए गए अभिकथन निम्न प्रकार हैं :–

(1) शिकायतकर्ता का तारीख 22 अप्रैल, 2015 को आवेदक सं. 1 के साथ विवाह हुआ था और विवाह के तत्काल पश्चात् सभी आवेदकों ने 5,00,000/- रुपए की मांग करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया था ।

(2) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने की तारीख से लगभग 8 से 9 माह पूर्व जब शिकायतकर्ता गर्भावस्था में थी, तब उसे उसके वैवाहिक गृह से निकाल दिया गया था और वह अपने माता-पिता के घर पर पहुंची जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया ।

(3) पंचायत की बैठक बुलाई गई थी और उस पंचायत में आवेदक सं. 1 समझौता करने के लिए तैयार हुआ और, तद्नुसार, आवेदक सं. 1 शिकायतकर्ता को भोपाल ले गया जहां वह कार्य करता था और बाद में शिकायतकर्ता को अंधेरे में रखते हुए उसने

इन्दौर शिकायतकर्ता को छोड़ दिया तथा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर उसने पुन: यह आश्वासन दिया कि उससे कोई क्रूरता का व्यवहार नहीं बरता जाएगा तथा दहेज की कोई मांग नहीं की जाएगी । फिर भी आवेदक सं. 1 ने अपने साथ रुकने के लिए शिकायतकर्ता को कोई इजाजत नहीं दी ।

(4) तारीख 11 मई, 2017 को जब शिकायतकर्ता आवेदक सं. 1 के साथ रहने के लिए भोपाल गई तब उसे अपने घर में घुसने के लिए इजाजत नहीं दी और उसे यह सुझाव दिया कि वह ग्राम पचमा चली जाए ।

(5) तारीख 22 मई, 2017 को जब शिकायतकर्ता ग्राम पचमा गई तब बाकी आवेदकों ने उसे वैवाहिक गृह के अंदर घुसने से मना कर दिया और उससे यह आग्रह किया कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की राशि नहीं लाएगी तब तक उसे वैवाहिक गृह में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

7. जहां तक आवेदकों की दलील का संबंध है कि आवेदक सं. 1 द्वारा फाइल की गई विवाह-विच्छेद की याचिका की घोर निंदा करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यह प्रश्न अनिर्णीत विषय नहीं रहा है ।

8. **प्रतिभा** बनाम **रामेश्वरी देवी और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :-

"16. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि शिकायत केवल तब फाइल की गई थी जब वैवाहिक गृह में वापस लौटने के सभी प्रयास विफल हो गए थे और प्रत्यर्थी सं. 2 पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद याचिका फाइल की थी । इसके अतिरिक्त, हमारा यह मत है कि सिविल न्यायालय में विवाह-विच्छेद याचिका फाइल की जाती है जो संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने

[1] (2007) 12 एस. सी. सी. 369 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5933.

का कोई आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह सुस्थापित है कि दांडिक और सिविल कार्यवाहियां पृथक् और स्वतंत्र हैं तथा सिविल कार्यवाहियों के लंबित होने से दांडिक कार्यवाहियों को समाप्त करना नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि, उन्होंने उन्हीं तथ्यों को उठाया है ऐसी स्थिति में, इसलिए, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से परे गया हो और अपने अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया हों और, इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों या बाहरी विचारों का अवलंब लेकर उनसे परे जाकर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने में न्यायसंगत कार्य नहीं किया था ।"

9. इस प्रकार, सिविल न्यायालय के निष्कर्ष दांडिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं और केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के कारण जिसे विवाह-विच्छेद याचिका को संस्थित करने के पश्चात् दर्ज किया गया था उससे वास्तव में यह अभिप्रेत नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विवाह-विच्छेद की याचिका की घोर निंदा करते हुए दर्ज की गई थी । इसके प्रतिकूल, यह उपधारणा की जा सकती है कि शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक जीवन को बचाने में हितबद्ध थी और केवल जब उसे यह महसूस हुआ कि वह पति से सभी आशाओं को खो चुकी है और उस समझौते के लिए भी हितबद्ध नहीं रही तब उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करके अपने ससुराल वालों के गलत कार्यों को अंजाम देने का विनिश्चय किया तब यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घोर निंदा की वजह से दर्ज की गई थी । इसके प्रतिकूल, पत्नी का सद्भावी आशय से यह दर्शित होता है कि उसने किसी प्रकार अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया होगा ।

10. **कंसराज राज्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

"मामले के साक्ष्य के प्रकाश में हमने प्रतिरक्षा के विद्वान्

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 207 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2324.

काउंसेल की दलीलों से यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को केवल इस आधार पर अधिरोपित किया गया था क्योंकि वे प्रत्यर्थी सं. 2 और मृतका के पति के निकटस्थ नातेदार रहे हैं । पति के दोष के कारण ससुराल वाले या अन्य नातेदार सभी को दहेज की मांग के संबंध में आलिप्त नहीं किया जा सकता । ऐसे मामलों में जहां ऐसा अभियोजन किया जाता है, वहां पर पति की अपेक्षा अन्य व्यक्तियों का प्रत्यक्ष कार्य माना जाता है जिस बात को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना अपेक्षित है । मात्र अटकलबाजियों और अभिप्राय द्वारा ऐसे नातेदारों को दहेज मृत्यु के संबंध में अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । तथापि, मृतका पत्नियों के दहेज मृत्यु के मामलों में अपने ससुराल वालों को सभी को अधिरोपित करने की प्रवृत्ति जिससे वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन का मामला संभवत: हतोत्साहित और प्रभावित होता है और ऐसी उमंग या उत्सुकता से अधिकतम लोगों को सिद्धदोष करने की ईप्सा की जाती है जिस पर मृतका के माता-पिता पति के अन्य नातेदारों को शामिल करने के लिए प्रयास करते हुए पाए गए हैं जो अन्ततोगत्वा वास्तविक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन मामले को कमजोर बना देता है जैसाकि वर्तमान मामले में घटित होना प्रकट हुआ है ।"

11. **मंजू राय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो इस प्रकार है :-

"8. जब हम निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए मत में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं कि मृतका दहेज की मांग पूरी न करने के कारण परेशानी के अध्यधीन रही थी, तब हम ऐसी दलील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं कि अतिशयोक्ति के आधार पर कुटुंब के सभी सदस्यों को नामित करने की संभावना को विवर्जित किया जाता । कंस राज **बनाम** पंजाब राज्य, (2000)

---

[1] (2015) 13 एस. सी. सी. 693 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2639.

5 एस. सी. सी. 207 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2324 इस न्यायालय ने मत व्यक्त किया है : (एस. सी. सी. पृष्ठ 215, पैरा 5) (ए. आई. आर. पृष्ठ 2328, पैरा 5) ।

"5. .... तथापि, दहेज मृत्यु के मामले में मृतका पत्नी के ससुराल के सभी नातेदारों को फंसाए जाने की प्रवृत्ति जिसे यदि हतोत्साहित नहीं किया जाए तो इससे वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन के मामले के प्रभावित बने रहने की संभावना बनी रहती है । अधिकांश लोगों की दोषसिद्धि चाहने के लिए अत्यधिक उमंग और उत्सुकता के साथ मृतका के माता-पिता की ओर से अन्य नातेदारों को अन्तर्वलित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं जिससे अन्ततोगत्वा वास्तविक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला कमजोर हो जाता है जैसाकि वर्तमान मामले में प्रकट हुआ है ।"

इस प्रकार न्यायालय को बिना किसी विनिर्दिष्ट सामग्री के नातेदारों को समन करने में सावधानी बरतनी चाहिए । केवल पति या उसके माता-पिता जो कुटुम्ब के नजदीकी नातेदार होते हैं उनसे दहेज की मांग करने या पत्नी को परेशान करने की आशा की जा सकती है परंतु दूर के नातेदारों से नहीं, जब तक ऐसे दूर के नातेदारों के विरुद्ध किए गए अभिकथनों को समर्थन देने के लिए कोई वास्तविक सामग्री न हो तब तक दूर के नातेदारों को केवल नामित करना बिना कोई विनिर्दिष्ट भूमिका के उनको समन करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि ऐसी भूमिका के संबंध में सामग्री को समर्थन न मिलता हो ।

9. राजा लाल सिंह **बनाम** झारखंड राज्य वाले मामले में (2007) 15 एस. सी. सी. 415 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2154 यह मत व्यक्त किया गया था : (एस. सी. सी. पृष्ठ 419, पैरा 14 (ए. आई. आर. पृष्ठ 2156, पैरा 14) ।

"14. निस्संदेह, कुछ साक्षी अर्थात् अभि. सा. 5 दशरथ सिंह जो मृतका गायत्री के पिता हैं, और संतोष कुमार सिंह (अभि. सा.

3) मृतका का भाई है, ने यह कथन किया है कि मृतका गायत्री ने उनको यह बताया है कि दहेज की मांग न केवल राजा लाल सिंह द्वारा की गई थी बल्कि अपीलार्थी प्रदीप सिंह और उसकी पत्नी सजना देवी द्वारा भी की गई थी, परंतु हमारी यह राय है कि यह संभव है कि प्रदीप सिंह और सजना देवी का नाम मामले को व्यापक रूप देने के लेने लिए पुरोस्थापित किया गया था जैसाकि दंड संहिता की धारा 498क और 394 के अधीन प्राय: संभवतया देखने में आता है क्योंकि इस न्यायालय के कई विनिश्चयों में उदाहरणार्थ कामेश पंजीयार **बनाम** बिहार राज्य आदि (2005) 2 एस. सी. सी. 388 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 785 में यह मत व्यक्त किया गया है । इसलिए, हम प्रदीप सिंह और सजना देवी की अपील को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय जहां तक उनके संबंध में आक्षेपित निर्णयों का संबंध है, उन्हें, अपास्त करते हैं और हम यह निदेश देते हैं कि उन्हें जब तक वे किसी अन्य मामले में अपेक्षित न हों उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।"

*　　*　　*　　*　　*

11. न्यायालय को व्यावहारिक मत अपनाना चाहिए और जब किसी लड़की की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी मृत्यु दहेज की मांग या मांग किए जाने के संबंध में तंग किए जाने के अभिकथन के संबंध में जिसका स्वर्णिम पैमाने के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । किसी समय पर कुटुंब के सभी सदस्यों के विरुद्ध बहु प्रयोजन अभिकथन खासतौर भाइयों और बहनों और अन्य नातेदारों के विरुद्ध ऐसे अभिकथन पति और उसके माता-पिता के समान्तर नहीं लेना चाहिए । ऐसे मामले में दहेज की मांग के साधारण अभिकथन से अलग न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि सभी नामित सदस्यों द्वारा परेशानी भी कारित की गई ।"

12. **चन्द्रलेखा और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1]

---

[1] 2013 (1) यू. सी. 155 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3651.

वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

"प्रारंभ में, हम यह कथन करेंगे कि अधिकारिता के बारे में उच्च न्यायालय के मत से हमारा अनुमोदन होता है और हम उस मत की पुष्टि करते हैं । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् और उपस्थित परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात् हमारी यह राय है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जहां तक अपीलार्थी सं. 1, 2 और 3 से संबंधित है, उसे अभिखंडित किया जाता है । अभिकथन वृहत रूप में साधारण प्रकृति के हैं । अपीलार्थी में से प्रत्येक की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं मानी गई है । प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह कथन किया है कि वह विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ अहमदाबाद में रह रही थी । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अपीलार्थी सं. 1, 2 और 3 उनके साथ अहमदाबाद में रह रहे थे । यह विवाह तारीख 9 जुलाई, 2002 को सम्पन्न हुआ था और प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 15 फरवरी, 2003 को अर्थात् 7 माह की अवधि के भीतर अपना वैवाहिक गृह छोड़ दिया था । इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत फाइल करने की कार्रवाई नहीं की । 6 वर्ष के पश्चात् उसने वैवाहिक गृह छोड़ दिया था, वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपीलार्थी सं. 1, 2 और 3 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अस्पष्ट और साधारण अभिकथनों पर दर्ज की गई है । यहां पर यह स्मरण करना भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी सं. 2 की विवाहित साली है । हमारी यह राय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में असाधारण विलंब से प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थी सं. 1, 2 और 3 के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है जो हर प्रकार से साधारण प्रकृति के हैं । हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे अविवेचित और अस्पष्ट अभिकथन करके प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने पति के साथ इस मामले में उन्हें भी अभियोजित करने की कोशिश की है । हमारी परिपुष्ट राय यह है कि अपीलार्थी

सं. 1, 2 और 3 के विरुद्ध निरंतर दांडिक कार्यवाहियां जो इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में हैं, इससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है । अत: न्याय के हित में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को जहां तक अपीलार्थी सं. 1, 2 और 3 से संबंधित है, को अभिखंडित किया जाना चाहिए ।"

13. **अरनेश कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"4. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है । विवाह की प्रथा को इस देश में अत्यधिक पूर्ण श्रद्धा के रूप में माना जाता है । दंड संहिता की धारा 498क को किसी स्त्री के पति और उसके नातेदारों द्वारा उसे परेशान करने के जोखिम से संघर्ष करने के उद्देश्य से पुरोस्थापित किया गया है । यह तथ्य कि दंड संहिता की धारा 498क संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिससे उपबंधों के बीच में संदिग्धता का निराकरण होता है जिसे असंतुष्ट पत्नी की रक्षा कवच के रूप में आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है । साधारण तौर पर तंग किए जाने के लिए पति और उसके नातेदारों को इस उपबंध के अधीन गिरफ्तार किया जाता है । अधिकांश मामलों में पति के शय्याग्रस्त दादाओं और दादियां तथा उनकी बहनें जो दशकों से विदेश में रह रहे हैं, को भी गिरफ्तार किया जाता है । "भारत में अपराध 2012 सांख्यिकी" जिन्हें राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों के लिए वर्ष 2012 के दौरान सम्पूर्ण भारत में 1,97,762 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना दर्शित किया गया है, जो वर्ष 2011 से 9.4 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2012 में उस उपबंध के अधीन उनमें जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें महिलाएं अर्थात् 47,951 हैं जो पति और पतियों के माताएं और बहनें हैं, और उनकी गिरफ्तारी को उदारतापूर्वक सम्मिलित किया गया है । ऐसे अपराध में उनका अंश दंड संहिता

---

[1] (2014) 8 एस. सी. सी. 273 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2756.

के अधीन किए गए अपराधों में गिरफ्तार किए गए कुल पुरुषों में से 6 प्रतिशत है । दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अधीन किए गए कुल अपराध 4.5 प्रतिशत का लेखा बनता है जो चोरी और क्षति पहुंचाने के सिवाय अन्य अपराधों से अधिक है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन ऐसे मामलों में आरोप पत्रों की दर 9.3 प्रतिशत के रूप में अधिक है जबकि दोषसिद्धि की दर केवल 15 प्रतिशत है जो सभी शीर्षों में कम है, कुल मिलाकर 3,72,706 मामले विचारण के लिए लंबित हैं जिसमें से वर्तमान आकलन करीब-करीब 3,17,000 में दोषमुक्ति होनी संभव है ।"

14. **प्रीति गुप्ता** बनाम **झारखंड राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :-

"34. दुर्भाग्यवश शिकायत को फाइल करते समय उनके प्रभाव और उनके परिणामों का शिकायतकर्ता द्वारा समुचित रूप से दृष्टिगोचर नहीं किया जाता कि ऐसी शिकायतें शिकायतकर्ता की वेदना और उसके दर्द और परेशानी को सही रूप से चरितार्थ नहीं कर पाते जो अभियुक्त और उसके निकट के नातेदारों के विरुद्ध बताई जाती है ।

35. न्याय का अन्ततोगत्वा उद्देश्य सच्चाई का निष्कर्ष निकालना है और दोषी को दंडित करके निर्दोष को सुरक्षा देना है । सच्चाई का निष्कर्ष निकालने के लिए इन शिकायतों की बहुसंख्यक प्रकट बातों से सच्चाई को निकालना है । पति और उसके सभी निकट के नातेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति असामान्य नहीं है । ऐसे समय पर भी दांडिक विचारण का निष्कर्ष निकालने के पश्चात् वास्तविक सच्चाई को सुनिश्चित करना कठिन है । न्यायालयों को ऐसी शिकायतों पर विचार के लिए अत्यधिक सावधानी और चौकसी बरतनी चाहिए तथा वैवाहिक मामलों पर विचार करते हुए मुख्य वास्तविकताओं की व्यवहारिकताओं पर ध्यान देना चाहिए । पति के निकट के नातेदारों द्वारा तंग किए जाने के अभिकथन जो

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3363.

भिन्न-भिन्न शहरों में निवास कर रहे थे और जो कभी भी उस स्थान पर कभी नहीं गए जहां शिकायतकर्ता निवास करता है जिससे सम्पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न जटिलताएं पैदा होती हैं । शिकायतकर्ता के अभिकथनों का बड़ी सावधानी और चौकसी के साथ संवीक्षा की जानी अपेक्षित है ।

36. अनुभव से यह विदित हुआ है कि लंबे और संरक्षित दांडिक विचारण जिनमें पक्षकारों के बीच संबंधों में विद्‌वेष, उग्रता और कड़वाहट रहती है । यह सामान्य जानकारी का मामला भी है कि शिकायतकर्ता द्‌वारा फाइल किए गए मामलों में यदि पति या पति के नातेदारों को यदि कुछ दिनों के लिए कारागार (जेल) में रहना पड़ा है, तो इससे पूर्ण रूप से सौहार्दपूर्ण समझौता का अवसर बर्बाद हो जाता है । ऐसे कष्ट की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी और दुखदायी है ।

* * * *

39. जब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित विधिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है, तब यह अऋजुपूर्ण होगा कि अपीलार्थियों को अनाप-शनाप दांडिक विचारण भोगने के लिए विवश किया जाए । न्याय के हित में हम यह समुचित समझते हैं कि अपीलार्थियों के विरुद्ध शिकायत को अभिखंडित करें । परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, अपील मंजूर की जाती है ।"

15. **नीलू चोपड़ा और एक अन्य** बनाम **भारती**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो इस प्रकार है :-

"9. समुचित शिकायत को दर्ज करने के अनुक्रम में मात्र धाराओं का उल्लेख करना और इन धाराओं की भाषा संपूर्ण रूप में नहीं है और संपूर्ण रूप से मामले का अंत करने वाला भी नहीं है ।

---

[1] (2009) 10 एस. सी. सी. 184 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6683.

न्यायालय के ध्यान में जो कुछ लाया जाना अपेक्षित है, उसमें अलग-अलग और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की विशिष्टियां हैं और अलग-अलग और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा उस अपराध को कारित करने में निभाई गई भूमिका भी है ।

10. जब हम शिकायतकर्ता को उदास देखते हैं । इस बारे में यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त में से किसने कौन सा अपराध कारित किया है तथा और अपराध को कारित किए जाने में इन अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका सही-सही क्या है । यहां पर राजेश के विरुद्ध कोई बात कही जा सकती है क्योंकि उसके विरुद्ध किए गए अभिकथन अत्यधिक ठीक-ठीक रूप से किए गए हैं परंतु वह अब जिंदा नहीं है और पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है । ऐसी परिस्थितियों में राजेश के अधेड़ माता-पिता तथा उसमें वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध निरंतर अभियोजन को अनुज्ञात करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, मामले में अस्पष्ट और साधारण शिकायत के आधार पर जिसमें अपीलार्थियों के यथावत् कार्यों के बारे में मूक रहना बरता गया है ।"

16. यह स्पष्ट है कि यदि अभिकथन अस्पष्ट हैं और प्रकृति में साधारण और बहु प्रयोजन का भाव रखते हैं, तब शिकायतकर्ता के पति के नातेदारों को विचारण की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए ।

17. वर्तमान मामले में आवेदक सं. 4 शिकायतकर्ता के चचेरे ससुर हैं जबकि आवेदक सं. 5 और 6 शिकायतकर्ता के बड़े जेठ हैं और आवेदक सं. 7 और 8 आवेदक सं. 5 और 6 की पत्नियां हैं । आवेदक सं. 9 और 10 शिकायतकर्ता की विवाहित ननदें हैं जो अलग निवास करती हैं । आवेदकों ने आवेदक सं. 4 से 10 के अलग निवास को प्रकट करने के लिए दस्तावेज फाइल किए हैं । यद्यपि, आवेदक सं. 4 से 8 उसी ग्राम अर्थात् ग्राम पचमा के निवासी हैं । अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके मकानों के बीच की दूरी अत्यधिक है जिस पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि शिकायतकर्ता के कुटुंब के जीवन में उक्त आवेदकों द्वारा दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं

थी परंतु शिकायतकर्ता के पति के नजदीक के नातेदारों को अभियोजित करने के प्रक्रम में भी विनिर्दिष्ट अभिकथन होने चाहिए जो साधारण और बहु प्रयोजन प्रकृति के नहीं होने चाहिए ।

18. वर्तमान मामले में आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध ये अभिकथन किए गए हैं कि उन्होंने विवाह के तुरन्त पश्चात् शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया गया था क्योंकि उनकी 5,00,000/- रुपए की मांग भी पूरी नहीं हुई थी । इस बारे में कोई अभिकथन नहीं है कि शिकायतकर्ता को आवेदक सं. 4 से 10 द्वारा कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया गया था । आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे शारीरिक रूप से तंग किया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया । यह भी अभिकथन किए गए हैं कि जब शिकायतकर्ता को उसके वैवाहिक गृह से बाहर कर दिया गया था तब सामाजिक पंचायत बुलाई गई थी और आवेदक सं. 1 ने निश्चित आश्वासन भी दिए थे और उसे अपने साथ भोपाल ले गया जहां वह नौकरी करता था । यह अभिकथन किया गया है कि शिकायतकर्ता को अंधेरे में रखकर आवेदक सं. 1 ने शिकायतकर्ता को इंदौर छोड़ दिया था और जब उसके विरुद्ध शिकायत की गई थी तब उसने पुन: यह आश्वासन दिया कि वह न तो शिकायतकर्ता को परेशान करेगा और न उसके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करेगा । इस प्रकार आवेदक सं. 1 के विरुद्ध केवल अभिकथनों का एक दूसरा समूह है । इसके पश्चात् यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 20 फरवरी, 2017 को जब शिकायतकर्ता ग्राम पचमा में अपने वैवाहिक गृह पर गई, तब सभी आवेदकों ने वैवाहिक गृह में घुसने से उसको रोका था और यह धमकी दी थी कि जब तक वह 5,00,000/- रुपए की राशि को नहीं लाती है तो उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी । यह सही है कि आवेदक सं. 4 से 8 ग्राम पचमा में निवास करते हैं । तथापि, इस न्यायालय की विचारित राय यह है जो आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध साधारण अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट रूप से आवेदक सं. 9 और 10 अपने-अपने कुटुंब के साथ भिन्न-भिन्न शहरों में

पृथक् रूप से रह रहे हैं । तब शिकायतकर्ता को 5,00,000/- रुपए की मांग न पूरा किए जाने के कारण उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने के लिए अनुज्ञात न करने के लिए साधारण और बहु प्रयोजन अभिकथन से आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क के अधीन तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए अभियोजित करना पर्याप्त नहीं है । तद्नुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 2017 के अपराध सं. 429 जिसे दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए पुलिस थाना बसोदा नगर, जिला विदिशा में दर्ज किया गया है, उस पर आवेदक सं. 4 से 10 के विरुद्ध आरोप पत्र तथा पारिणामिक कार्यवाहियां एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती हैं ।

19. जहां तक आवेदक सं. 2 और 3 के विरुद्ध अभिकथनों का संबंध है, वे शिकायतकर्ता के ससुर और सास हैं । वहां पर यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रारंभ में उन्होंने 5,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने के कारण शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग किया था परंतु बाद में तारीख 22 मई, 2017 को उन्होंने भी उसे उसके वैवाहिक गृह के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी थी और यह भी धमकी दी थी कि जब तक 5,00,000/- रुपए की राशि नहीं लाएगी तो उसे वैवाहिक गृह में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी । इस न्यायालय की विचारित राय यह है कि शिकायतकर्ता के सास और ससुर की प्रास्थिति उसके अन्य ससुराल वालों की प्रास्थिति से बिल्कुल भिन्न है ।

20. **तारा मणि पारेख** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "10. अभिखंडित करने के संबंध में विधि सुस्थापित है यदि अभिकथन व्यर्थ हैं या उनसे कोई मामला नहीं बनता है या यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि इससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा परंतु यदि वह विचारणीय मामला है, न्यायालय उसकी विश्वसनीयता पर विचार नहीं करता है या किसी वृत्तांत के

---

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 260 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1817.

प्रति वृत्तांत पर विचार नहीं करता है तब कार्रवाईयों को अभिखंडित किया जा सकता है । वैवाहिक मामलों में न्यायालयों को सावधानी बरतनी चाहिए जब बहु प्रयोजन अभिकथन किए जाते हैं तब विशिष्ट रूप से उन नातेदारों के विरुद्ध जिनका पति-पत्नी के कार्यकलापों से सामान्य रूप से कोई संबंध नहीं है । हम इस मुद्दे पर विचार करते हुए इस न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख कर सकते हैं ।

11. अमित कपूर **बनाम** रमेश चन्द्र (2012) 9 एस. सी. सी. 460 वाले मामले में पूर्वोक्त विनिश्चयों का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था (एस. सी. सी. पृष्ठ 482-84, पैरा 27)

"27.1 यद्यपि, संहिता की धारा 482 के अधीन न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमाएं नहीं हैं परंतु अधिकांश शक्तियों का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और चौकसी से अवलंब लेकर प्रयोग में लिया जाना चाहिए । आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति, विशिष्ट रूप से संहिता की धारा 228 के निबंधनों में विरचित किए गए आरोपों पर पर्याप्त रूप से चौकसी या सावधानी बरतते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा विरल से विरलतम मामलों में भी किया जाना चाहिए ।

27.2 न्यायालय को इस बारे में यह कसौटी लागू करनी चाहिए कि क्या अखंडनीय अभिकथन जैसाकि मामले के अभिलेख में किए गए हैं और दस्तावेज जिन्हें इस बारे में पेश किया गया है उस पर प्रथमदृष्ट्या यह देखा जाना चाहिए कि अपराध सिद्ध होता है या नहीं । यदि अभिकथन प्रत्यक्ष रूप से व्यर्थ हैं और अन्तर्निहित रूप से यह भी संभावना प्रकट होती है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता और आपराधिक अपराध के आधारिक संघटक से समाधान नहीं होता है तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है ।

27.3 उच्च न्यायालय को असम्यक् रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । साक्ष्य की बारीकी से परीक्षा न करने पर इस बारे में विचार करना आवश्यक है कि क्या आरोपों को विरचित न करने

की दशा में या आरोप को अभिखंडित करने की स्थिति में मामले में दोषसिद्धि समाप्त हो जाएगी ।

27.4 जहां ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब प्रत्यक्ष रूप से न्याय की अपहानि को रोकना पूर्ण रूप से आवश्यक है और गंभीर गलती पर सुधार करना भी आवश्यक है जो ऐसे मामले में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की जा सकती हैं, उच्च न्यायालय को प्रारंभ में अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन को नियंत्रण करने के लिए हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए ।

27.5 जहां संहिता के या किसी विनिर्दिष्ट विधि के किसी उपबंध को अधिनियमित करने में विधिक वर्जन की अभिव्यक्ति की गई है जो ऐसे आपराधिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने या संस्थित करने या निरंतर बनाए रखने के लिए प्रवर्तन में है, तब ऐसे वर्जन से अभियुक्त को विनिर्दिष्ट संरक्षण मुहैया कराने का आशय हो ।

27.6 न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और शिकायतकर्ता के अधिकार या अन्वेषण के लिए अभियोजन और अपराधी को अभियोजित करने के लिए संतुलन बनाए रखे ।

27.7 न्यायालय की प्रक्रिया में इस बात के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है कि कोई अप्रत्यक्ष या अन्ततोगत्वा परोक्ष प्रयोजन को प्रयोग में लिया जाए ।

27.8 जहां अभिकथन किए गए हैं और जो अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों से प्रकट हुए हैं जिनसे उत्कृष्ट रूप से 'सिविल बुराई' गठित होती है और जिसमें 'आपराधिकता का कोई तत्व' न हो और आपराधिक अपराध के आधारिक संघटकों से कोई समाधान न होता हो, तब न्यायालय ऐसे आरोपों को अभिखंडित करने में न्यायसंगत हो सकता है । ऐसे मामलों में भी न्यायालय साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं करेगा ।

27.9 न्यायालयों को एक अन्य महत्वपूर्ण सावधानी यह भी

बरतनी चाहिए जिस पर यह भी मत व्यक्त करना चाहिए कि अभिलेख पर प्रकट तथ्यों, साक्ष्य और सामग्रियों की परीक्षा नहीं हो सकी जिससे कि यह अवधारणा की जाए कि क्या उसमें पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामले में दोषसिद्धि समाप्त हो जाती है । न्यायालय को प्रारंभिक रूप से अभिकथनों पर विचार करते हुए संपूर्ण रूप से यह देखना चाहिए कि क्या उन बातों से किसी अपराध का गठन होता है और यदि ऐसा है तो इससे न्यायालय अन्याय को जन्म देकर प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है ।

27.10 क्या न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए उससे अपेक्षा न की जाए कि जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि अन्वेषक अभिकरणों की पूरी जांच करने या द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करें कि क्या मामला दोषमुक्ति का है या दोषसिद्धि का ।

27.11 जहां अभिकथनों से सिविल दावे की उत्पत्ति होती है और उनसे अपराध की कोटि भी उद्भूत होती है, तब केवल सिविल दावा होने के कारण अपराध चलने योग्य है, इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि आपराधिक परिवाद को कायम नहीं रखा जा सकता ।

27.12 न्यायालय धारा 228 के अधीन और या 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभियुक्त द्वारा वर्णित बाहरी सामग्री को विचार में नहीं ले सकता जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ था या उसकी दोषमुक्ति की संभावना थी । न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अभिलेख और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए ।

27.13 जहां अपराध होने का व्यापक रूप से यह समाधान भी होता है वहां पर आरोपों को अभिखंडित करना निरंतर अभियोजन के नियम का अपवाद है । न्यायालय को अभियोजन के नियम को निरंतर अनुज्ञात करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए बल्कि उसे प्रारंभिक प्रक्रम पर मामले को अभिखंडित भी कर देना चाहिए ।

न्यायालय से यह आशा नहीं की जाती है कि दस्तावेजों या अभिलेखों की गहराई और विश्वसनीयता के तौर पर विनिश्चय करने को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों को क्रमबद्ध रूप से लगाए परंतु यह प्रथमदृष्ट्या राय को गठित करता है ।

27.14 जहां संहिता की धारा 173(2) के अधीन आरोप पत्र, रिपोर्ट मूल रूप से विधिक कमियों से ग्रसित है तब न्यायालय अपनी अधिकारिता के भीतर आरोप विरचित करने के लिए सही ढ़ंग से निर्णय लेने पर विचार कर सकता है ।

27.15 उपरोक्त बातों में से प्रकट किसी बात पर या सभी बातों पर जहां न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संहिता की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आएगा या न्याय के हित के अनुकूल होगा अन्यथा इस पर आरोप भी अभिखंडित किए जा सकते हैं और इस शक्ति का न्यायानुसार प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थात् न्याय के प्रशासन को सारभूत रूप से चलाने के लिए जो बातें न्यायालय में विद्यमान होनी चाहिए । निर्देश, (पश्चिमी बंगाल राज्य **बनाम** स्वपन कुमार गुहा (1982) 1 एस. सी. सी. 561 = (1982) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 283 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 949 ; माधवराव जीवाजीराव सचिनदिया **बनाम** संभाजीराव चन्द्रोजी राव अंगरे (1988) 1 एस. सी. सी. 692 = (1988) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 234 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 709 ; जनता दल **बनाम** एच. एस. चौधरी (1992) 4 एस. सी. सी. 305 = (1993) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 36 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 892 ; रूपन देयोल बजाज **बनाम** कंवर पाल सिंह गिल (1995) 6 एस. सी. सी. 194 = (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1059 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 309 ; जी सागर सूरी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2000) 2 एस. सी. सी. 636 = (2000) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 513 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 754 ; अजय मित्रा **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2003) 3 एस. सी. सी. 11 = (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल)

703 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1069 ; पेप्सी फूडस लिमिटेड **बनाम** विशेष जुडिशियल मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749 = (1998) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1400 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 128 ; उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** ओ. पी. शर्मा (1996) 7 एस. सी. सी. 705 = (1996) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 497 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2983 ; गणेश नारायण हेगड़े **बनाम** एस. बंगाराप्पा (1995) 4 एस. सी. सी. 41 = (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 634 = 1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2364 ; झंडू फार्मासीयूटीकल वर्क्स लिमिटेड **बनाम** मोहम्मद साराफुल हेक (2005) 1 एस. सी. सी. 122 = (2005) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 283 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 9 ; मेदचल केमिकल्स एंड फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड **बनाम** बायोलाजीकल ई. लिमिटेड (2000) 3 एस. सी. सी. 269 = (2000) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 615 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1869 ; साकसन बेलथिसर **बनाम** केरल राज्य (2009) 14 एस. सी. सी. 466 = (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1412 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 864 ; वी. वी. एस. रामा शर्मा **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 7 एस. सी. सी. 234 = (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 356 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 3258 ; चुन्दूरु शिवा राम कृष्णा **बनाम** पेड्डी रविन्द्र बाबू (2009) 11 एस. सी. सी. 203 = (2009) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1297 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 3250 ; शियोनंदन पासवान **बनाम** बिहार राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 288 = (1987) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 82 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 877 ; बिहार राज्य **बनाम** पी. पी. शर्मा (1992) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 222 = (1992) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 192 = ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1260 ; लालमुनी देवी **बनाम** बिहार राज्य (2001) 2 एस. सी. सी. 17 = (2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 275 = 2001 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2504 = 2015 का एम. 8 एम. सी. आर. सी.

6606 ; कृष्णन **बनाम** विजय सिंह (2001) 8 एस. सी. सी. 645 = (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 19 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3014 ; सविता **बनाम** राजस्थान राज्य (2005) 12 एस. सी. सी. 338 = (2006) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 571 और एस. एम. दत्ता **बनाम** गुजरात राज्य (2001) 7 एस. सी. सी. 659 = (2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1361 = 2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1201 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3253 ।

27.16 ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यष्टिक तथा संचयी रूप से (एक से अधिक रूप में) अधिमानता दी जाएगी जिस पर असाधारण रूप से विचार किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा जहां अपराध का तथ्यात्मक नींव को अभिकथित किया गया है । न्यायालयों को अनिच्छुक रहना चाहिए तथा न्यायालयों को इन आधार वाक्यों पर भी कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए त्वरित कदम नहीं उठाने चाहिए कि एक या दो संघटक के बारे में कथन नहीं किया गया है या यह समाधान होना प्रतीत नहीं होता है, क्या अपराध की अध्यपेक्षाओं का सारभूत अनुपालन हुआ है ।"

14. शिकायत का परिशीलन करने पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यद्यपि किए गए अभिकथन से कोई मामला साबित नहीं होता है । प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध तथा उसके माता-पिता के विरुद्ध शिकायतकर्ता को परेशान करने के बारे में अभिकथन किए गए हैं जिन्होंने बलपूर्वक उसे वैवाहिक गृह को छोड़ने के लिए मजबूर किया । वैवाहिक गृह से निरंतर उसका अलग रहना जिसमें उसकी सुरक्षा का अभाव रहा तथा वैवाहिक गृह में उचित वातावरण नहीं मिल पाया । यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी ने वास्तव में उसे परेशान किया और उससे क्रूरता का व्यवहार किया, यह विचारण का मामला है परंतु इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई मामला नहीं बनता है । इस प्रकार,

विचारण से पूर्व कार्यवाहियों को अभिखंडित करना अनुज्ञेय नहीं है ।

15. उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित विनिश्चय से विभेद प्रकट होता है । **नीलू चोपड़ा** (2009) 10 एस. सी. सी. 184 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6683 उपरोक्त वाले मामले में पति के माता-पिता काफी वृद्ध थे । पति राजेश की मृत्यु हो चुकी थी और उसके विरुद्ध केवल मुख्य अभिकथन थे । इस न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अकाट्य सामग्री नहीं पाई थी । मनोज महावीर प्रसाद खेटान **बनाम** रामगोपाल पोद्दार (2010) 10 एस. सी. सी. 673 वाले मामले में अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष जो अभियुक्त की पुत्रवधू का भाई है जिसने दंड संहिता की धारा 498क के पूर्ववर्ती लंबित मामले के दौरान आभूषण की चोरी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया था । इस न्यायालय ने उक्त मामले को निरर्थक पाया था । गीता मेहरोत्रा **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 741 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 181 वाले मामले में पति के भाई और बहन के विरुद्ध मामला बनाया गया था । पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद हुआ था । उक्त मामले को न तो अभिखंडित करने के सिद्धांत के परे लचीले नियम के रूप में पढ़ा जा सका जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है और मामलों पर लागू किए गए तथ्य विभेद मूलक हैं । वर्तमान मामले में तथ्यात्मक सूत्र उक्त मामलों से भिन्न हैं । सुस्थिर सिद्धांतों को लागू करने के लिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई विचारणीय मामला नहीं बनता है ।

21. आवेदक सं. 2 और 3 द्वारा दंड संहिता की धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए पुलिस थाना बसोदा नगर, जिला विदिशा में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 429/2017 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए याचिका फाइल की तथा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए और एतद्द्वारा दांडिक कार्यवाहियों को खारिज किया जाता है ।

22. जहां तक आवेदक सं. 1 के मामले का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन हैं जिनसे दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है । तद्नुसार, आवेदक सं. 1 द्वारा अपराध सं. 429/2017 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए फाइल किए गए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन को पारिणामिक कार्यवाहियों पर खारिज किया जाता है ।

23. तद्नुसार, आवेदन को भागत: मंजूर किया जाता है और आवेदक सं. 1 महेश साहू, आवेदक सं. 2 छाकूलाल साहू और आवेदक सं. 3 श्रीमती शांतिबाई साहू द्वारा फाइल किए गए आवेदन को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है जबकि आवेदक सं. 4 हरि सिंह साहू, आवेदक सं. 5 रमेश साहू, आवेदक सं. 6 प्रदीप साहू, आवदेक सं. 7 श्रीमती बिमला साहू, आवेदक सं. 8 श्रीमती अनिता साहू, आवेदक सं. 9 श्रीमती आशा साहू और आवेदक सं. 10 श्रीमती नीरा साहू द्वारा फाइल किए गए आवेदन को एतद्द्वारा मंजूर किया जाता है । आवेदक सं. 4 से 10 को उन्मोचित किया जाता है ।

24. खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

आवेदन भागत: मंजूर किया गया ।

आर्य

विनय कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2006 की दांडिक अपील सं. 236)

तारीख 28 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – सबूत – मामले में यह अभिकथन किया जाना कि पीड़ित और अभियुक्त के बीच मौखिक वाक्कलह होने पर अभियुक्त द्वारा पीड़ित के सिर पर बैट से हमला किया जाना, परिणामस्वरूप उसका बेहोश हो जाना – यदि पीड़ित के वृत्तांत की उसकी पत्नी, अन्वेषक अधिकारी और चिकित्सा साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि हुई है और अभियुक्त की मौजूदगी घटनास्थल पर साबित हुई है तो घटना के स्थान के बारे में छोटे-मोटे विभेद अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हैं तथा अपराध का आयुध अर्थात् बैट की अभियुक्त के कहने पर बरामदगी हुई है और अभियुक्त को मिथ्या रूप से नहीं फंसाया गया है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 अप्रैल, 2004 को पीड़ित अर्थात् भूटटु कपूर जो ग्राम आसान पट्ट तहसील पालमपुर का निवासी है, कुछ राजस्व कागजात एकत्रित करने के लिए गया हुआ था जो अपीलार्थी के साथ हुए चारदीवारी के विवाद के संबंध में सिविल वाद के साथ लगाए गए थे । इन कागजातों को एकत्रित करने के पश्चात् पीड़ित अपने ग्राम असान पट्ट पर लगभग 9/9.45 बजे अपराह्न पहुंचा और उसने देखा कि अपीलार्थी ने उसकी भूमि के नजदीक ईटें रखी हुई थीं । प्रारंभ में पीड़ित और अपीलार्थी के बीच मौखिक वाक्कलह हुई थी । तथापि, बाद में अपीलार्थी के बारे में पीड़ित के सिर पर बैट से प्रहार किए जाने का अभिकथन किया गया है । उसके पश्चात् लगातार उसको उस समय तक पीटता रहा जब तक कि उसे दांगा के नीचे धक्का नहीं दे दिया गया । इसके परिणामस्वरूप, पीड़ित

ने अपना होश खो दिया और तारीख 13/14 अप्रैल, 2004 मध्यरात्रि में लगभग 3.00 बजे उसे होश आया था तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया था जहां से उसे पी. जी. आई. चंडीगढ़ भेज दिया गया था । चूंकि पीड़ित बोलने में असमर्थ था, इसलिए उसकी पत्नी के कथन जिसके समक्ष उसने पहले ही सम्पूर्ण घटनाओं के बारे में बताया था जिस वजह से उसके शरीर पर क्षतियां पहुंची थीं उस पर उसके पत्नी के कथन को अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस अनुरोध के साथ न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि अपराध कारित किए जाने पर अपीलार्थी का विचारण करने के लिए मामले में संज्ञान लिया जाए । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया था । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा की और उस पर साक्ष्य को समाप्त करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन को अभिलिखित किया गया जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् तारीख 6 जुलाई, 2006 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोषसिद्धि दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए सुविधापूर्वक यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर सामग्री का सही मूल्यांकन करने पर आधारित हैं और प्रतिकूलता के अभाव में इन निष्कर्षों पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । (पैरा 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 236.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आनंद शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सुधीर भटनागर, अपर महाधिवक्ता साथ में भूपेन्द्र ठाकुर और सुश्री स्वालिन जसवाल उप महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान – अपीलार्थी/अभियुक्त का विचारण किया गया था तथा दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने के लिए भी सिद्धदोष करके दंडादिष्ट किया गया था ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 अप्रैल, 2004 को पीड़ित अर्थात् भूटटु कपूर जो ग्राम आसान पट्ट तहसील पालमपुर का निवासी है, कुछ राजस्व कागजात एकत्रित करने के लिए गया हुआ था जो अपीलार्थी के साथ हुए चारदीवारी के विवाद के संबंध में सिविल वाद के साथ लगाए गए थे । इन कागजातों को एकत्रित करने के पश्चात् पीड़ित अपने ग्राम असान पट्ट पर लगभग 9/9.45 बजे अपराह्न पहुंचा और उसने देखा कि अपीलार्थी ने उसकी भूमि के नजदीक ईटें रखी हुई थीं । प्रारंभ में पीड़ित और अपीलार्थी के बीच मौखिक वाक्कलह हुई थी । तथापि, बाद में अपीलार्थी के बारे में पीड़ित के सिर पर बैट से प्रहार किए जाने का अभिकथन किया गया है । उसके पश्चात् लगातार उसको उस समय तक पीटता रहा जब तक कि उसे दांगा के नीचे धक्का नहीं दे दिया गया । इसके परिणामस्वरूप, पीड़ित ने अपना होश खो दिया और तारीख 13/14 अप्रैल, 2004 मध्यरात्रि में लगभग 3.00 बजे उसे होश आया था तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया था जहां से उसे पी. जी. आई. चंडीगढ़ भेज दिया गया था । चूंकि पीड़ित बोलने में असमर्थ था, इसलिए उसकी पत्नी के कथन जिसके समक्ष उसने पहले ही सम्पूर्ण घटनाओं के बारे में बताया था जिस वजह से उसके शरीर पर क्षतियां पहुंची थीं उस पर उसके पत्नी के कथन को अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

3. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस अनुरोध के साथ

न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि अपराध कारित किए जाने पर अपीलार्थी का विचारण करने के लिए मामले में संज्ञान लिया जाए ।

4. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया था ।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा की और उस पर साक्ष्य को समाप्त करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन को अभिलिखित किया गया जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में एक साक्षी की परीक्षा कराई ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् तारीख 6 जुलाई, 2006 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोषसिद्धि दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री आनंद शर्मा ने पुरजोर यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष प्रतिकूल हैं, अतः, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है । दूसरी ओर श्री सुधीर भटनागर विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करने का कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा सावधानीपूर्वक मामले के अभिलेखों का भी परिशीलन किया ।

9. प्रारंभ में उन बातों को दोहराने की जरूरत है कि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के बीच कोई भिन्नता नहीं है, इस बात को छोड़ कर जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार किया जा रहा था तब न्यायालय को इस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए था कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा को उसकी दोषमुक्ति से बल मिलता है और यदि निचले न्यायालय द्वारा उस मत को अंगीकार किया गया है तो पूर्णतया युक्तियुक्त है और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तथा और उसके आधार जो अभिलेख की सामग्रियों पर आधारित हैं, सुस्थिर । तथापि, ऐसी दशा में जहां निचले न्यायालय

के निष्कर्ष मामले में प्रतिकूल हैं तब निष्कर्षों को ध्यान में लाए बिना दोषमुक्ति या दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए ।

10. इस प्रकार, इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक होगा कि सामग्री पर पुन: विचार किया जाए कि इस मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के फलस्वरूप अभिलेख पर उक्त सामग्री को लाया गया था ।

11. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए अभि. सा. 5 के रूप में पीड़ित की परीक्षा की जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 12 अप्रैल, 2004 को वह सिविल वाद को फाइल करने के लिए राजस्व अभिलेख एकत्रित करने हेतु लाहला में पटवारी के पास गया था । राजस्व अभिलेख एकत्रित करने के पश्चात् वह अपने ग्राम की ओर चला था और लगभग 9/9.15 बजे अपराह्न अपने ग्राम पहुंचा और उसने देखा कि अपीलार्थी ने उसकी भूमि में ईटें एकत्रित कर रखी हैं । उसने प्रारंभ में, उस बारे में विरोध प्रकट किया और बाद में उनके बीच वाककलह हुई जिस पर अपीलार्थी द्वारा बैट से पीड़ित के सिर पर चोट पहुंचाई गई । पीड़ित पर दोबारा बैट से चोट पहुंचाई गई और इसके पश्चात् उसे दांगा के नीचे धक्का दे दिया गया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी दांगा के नीचे पहुंचा और वहां पर भी उसकी पिटाई की । उसने अपने बचाव में अपने हाथों को उठाया, परंतु अपीलार्थी उसे पीटता रहा जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और उसे लगभग 3.00 बजे अपराह्न होश आया और उसने घर से अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पीने के लिए पानी मांगा । पूछताछ करने पर, उसने यह बताया कि अपीलार्थी द्वारा उसकी पिटाई की गई थी । तथापि, पानी लेने के पश्चात् वह पुन: बेहोशी के हालात पर पहुंच गया और उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला पर भेजा गया था जहां से उसे पी. जी. आई. चंडीगढ़ भेजा गया था ।

12. पीड़ित द्वारा दिए गए वृत्तांत की उसकी पत्नी कंचन द्वारा सम्यक् रूप से पुष्टि की गई थी जो अभि. सा. 3 के रूप में हाजिर हुई थी और उसने पीड़ित द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुसार उन्हीं बातों का अभिसाक्ष्य दिया ।

13. पीड़ित को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में जिन्हें डाक्टर सुमन झू धीमन (अभि. सा. 4) द्वारा अभिलेख पर सम्यक् रूप से साबित

किया गया है, जिन्होंने क्षतियों की ब्यौरेवार परीक्षा करते हुए यह राय व्यक्त की है कि क्षतियां दंड संहिता की धारा 307 की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए पर्याप्त थीं ।

14. इन सभी साक्षियों द्वारा दिए गए वृत्तांत की अन्वेषक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षा की गई है जो अभि. सा. 14 के रूप में हाजिर हुए थे । तथापि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने पुरजोर यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि जिस पर घटना के समय में घटनास्थल पर अपीलार्थी की मौजूदगी सिद्ध होती हो ।

15. यह दलील गुणागुण रहित है और अस्वीकार किए जाने योग्य है । इतना ही नहीं यह रीति जिसमें अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें अपीलार्थी की मौजूदगी को सिद्ध किया गया, घटनास्थल पर संदेह के परे है परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं दर्ज की गई शिकायत में (देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क) पर उसकी मौजदूगी किसी किस्म के वाक्कलह पर दर्शाई गई है जो उसके और पीड़ित के बीच घटित हुई थी और जिस बात को अभिलेख पर सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया है ।

16. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने तब यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य में तात्विक विभेद प्रकट हैं, इसलिए, अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

17. यह आधार भी जो समान रूप से बिना गुणागुण के हैं क्योंकि यह भी सुस्थिर है कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए इस बात को भी विचार में लेना चाहिए कि क्या मामले में विभेद और लोप प्रकट हुए हैं कि उनसे विचारण तात्विक रूप से प्रभावित होता है । छोटे मोटे विभेद विसंगतियां, बढ़ा चढ़कर बातें या तुच्छ मामलों में सुधार जिनसे अभियोजन का सार प्रभावित नहीं होता, संपूर्ण रूप से साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय विरचित की और अपील न्यायालय द्वारा कार्यवाही के सामान्य अनुक्रम में बिना कोई न्यायोचित कारणों के उसका पुनर्विलोकन करना न्यायसंगत नहीं होगा । परंतु उक्त उपबंध के

अंतर्गत जहां किसी साक्षी के सच्चाई के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है तब ऐसे विभेदों पर लोप भी हो सकता है और अन्य साक्षी ने साक्ष्य को स्वीकार योग्य बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष तात्विक सुधार भी किए हैं, इस पर यह सुरक्षित नहीं हो सकता है कि ऐसे साक्ष्य का अवलंब लें । यद्‌यपि, सामान्य विभेद, अवलोकन करने में सामान्य गलती का कारण हो सकते हैं जिसे स्मरण करने में सामान्य गलतियों से समय की बरबादी का कारण बनता है मानसिक प्रवृत्ति के कारण साक्ष्य भंगुर नहीं होता है परंतु अभियोजन वृत्तांत की विश्वसनीयता की परीक्षा करने के लिए कोई एक कारक हो सकता है, जब सम्पूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परख किए जाने के लिए निर्णायक रूप में रखा जाता हो ।

18. कथनों में मात्र औसत विचलन को सुधारों के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इस पर पूर्व में साक्षी द्‌वारा किए गए कथन को विस्तृत रूप दिया जा सकता है । ऐसे लोप जो तात्विक विशिष्टियों में विभेद प्रकट करते हैं अर्थात् मामले के तह में पहुंचने पर तात्विक रूप से विचारण प्रभावित होता है या अभियोजन पक्षकथन का सार जो साक्षियों के परिसाक्ष्य में प्रकट हुआ है उस पर अविश्वास किया जाना चाहिए ।

19. पूर्वोक्त परिधियों को ध्यान में रखते हुए केवल जो विभेद प्रकट हुए हैं जिन्हें अपीलार्थी के विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा बताया जा सका है, उस स्थान के बारे में था जहां पीड़ित को क्षतियां कायम हुई थीं । उसने दु:ख जताते हुए उस बात की ओर भी इंगित किया है कि अभियोजन साक्षी 3 के कहने पर अभिलिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तथा न्यायालय में अभिलिखित उसके कथन में भी विचलन है ।

20. तथापि, इस आधार में एक कारण की अपेक्षा अधिक कारणों पर कोई गुणागुण नहीं है । प्रथमत: घटना के स्थान के बारे में कोई विभेद प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि जिस स्थान को अपीलार्थी के विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा सिद्ध किया जाना ईप्सित है । दूसरा, यद्‌यपि तथाकथित विभेद को विचार में लिया गया है वह इतना तुच्छ है कि जिससे अभियोजन पक्षकथन का सार प्रभावित नहीं होता है क्योंकि जिसे प्रारंभिक रूप से अभियोजन पक्ष द्‌वारा सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वह स्थान घटना का स्थान नहीं था परंतु दंड संहिता की धारा 307 के

अधीन उस स्थान पर अपराध किया जाना प्रकट हुआ है ।

21. अपराध किए जाने के बारे में अभिलेख पर व्यापक साक्ष्य की अपेक्षा और भी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं । न केवल अपराध का आयुध अर्थात् बैट को बरामद किया गया था बल्कि अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 4 डाक्टर सुमनझू धीमन को सुझाव भी दिया गया था कि पीड़ित पर क्षतियां गिरने की वजह से कायम हो सकी हैं जिस बात का उसके द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है । अपीलार्थी ने अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल कुशल कुमार के सिवाय बरामदी के साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने को भी नहीं चुना कि पीड़ित नशे की हालत में था जिस सुझाव से उसके द्वारा इनकार भी किया गया था ।

22. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने तब यह भी दलील दी कि अपीलार्थी को सिविल मुकदमा चलने की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया था और तथ्य की दृष्टि से पीड़ित लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न मीरा देवी के मकान पर गया था जो शराब के नशे में था और वह वहां पर मिला जहां उसे क्षतियां पहुंचीं । तब उसने इस न्यायालय को मीरा देवी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) के सम्पूर्ण कथन की ओर ध्यान दिलाया परंतु मैंने उसके कथन में कुछ भी नहीं पाया है जिसे उस सुसंगत समय पर पीड़ित की मौजूदगी में सिद्ध किया जा सकता हो कि वह शराब के प्रभाव में था बल्कि प्रतिरक्षा साक्षी 1 के परिसाक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उसका भाई है और इस महत्वपूर्ण कारण से उसने साक्षी कठघरे में हाजिर होने को चुना जिससे कि उसके पक्ष में अभिसाक्ष्य दे सके । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विशेष रूप से वास्तव में प्रतिरक्षा साक्षी 1 का अभियोजन साक्षी के रूप में उल्लेख किया गया है परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी की सगी बहन होने के कारण उसे त्याग दिया गया क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 17 मार्च, 2005 को उस बात का प्रभाव पारित आदेश में सुव्यक्त किया गया ।

23. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अंत में यह दलील दी गई कि चूंकि पीड़ित चिकित्सा महाविद्यालय तांडा पर नियोजित था जहां वह ज्येष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहा था, इसलिए, उसने सम्पूर्ण मामले को प्रभावित करने के लिए कार्यवाही की थी, खास

तौर पर उसके द्वारा पहुंचायी गई क्षतियों की प्रकृति के बारे में एम. एल. सी. में परिलक्षित हैं । उन्होंने आगे यह भी दलील दी कि चूंकि अन्वेषण अभिकरण एम. एल. सी. द्वारा बाध्य था, इसलिए, दंड संहिता की धारा 307 के अधीन मिथ्या मामले बना करके अपीलार्थी को जकड़ा गया है ।

24. यह नहीं किया गया है कि पीड़ित एक श्रेणीबद्ध सेवा से संबंधित नहीं है क्योंकि वह केवल ज्येष्ठ लैब टेक्नीशियन था वह भी चिकित्सा महाविद्यालय पांडा पर नियुक्त था, इसलिए, यह उपधारणा करना कठिन है कि वह ऐसी स्थिति में रहा होगा जिससे कि डाक्टरों द्वारा दी गई विशिष्ट रूप से एम. एल. सी. की रिपोर्ट को प्रभावित करता या उसमें षड्यंत्र रचता जिससे कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया जाता । इसके अतिरिक्त इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि इस मामले में अन्वेषण आई. पी. एस. काडर से संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था । वह सुस्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के प्रभाव के अधीन या पीड़ित के प्रभाव के अधीन आसानी से नहीं आते थे ।

25. कोई अन्य दलील नहीं दी गई ।

26. पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए सुविधापूर्वक यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर सामग्री का सही मूल्यांकन करने पर आधारित हैं और प्रतिकूलता के अभाव में इन निष्कर्षों पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

27. परिणामस्वरूप, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं और तद्नुसार उसे खारिज किया जाता है । यदि कोई आवेदन लंबित हो तो उनका भी निपटारा किया जाता है । जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)

[26 अगस्त, 2009]

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

[1][(4) संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे ।

(5) इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यत: धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी ।]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से, –

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार ;

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, –

(क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सरकार ;

(ख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रति व्यक्ति फीस" से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है ;

(ग) "बालक" से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है ;

(घ) "अलाभित समूह का बालक" [1][कोई निःशक्त बालक या] से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है ;

(ङ) "दुर्बल वर्ग का बालक" से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

बालक अभिप्रेत है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है ;

[1][(ङङ) "नि:शक्त बालक" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, –

(अ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित "नि:शक्त" कोई बालक ;

(आ) ऐसा कोई बालक, जो राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित नि:शक्त कोई व्यक्ति हो ;

(इ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ण) में यथापरिभाषित "गंभीर बहु-नि:शक्तता से ग्रस्त" कोई बालक] ;

(च) "प्रारंभिक शिक्षा" से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है ;

(छ) किसी बालक के संबंध में "संरक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है ;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है ;

(झ) "राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "माता-पिता" से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "विद्यालय" से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय ;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय ;

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय ; और

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायताप्राप्त विद्यालय ;

(ण) "अनुवीक्षण प्रक्रिया" से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है ;

(त) किसी विद्यालय के संबंध में "विनिर्दिष्ट प्रवर्ग" से, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(थ) "राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार – [1][(1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, जिसमें धारा 2 के खंड (ध) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई बालक भी सम्मिलित है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा ।]

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे ।

[2][* * * *]

[3][(3) धारा 2 खंड (ङङ) के उपखंड (अ) में निर्दिष्ट किसी नि:शक्त बालक को, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के उपबंधों पर प्रतिकूल

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

प्रभाव डाले बिना, और धारा 2 के खंड (ङङ) के उपखंड (आ) और उपखंड (इ) में निर्दिष्ट किसी बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन नि:शक्त बालकों को प्राप्त हैं :

परंतु राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट "बहु-नि:शक्तता" से ग्रस्त किसी बालक को और खंड (ण) में निर्दिष्ट "गंभीर बहु-नि:शक्तता" से ग्रस्त किसी बालक को भी घर-आधारित शिक्षा का विकल्प अपनाने का अधिकार हो सकेगा ।]

4. ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध – जहां, छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु जहां किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा :

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का हकदार होगा ।

5. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार – (1) जहां किसी विद्यालय में, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक को, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बालक को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा ।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इनकार करने के लिए आधार नहीं होगा :

परंतु यह और कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी ।

अध्याय 3

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य

6. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य – इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आस-पास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे ।

7. वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना – (1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी, जैसा वह, समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके ।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार, –

(क) धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी ;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी ;

(ग) नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी ।

8. समुचित सरकार के कर्तव्य – समुचित सरकार, –

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

उपलब्ध कराएगी :

परंतु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – "अनिवार्य शिक्षा" पद से समुचित सरकार की, –

(i) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने ; और

(ii) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की,

बाध्यता अभिप्रेत है ;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आस-पास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों ;

(घ) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृंद और शिक्षा के उपस्कर भी हैं, उपलब्ध कराएगी ;

(ङ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी ;

(च) प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगी ;

(छ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी ; और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी ।

9. स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य – प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, –

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा :

परन्तु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा ;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आस-पास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों ;

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख रखेगा ;

(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगा ;

(च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृन्द और शिक्षा सामग्री भी है, उपलब्ध कराएगा ;

(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा ;

(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा ;

(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा ;

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा ;

(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा ;

(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मानीटर करेगा ; और

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा ।

10. माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य – प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आस-पास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए ।

11. समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना – प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी ।

अध्याय 4

विद्‌यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्‌यालय के उत्तरदायित्व की सीमा – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, –

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्‌यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा ;

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्‌यालय, उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा ;

(ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्‌यालय पहली कक्षा में, आस-पास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्‌यालय, विद्‌यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्‌यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्‌यालय की, उसके द्‌वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्‌वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी :

परन्तु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं, या तो निःशुल्क या रियायती दर पर, प्राप्त करने के कारण पहले से ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा ।

13. प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना – (1) कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा ।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, –

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. प्रवेश के लिए आयु का सबूत – (1) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के उपबंधों के अनुसार

जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी ।

(2) किसी बालक को, आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा ।

15. प्रवेश से इनकार न किया जाना – किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित है :

परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा ।

16. रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध – किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा ।

17. बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध – (1) किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा ।

18. मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना – (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है ।

(3) मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगा :

परंतु ऐसे आदेश में आस-पास के उस विद्यालय के बारे में निदेश होगा जिसमें गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा ।

(4) ऐसा विद्यालय, उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

19. विद्यालय के मान और मानक – (1) किसी विद्यालय को, धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह

ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा ।

(3) जहां कोई विद्‌यालय, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्‌यालय को अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा ।

(4) कोई विद्‌यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्‌यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा ।

20. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति – केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्‌वारा, अनुसूची का, उसमें किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी ।

21. विद्‌यालय प्रबंध समिति – (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्‌यालय से भिन्न विद्‌यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्‌यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्‌यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा :

परंतु ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे :

परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियां होंगी ।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मानीटर करना ;

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना ;

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानीटर करना ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं :

[1][परंतु, -

(क) अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो ; और

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में यथा परिभाषित अन्य सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों,

के संबंध में उपधारा (1) के अधीन गठित विद्यालय प्रबंध समिति केवल सलाहकार संबंधी कृत्यों का पालन करेगी ।]

22. विद्यालय विकास योजना – (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति [2][अल्पसंख्यक द्वारा, स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित, तथा धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में यथा परिभाषित किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के सिवाय,] ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

23. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें – (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्‌वारा, अधिसूचना द्‌वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्‌वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्‌यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्‌वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा ।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना – (1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) विद्‌यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन ;

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्‌यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्‌यक्रम पूरा करना ;

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्‌नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना ;

(ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना

और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना ; और

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी :

परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(3) शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हों, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

25. छात्र-शिक्षक अनुपात – (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [1][तीन वर्ष के भीतर] समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा ।

26. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना – नियुक्ति प्राधिकारी, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत: वित्तपोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध – किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद् के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा ।

28. शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध – कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी ।

अध्याय 5

प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया – (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी ।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :–

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता ;

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास ;

(ग) बालक के ज्ञान, अन्त:शक्ति, योग्यता का निर्माण करना ;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास ;

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण ;

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा ;

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त

बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना ;

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन ।

30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र – (1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

अध्याय 6

बालकों के अधिकार का संरक्षण

31. बालक के शिक्षा के अधिकार को मानीटर करना – (1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना ;

(ख) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना ; और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना ।

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में

जांच करते समय वही शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमश: धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई हैं ।

(3) जहां किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

32. शिकायतों को दूर करना – (1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

33. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, होंगे ।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

34. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(2) राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होंगे ।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

35. निदेश जारी करने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी – धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

38. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 के पहले परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय-सीमा ;

(ख) धारा 6 के अधीन किसी आस-पास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं ;

(ग) धारा 9 के खंड (घ) के अधीन चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखे जाने की रीति ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति और सीमा ;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज ;

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की रीति ;

(छ) वह प्राधिकारी, प्ररूप और रीति, जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप, अवधि, उसे जारी करने की रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान की रीति ;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीति ;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ड) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने की रीति ;

(ण) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र देने का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और उसके निबंधन और शर्तें ;

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(द) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या अधिसूचना बनाए/बनाई जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

[1][**38. कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से तीन वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं. 30 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।]

अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्र. सं.	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या :		
	(क) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच धन एक प्रधान अध्यापक
		दौ सौ बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा ।

	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो – (i) विज्ञान और गणित ; (ii) सामाजिक अध्ययन ; (iii) भाषा । (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक । (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां – (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक ; (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक – (अ) कला शिक्षा ; (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा ; (इ) कार्य शिक्षा ।
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष ; (ii) बाधा मुक्त पहुंच ; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय ; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा ; (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक

		रसोई ; (vi) खेल का मैदान ; (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं ।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस ; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस ; (iii) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे ; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे ।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं ।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचारपत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी ।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।

Cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	-	-	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	-	-	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	-	-	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	-	-	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	-	-	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	-	-	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	-	-	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999	293	-	-	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	-	-	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	-	-	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001	425	-	-	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	-	-	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	-	-	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	-	-	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	-	-	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	-	290	-
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	-	60	-

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iV

पी एल डी (पी. डी)-5-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in